खण्ड-367, अंक-8
मंगलवार, 28 चैत्र, शक संवत् 1906
(17 अप्रैल, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 367 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1—5
प्रश्नोत्तर	..	7—70
उपाध्यक्ष, विधान सभा पद के लिये निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	70—77
बाराबंकी में ग्राम पंचायत अधिकारियों को कार्यभार न सौंपने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	77—78
श्रीमती नन्दो देवी, निवासिनी लखुरिया, जिला फर्रुखाबाद का दहेज के कारण हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	78
उप निबन्धक लखनऊ मण्डल द्वारा अनियमित रूप से सचिवों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	79
गेहूं के निर्धारित खरीद केन्द्रों पर गेहूं न खरीदने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	79
घघली उपनगर गोरखपुर को टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में श्री राम आसरे जायसवाल द्वारा अनशन के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	79—80
अल्मोड़ा–नैनीताल में नशाबंदी के लिये धरने पर बैठी महिलाओं पर लाठीचार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	80
लखनऊ–हरदोई मार्ग पर स्थापित नये दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र के ठीक काम न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	80—81
शिक्षकों के अभाव में इलाहाबाद पालीटेक्निक में सुचारु रूप से पढ़ाई न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	81
अधीक्षण अभियंता, पी0 डब्ल्यू0 डी0, गोरखपुर मन्डल द्वारा पाईल ब्रिज के निर्माण में किये गये घपले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	81
बढ़ईपुर, जिला शाहजहांपुर में विस्थापित परिवारों को उजाड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	82
लखनऊ विश्वविद्यालय में बिजली–पानी के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	82
इटईरामपुर, जिला गोंडा में चकबन्दी अधिकारियों द्वारा किये गये घपलों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	82—83
गंगा के पुरवा वीरापुर, जिला इलाहाबाद में बिजली के तार से आग लगने से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		83

विषय	पृष्ठ संख्या
कानपुर स्थित होटल में बम विस्फोट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 83—84
सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति के कुछ सहायक अभियंताओं की पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 84
बलरामपुर, जिला गोंडा के हरिजनों आदि को भूमि आबंटन न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 84
शारदा नहर के टूटने से इलाहाबाद के उतराव आदि कतिपय गांवों की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
कु0 राशदा बेगम, निवासिनी बरही नदी, अलीगढ़ का अपहरण एवं सामूहिक बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
विकास खंड हसनगंज (उन्नाव) के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86
कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसियेशन की उत्तर प्रदेश शाखा की वार्षिक बैठक के स्थगन की सूचना	.. 86
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	.. 86—87
श्री मुहम्मद आजम खां को धमकी भरा पत्र मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	.. 87—88
श्री अध्यक्ष के अपमान से सम्बन्धित विशेषाधिकार और औचित्य के प्रश्न पर स्वयं श्री अध्यक्ष द्वारा निणय दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	.. 88—99
श्री विद्यासागर नौटियाल को के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	99
1984—85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग (जारी)	.. 99
श्री किरनपाल सिंह के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	.. 99—100
श्री अध्यक्ष द्वारा व्यवधान के मध्य पढ़े गये पत्र व कार्यसूची की मद संख्या 3 के बाद मद संख्या 24 लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	.. 100—103
श्री चन्दन सिंह, श्री धनीराम वर्मा तथा श्री हर गोविन्द वर्मा के निलम्बन के प्रस्ताव (स्वीकृत)	.. 104—105
1984—85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत)	.. 105

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 38--मत्स्य विभाग, अनुदान संख्या 46--वन विभाग तथा अनुदान संख्या 80--स्पोर्ट्स विभाग (स्वीकृत) ..	106-107
वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग--2 की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	107
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि0, चुर्क (मिर्जापुर)का वार्षिक प्रतिवेदन 1977-78 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	107
अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश की द्वितीय रिपोर्ट वर्ष 1975-76 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	107
राज्य कृषि उत्पादन मंडी, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 1979-80 के लेखे एवं वार्षिक रिपोर्ट 1980-81 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	107
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 1982-83 का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) (सदन के पटल पर रखा गया) ..	107
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्रतिनिहित बिधायन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	107--108
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का पंचम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	108
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का षष्ठ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	108
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एव निगम समिति (1983-84) का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	108
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	108
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	108--109
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	109
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984 (पारित)पुरःस्थापित किया गया ..	109--110
सत्तियां ..	111--141

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 17 अप्रैल, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 2 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 351

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वीर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिंदल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई) (बेगम एजाज रसूल)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त (उर्फ बालराज), श्री (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बार बंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव एडवोकेट, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टेहरी गढ़वाल)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)

गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैंरया, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जितेन्द्र शाह, श्री (जालौन)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थक्कन सिंह गहलोत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायन द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)

बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बढबन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बंजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह सीना, श्री (मेरठ)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल वेहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सर्फुर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)

यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पांडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
रामकृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)

राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप सिंग, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजयपाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरीगढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा0 (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्री नाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज, श्री प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)

सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह बर्मा, श्री (एटा)
हरगोबिन्द बर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट--गन्ना विकास मन्त्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, नगर विकास एवं आवास राज्य मन्त्री श्री अरुण कुमार सिंह तथा वित्त एवं संस्थागत वित्त राज्य मन्त्री श्रीमती इन्द्र मोहिनो भी सदन में उपस्थित थी ।

विधान सभा सचिवालय

नमूना प्रति

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 17 अप्रैल, 1984 ई0

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ, विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के आवासों का आबंटन

**1--श्री रियासत हुसैन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना, लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा 1982 अथवा 1983 में लगभग 100 आवासों का आबंटन किया गया था किन्तु आज तक आबंटियों को कब्जा न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या अध्यासियों को अविलम्ब कब्जा दिया जायेगा । यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से लखनऊ स्थित कानपुर रोड को नगर प्रसार आवासीय योजना के अन्तर्गत राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा 88 आवास (श्रेणी-2) वित्तीय वर्ष 1981-82 में क्रय किये गये थे जिनका आबंटन दिनांक 25-6-82 को आवासों के तैयार होने पर कब्जा दिये जाने की प्रत्याशा में किया गया था । आबंटियों को कब्जा न मिलने का कारण आवासों का पूर्ण न होना है ।

दिनांक 15 मार्च, 1984 को 48 आवासों का कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण से शासन को मिल गया है तथा आबंटियों को कब्जा लेने हेतु नोटिस दी जा चुकी है । दिनांक 11-4-1984 तक 12 आबंटियों ने कब्जा भी ले लिया है । शेष 40 आवासों के लखनऊ विकास प्राधिकरण से मिलने पर अवशेष आबंटियों को कब्जा दिया जा सकेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, प्रश्न से स्पष्ट है कि आवंटियों को कब्जा देने की बात सन् 1981-82 से शुरू हुई और उसमें सारी प्रक्रिया, जो बतलायी गयी उसमें कुछ को कब्जा दे दिया गया और कुछ को नोटिस दे दिया गया और आज भी 40 ऐसे लोग हैं, जिनको कब्जा आजतक नहीं दिया गया है और इसके बारे में यह कहा गया कि उनका निर्माण हो जाने पर कब्जा दे दिया जायेगा । 4 साल हो गये हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से इस बात का आश्वासन देंगे और घोषणा करेंगे कि कितना समय और लगेगा तथा जिस सूरत में आपने 48 आबंटियों को कब्जा दिलाया है उसी तरह से सबके सब 88 आदमियों को कब्जा मिल जायेगा ?

श्री प्रमोद कुमार--

श्रीमन्, यह मकान विकास प्राधिकरण बना रहा है और राज्य सम्पत्ति विभाग आबंटित कर रहा है । हमें आशा थी कि 15-4-84 तक यह मकान पूरे हो जायेंगे किन्तु धनाभाव के कारण वे पूरे नहीं हो सके । आशा है कि निकट भविष्य में ये मकान पूरे हो जायेंगे और आबंटित कर दिए जाएंगे ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात के ऊपर भी विचार करेंगे कि इन आवासों के लिए शुरू शुरू में जो प्रक्रिया रुपया आदि जमा करने की थी और जो अलग-अलग स्कीमें हैं उसी के आधार पर भले ही उसकी कास्ट आफ कन्सट्रक्शन बढ़े या कुछ भी हो, इनका किराया आदि फिक्स करेंगे चाहे अब उनकी कीमत बढ़ क्यों न गई हो ?

श्री प्रमोद कुमार--

श्रीमन्, माननीय सदस्य समझ नहीं पाये । ये मकान खरीदे नहीं जा रहे हैं बल्कि उसी दाम पर राज्य सम्पत्ति विभाग

ने लिए हैं और जिनको यह मकान आवंटित किया जायेगा उनसे उनकी पे का 10 प्रतिशत या स्टैंडर्ड रेन्ट जो भी कम हो, ले लिया जायेगा । दाम बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि विकास प्राधिकरण के द्वारा जिन आवासों का निर्माण कराया गया है, तो आपने विकास प्राधिकरण को किस दर से भुगतान किया है और जिन लोगों को आवास आवंटित किये गये हैं, वह आवास आवंटन का आधार क्या था ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, पहले प्रश्न का जवाब यह है कि 88 आवास 34 लाख 36 हजार रुपये में क्रय किए गए थे । दूसरे प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है चूंकि यह मकान दूर बने थे इस लिए पहले उन लोगों से इसकी सहमति मांगी गयी कि जो लोग इतनी दूर जाना चाहें, वे अपनी सहमति दें । यह सहमति प्राप्त होने पर जैसा उन्होंने अपना आवेदन दे रखा था, उसी के आधार पर उनको आवंटित किया गया ।

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों को कानपुर रोड पर आवासों का आवंटन किया गया और वे 10/11 बजे तक रात में विधान सभा में कार्य करते हैं । उनके पास आवागमन के कोई साधन नहीं है तो क्या उनको इंदिरा नगर में आवास आवंटित करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, इससे सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं मैंने इसे अस्वीकार किया है, आप बैठें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, जो यहां सचिवालय के कर्मचारी हैं वह विशेष परिस्थितियों में काम करते हैं और उनको यदि कानपुर रोड में आवंटित हो गया है और किसी कारणवश वह मकान अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, इन कर्मचारियों को 10, 11 बजे रात तक काम करना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष--

आप भी तो करते हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

उनके पास आवागमन के कोई साधन नहीं है तो क्या उनको इंदिरा नगर में मकान आवंटित करने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया था यह मकान दूर थे लेकिन उसके लिए सहमति प्राप्त कर ली थी और जिन्होंने सहमति दी उन्हीं को दिए गए, जब उनको आवंटित किए गए उस समय विचार कर लेना चाहिये था ।

श्री मसरूर जाफरी--

उस समय इंदिरा नगर में कोई आवासीय कालोनी विभाग के पास नहीं थी इसलिए वहां पर ले लिये, जो यहां सचिवालय में काम करते हैं, सचिवालय के इंटरेस्ट को देखते हुए अगर वे इंदिरा नगर में आवंटन चाहे तो क्या पुनः उस पर विचार करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जिनको आवंटित कर दिए गए हैं उनके परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता है !

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मेसर्स लक्ष्मी शुगर एंड आयल मिल, हरदोई के मजदूर संघ का धरना एवं उनकी मांगें

*1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
(अनुपस्थित)

क्या श्रम राज्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शुगर मिल, हरदोई के श्रमिकों के बकाए वेतन, बोनस का भुगतान अभी तक न किए जाने से श्रमिकों ने मिल गेट के सामने 23 जनवरी, 1984 से धरना एवं अनशन प्रारम्भ कर दिया हैं ? यदि हां, तो बकाए धन को न देने का क्या कारण है तथा उनकी क्या मांगें हैं ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

जी हां, मेसर्स लक्ष्मी शुगर एंड आयल मिल्स लि0, हरदोई में शुगर मिल मजदूर संघ ने अपने माग-पत्र दिनांक 14 जनवरी, 1984 को लेकर प्रतिष्ठान के गेट पर दिनांक 23 जनवरी, 1984 से धरना प्रारम्भ किया था जो श्रम विभाग के हस्तक्षेप से 15 मार्च, 1984 को समाप्त हो गया । श्रमिकों के बकाए धन का भुगतान न किए जाने का कारण उक्त प्रतिष्ठान को आर्थिक कठिनाई हैं । श्रमिकों की प्रमुख मांगें बकाया वेतन एवं बोनस के भुगतान, शासनादेशों के अनुपालन तथा सेवायोजकों द्वारा पूर्व में किए गए समझौते के पालन आदि के बारे में हैं ।

बाढ़ के प्रकोप से पारीछा परि-योजना को हुई क्षति

*2--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--
(अनुपस्थित)

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सन् 1983 के बाढ़ प्रकोप से पारीछा परियोजना में लगभग 384.00 लाख रु0 की क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या शासन जांच हेतु विधायकों की समिति गठित कर इसकी जांच करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--
जी हां ।

बाढ़ द्वारा छोड़े गए चिन्ह पहले ही समाप्त हो चुके हैं । शासन द्वारा गठित समिति द्वारा जांच की जा रही है । अतः अब और समिति गठित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गणेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर, गोरखपुर के द्वार पर श्री हर्षवर्धन सिंह का अनशन

*3--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल आनन्दनगर, गोरखपुर में जनता पार्टी के नेता (श्री हर्षवर्धन सिंह) गत एक सप्ताह से अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं एवं उनके न पूरा किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां, श्री हर्षवर्धन सिंह चीनी मिल मजदूर पंचायत तथा हिन्द मजदूर किसान पंचायत आनन्दनगर, गोरखपुर की 30 सूत्रीय मांगों को लेकर मेसर्स गणेश शुगर मिल्स आनन्दनगर, गोरखपुर के मुख्य द्वार के निकट दिनांक 6 फरवरी, 1984 से अनशन कर रहे थे । दिनांक 18 फरवरी, 1984 को उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया । उक्त 30 सूत्रीय मांग-पत्र संलग्न है ।

उपर्युक्त दोनों श्रमिक संघ पंजीकृत न होने के कारण श्रमिकों की ओर से मांग-पत्र प्रस्तुत करने हेतु सक्षम नहीं थे अतः उनके द्वारा उठायी गयी मांगों के सम्बन्ध में सेवायोजक उक्त दोनों संघों

से समझौता वार्ता करने को सहमत नहीं हुए और संराधन कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 111 पर ।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके अंतिम अंश की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दोनों श्रमिक संगठन रिकगनाइज हैं या नहीं हैं यह दूसरा सवाल है । लेकिन जो उनका मांग पत्र है जिसमें गम्भीर आरोपों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया, मजदूरों का जिस बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है उसके लिए शासन ने कौन सी कार्यवाही की, मजदूरों की मांगे मुनासिब हैं और वहां का प्रबन्धाधिकरण नियम विरुद्ध कार्य कर रहा है उस सम्बन्ध में शासन ने कौन सी कार्यवाही की ?

श्री सुनील शास्त्री--

इस सम्बन्ध में उप श्रमायुक्त, गोरखपुर ने निरीक्षण किया और साथ ही साथ कारखाना निरीक्षक ने भी निरीक्षण किया और जो कमी पायी गयी उनको निरीक्षण टिप्पणी सेवायोजकों को संस्तुति कर रहे हैं कि इन पर कार्यवाही की जाय, अगर कोई कार्यवाही सेवायोजक नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

डिप्टी कलेक्टर, गोरखपुर ने कब निरीक्षण किया और कब टिप्पणी दी और उस टिप्पणी में क्या अनियमितता पायी गयी और इसकी सूचना सेवायोजकों को कब दी गयी ? उसमें कोई सुधार हुआ है या नहीं ?

श्री सुनील शास्त्री---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो टिप्पणी थी जो कारखाना निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया वह धारा 21, 45, 46 और 69 के अन्तर्गत थी । इसमें जो कमी पायी गयी उसके लिए टिप्पणी दी गयी सुधार के लिए बराबर कहा जा रहा है और इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई कमी न रहे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश की चीनी मिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन

*1--श्रीमती गौरी देवी (अनुपस्थित)--

क्या श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को प्रति दिन 19 रुपये तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को प्रतिदिन 7 रुपये मात्र मजदूरी दी जाती है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री सुनील शास्त्री---

इस प्रश्न का उत्तर 8वें मंगलवार के प्रश्न नम्बर 2 के द्वारा दिया जा चुका है कि समस्त उत्तर प्रदेश के बंकुअम पैन चीनी मिलों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिये शासन द्वारा समान न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है । इस बात की जांच करवायी जा रही है कि प्रदेश की समस्त चीनी मिलों में न्यूनतम वेतन के अनुसार भुगतान किया जा रहा है या नहीं । यदि ऐसे मामले सामने आये जिसमें न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, तो सम्बन्धित सेवायोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी । सम्पूर्ण प्रदेश में इस प्रकार की जांच में समय लगना स्वाभाविक है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, इसमें मेरी रुचि है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने बताया कि उनके लिए सामान्य वेतन लागू है। माननीया सदस्या ने स्पष्ट रूप से प्रश्न किया है और उसी संदर्भ में क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय बाराबंकी जनपद में जो दो चीनी मिलें हैं, उनकी दैनिक मजदूरी का क्या रेट है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जो चीनी मिलों में कार्य करते हैं उनको मासिक वेतन दिया जाता है और जहां तक दैनिक वेतन भोगी मजदूरों का सवाल है या जो अनन्य कार्य हैं, जैसे लोडिंग का है, सफाई का है, इस तरह का जो कार्य होता है वह कांट्रेक्ट लेबर से कराया जाता है और उसके लिए जो न्यूनतम वेतन है वही सुनिश्चित किया जाता है।

(श्री श्याम लाल वाजपेयी के बिना बुलाये खड़े होकर बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष--

पहले आप बैठें। मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है।...अब आप बोलें।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

मान्यवर, कभी-कभी गलती हो जाती है। दया कर दिया कीजिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने बताया कि सामान्य वेतन दैनिक मजदूरी पर लागू है। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को 19 रु0 और पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलों को 7 रुपया दैनिक मजदूरी दी जाती है। मैंने बाराबंकी जनपद की दो चीनी मिलें हैं उनमें दैनिक मजदूरी पर जो कार्य करते हैं चाहे वे सफाई का कार्य करते हों या लोडिंग का काम करते हों, आप स्पष्ट बतायें कि उनको दैनिक मजदूरी के रूप में कितना दिया जाता है, 7 रुपये 10 रुपये, 12 रुपये या 19 रुपये। क्या रेट है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे किसी कांट्रेक्ट लेबर के तहत हो या किसी व्यावसायिक लेबर के तहत हो जो यह 65 व्यवसाय हैं, उनके वेतन में समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और उनके लिए न्यूनतम वेतन निर्धरित किया जाता है। इन 65 के अतिरिक्त जिसमें श्रमिक काम करते हैं उनको 8 रु0 प्रतिदिन वेतन दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

माननीया सुमन लता दीक्षित, सामने जो कानपुर की बैठी हैं, आपने कोई जुर्म किया है क्या ? मेरे पास एक तार आया है। आप मेरे कक्ष में साढ़े तीन बजे आयें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

क्या कोई जुर्म हुआ है संगीन बात हुई है ?

श्री ऊदल--

क्या माननीय श्रम मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि न्यूनतम वेतन, जो है जैसा आपने कहा 7 रुपया नहीं है, इससे ज्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की मिलों में न्यूनतम वेतन लागू नहीं किया गया है, उससे कम मजदूरी दी जा रही है, इसकी जांच करके न्यूनतम वेतन लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जिस तरफ माननीय मंत्री जी ने इशारा किया है वह कन्ट्रेक्ट लेबर है। माननीया सदस्य का प्रश्न सीधा

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री श्याम लाल वाजपेयी की रुचि पर लिया गया।

डेलीवेज के सम्बन्ध में है, तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरी सूचना को सही मानकर कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की तमाम मिलों में खासकर कप्तानगंज, छितौनी और घुघरी में 5 और 7 रु0 रोज पर काम लिया जा रहा है और 21 रु0 का भुगतान दिखाया जा रहा है। छितौना का एक उदाहरण दे रहा हूं वहां 250 आदमियों से 96 रु0 प्रतिमाह पर काम लिया जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि जो मजदूर क्लीयर वेकेंसी पर काम करता है, उसको परमानेंट या सीजनल परमानेंट करने का आश्वासन देंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो छितौनी चीनी मिल के बारे में कहा है, उसकी जांच हो रही है तथा पूर्वी क्षेत्र की जो मिलें हैं, जहां कहीं वेतन कम देने की बात है, वहां भी जांच हो रही है बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, सब की जांच कर रहे हैं जहां तक कन्ट्रेक्ट लेबर की बात की तो जो कार्य करता है उसको एक वेतन दिया जाता है। लेकिन जहां तक रेगुलर का सम्बन्ध है उसके लिये वेतन शुगर वेजबोर्ड निर्धारित करता है उसके अनुसार दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

(सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर) यह क्या तरीका है, कब तक समझाया जायेगा।

श्री पन्ने लाल--

मान्यवर, हमारे यहां चीनी मिल में जो कर्मचारी 4, 5 साल से काम कर रहे थे जिनकी संख्या 250 के करीब है उनको निकाल कर डेली वेजेज पर 7 रु0 में काम लिया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष--

इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या चीनी मिलों में कान्ट्रेक्ट लेबर द्वारा काम कराना वर्जित है। चीनी मिलों में कोई कान्ट्रेक्ट लेबर नहीं रखा जायेगा, इस पर एवार्ड हो चुका है और अगर रखा जायेगा तो उसे 19 रु0 प्रतिदिन दिया जायेगा। यदि यह वेतन नहीं दिया जा रहा है तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, कंट्रेक्ट लेबर की जो प्रथा है उसको चीनी मिल उद्योग में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में समाप्त करने पर, विचार शासन कर रहा है, उसके लिए एक परिषद् का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता हमारे सदन के एक माननीय सदस्य कर रहे हैं, वह अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे और शासन के समक्ष आयेगा तो उसके उपरांत शासन निर्णय करेगा।

[दिनांक 17 अप्रैल, 1984 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अमेरिका की कम्पनी बीच क्राफ्ट कारपोरेशन से स्टेट प्लेन की खरीद

*1--श्री मोहन सिंह तथा श्री मलिक मुहम्मद कमल यूसुफ--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्तूबर, 83 में 10 सीट वाले स्टेट प्लेन को अमेरिका की कम्पनी बीच क्राफ्ट कारपोरेशन से खरीदा है ? यदि हां, तो इस स्टेट प्लेन को खरीदने के लिये किन-किन कम्पनियों से

कोटेशन मंगाए गये और इसकी खरीद को लेकर प्रश्न-कर्त्ताओं का कोई पत्र माननीय मुख्य मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रमोद कुमार--

जी हां । क्रय जनवरी, 84 में हुआ । उक्त खरीददारी में विभिन्न कम्पनियों के कोटेशन प्राप्त करने की उपयोगिता नहीं पायी गयी । उक्त प्रसंग पर प्रश्नकर्ताओं का कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता, अतः उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह बहुत ही चिन्ता की बात है कि अधिकारियों ने अक्तूबर, 83 में स्टेट प्लेन, जो अमेरिका की कम्पनी से क्रय किया है, उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 करोड़ 60 लाख रु0 में लिया है । हमने और माननीय सदस्य मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ ने एक बयान दिया, सरकार को पत्र भी लिखा कि यह जो प्लेन की खरीद की गयी है, इसमें 27 लाख रु0 कमीशन के हैं और यह कमीशन को श्री योगेन्द्र नारायण ने खा लिया है । माननीय मंत्री जी स्वयं अपने उत्तर में कह रहे हैं कि इसके लिय कम्पनियों से कोटेशन मांगने की जरूरत नहीं समझी गयी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दुनियां में बहुत सी कम्पनियां हैं ब्रिटेन की है, अमेरिका की है, जो सस्ते रेट पर इससे अच्छा एयर क्राफ्ट मंगाती हैं विभिन्न कम्पनियों के एंजेन्ट रहते हैं उनके जरिये से एयर क्राफ्ट क्रय किये जाते हैं, तो उनके जरिये से एयर क्राफ्ट न क्रय करने का क्या कारण है ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसकी प्रक्रिया क्या है । जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इच्छा जाहिर की और केन्द्र सरकार को लिखा, तो वाणिज्य मंत्रालय, नगर विमानन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के पास यह मामला गया और निश्चय किया गया कौन सा विमान खरीदा जाये । दो ही कम्पनियां हैं, एक तो बीच क्राफ्ट कारपोरेशन तथा दूसरी सेसना, जिनसे खरीदा जा सकता है । कोटेशन तो तब मांगे जाते जब बहुत सी कम्पनियां उपलब्ध होतीं, इन दो कम्पनियों में जो सस्ता था, उससे खरीद लिया गया ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, केन्द्र की सरकार से राज्य की सरकार निवेदन करती है और केन्द्रीय सरकार सूबाई सरकार को अनुमति देती है, लेकिन सूबाई सरकार किस कम्पनी से खरीदे इसके बारे में उसे विभिन्न कम्पनियों के एजेन्टों से जानकारी प्राप्त करनी थी । इसमें हमारी सरकार के एक अधिकारी की अन्डर डीलिंग होने के कारण यह एअर क्राफ्ट खरीदा गया है, और किसी कम्पनी से कोटेशन नहीं मांगे गये हैं । यह मेरा आरोप है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हम लोगों का जो शिकायती-पत्र अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है, उस पर कोई कार्यवाही हुई है, सरकार ने क्या उस पर जांच करायी है ? हमारा यह निश्चित आरोप था कि हाई कमीशन के माध्यम से नहीं खरीदा गया और सीधे खरीद लिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय सदस्य ने स्वयं अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि हाई कमीशन के माध्यम से क्यों नहीं खरीदा गया । उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कमीशन को लिखा लेकिन उन्होंने हमें लिखा कि उन्होंने खरीदना बन्द कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार उसे सीधे खरीद सकती है, इसीलिए सीधे उसकी खरीद की गयी । मान्यवर, दो ही कम्पनियां हैं और चूंकि यह सस्ता था, सलिए इसे

खरीद लिया गया । मान्यवर, विमान खरीदते समय 3–4 बातों का ध्यान रखा जाता है । हमारे यहां की कच्ची पट्टियां हैं, छोटी हवाई पट्टियां हैं, तो इस प्रकार का विमान हो जिसके पुर्जे हमारे देश में उपलब्ध हो जाये, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विमान खरीदा गया । तीसरी बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि कोटेशन मांगे जाते हैं और वह फोटो उसके साथ भेजते हैं, फोटो को देखकर नहीं खरीदा जा सकता है । यह जो विमान खरीदा गया वह भारत की जलवायु के लिये उपयुक्त है, यही नहीं इस विमान को उड़ीसा सरकार ने, पंजाब सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकारों ने खरीदा है तथा भारत के जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं, यही विमान खरीदते हैं । इसलिए हमारी सरकार ने भी इस विमान को खरीदा है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस के पिछली बार जो विमान खरीदे गये हैं, उनके क्रय करने की क्या प्रक्रिया रही है, क्या पिछली बार कोटेशन मंगाये गये थे, अगर मंगाये गये थे तो इस बार क्यों नहीं मंगाये गये । हमारे प्रदेश में धन का अभाव है, तो इसको देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके खरीदने की क्या आवश्यकता है ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं । जब जनता शासन था तो यहां पर दो विमान थे, एक छोटा और दूसरा बड़ा । बड़े विमान पर उस समय के मंत्री श्री रेवती रमण सिंह और उनके नेता श्री राज नारायण सिंह सतना गये थे, किसी तांत्रिक से मिलने गये थे, उस विमान के क्रैश लैंड करने पर वह इस काबिल नहीं रह गया है कि उस पर कोई बैठ सके । यह तो आपकी सरकार की मेहरबानी के कारण है ।

जो पहली प्रक्रिया अपनायी गयी है वही दूसरी प्रक्रिया अपनायी गयी है ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने परस्पर विरोधी ध्यान दे कर यह सिद्ध कर दिया कि घपला है । पहले कहा कि विमान की खरीद केन्द्र सरकार करती है और उसने जो विमान खरीद कर दे दिया वह ले लिया । केन्द्र सरकार ने जब यह सफाई दी कि उसने खरीददारी बन्द कर दी है लिहाजा हम सीधे खरीद लें लिहाजा जब राज्य सरकार पर सीधे खरीदारी का दायित्व आ गया तो जो विभिन्न कम्पनीज हैं विमान बनाने वालों की उनसे आपने विमान क्रय करने के पहले कोटेशन्स क्यों नही मंगाये ?

श्री प्रमोद कुमार--

मैं स्पष्ट कर दूं जिस प्रकार एम्बेसेडर कार उपलब्ध है, उसके पार्ट्स तथा मेकेनिक्स भी अवेलेबिल हैं लेकिन मर्सेडीज खरीद लें तो बाहर से पार्ट्स खरीदने होंगे । इसी प्रकार जब इस विमान को केन्द्र सरकार तथा अन्य प्रदेश खरीद रहे हैं और उसका टेक्निकल नो हाऊ भी मालूम है तो प्रदेश सरकार ने भी इसे ही खरीदना उपयुक्त समझा । कमीशन एजेन्ट इसलिए मुकर्रर नहीं किया कि जो वह कमीशन लेता उसे प्रदेश सरकार ने बचा लिया ।

श्री रियासत हुसेन--

आपने जो एयर क्राफ्ट सीधे परचेज किया और उसके लिए कोई कोटेशन भी रिसीव नहीं किया तो क्या एयर फोर्स में जो स्पेशलिस्ट्स हैं अथवा एयर इंजिन के जो स्पेशलिस्ट्स हैं उनकी सिफारिश से इस एयर क्राफ्ट को खरीदा है ।

श्री प्रमोद कुमार--

इसकी एक प्रक्रिया होती है । एडीशनल चीफ इंजीनियर था एक पायलट श्री अमीर से इसको देखने को कहा गया और इसे देखने के बाद उन्होंने

इसे खरीदने के लिए कहा । केन्द्र सरकार के एक्सपर्ट्स की ओपीनियन भी ली गयी जैसे वाणिज्य मंत्रालय वित्त मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय से कहा गया कि वे इसको देख लें और जब उनसे इसको उपयुक्तता मिल गयी तभी इस विमान की खरीददारी की गयी । उनके द्वारा इसे उपयोगी करार देने पर ही इसे खरीदा गया ।

श्री भीखा लाल--

माननीय मन्त्री जी के कथनानुसार दो कम्पनीज से इस विमान को खरीदा जा सकता था लेकिन जिसके पास से सस्ता मिला उससे यह खरीद लिया गया । तो दोनों कम्पनीज की इस विमान के लिए क्या कीमत थी ?

श्री प्रमोद कुमार--

इस विमान की कीमत 20, 35, 737 डालर है । दूसरी कम्पनी की कीमत हिन्दुस्तानी रुपये में 35 लाख रुपये ज्यादा थी ।

श्री मोहन सिंह--

सरकार ने कमीशन एजेंट इसलिए मुकर्रर नहीं किया कि जो कमीशन उसको दिया जाता वह राज्य सरकार को मिल गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार को कितना रुपया कमीशन का बच गया जो उसे कमीशन एजेंट को देना पड़ता ?

श्री प्रमोद कुमार--

राज्य सरकार को तो देना ही पड़ा तो बचने का क्या सवाल पैदा होता है ।

*2--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

*3--श्री रियासत हुसैन--

[दिनांक 2-4-84 को तारांकित प्रश्न संख्या-10 द्वारा उत्तरित ।]

प्रदेश के मन्डलीय कार्यालयों पर इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना

*4--श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)--

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि किन-किन मन्डलीय मुख्यालयों पर इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना की जा चुकी है और किन-किन मुख्यालयों पर स्थापना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री सुनील शास्त्री--

आगरा गोरखपुर तथा इलाहाबाद मन्डल के मुख्यालय पर इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जा चुकी है । लखनऊ मन्डल के मुख्यालय पर स्थापना की जा रही है । किसी अन्य मन्डल के मुख्यालय पर इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना का प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है ।

विद्युत विभाग पर्वतीय क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी पर कार्य करने की योजना

*5--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग में दैनिक मजदूरी तथा ठेकेदारी पर कार्यों को कराने पर रोक लगा दी गयी है ? क्या यह सही है कि इसके कारण पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत विस्तार का कार्य पूर्णतः ठप्प हो गया है ? यदि हां, तो क्या विभाग पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इस रोक को हटा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

जी नहीं ।]

जब कभी पर्वतीय क्षेत्र में कर्मचारी आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं होते

तो वाह्य साधनों द्वारा कार्य कराया जाता है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

पर्वतीय क्षेत्र में इस विभाग के जो दैनिक वेतनभोगी मजदूर थे, उनको हटा दिया गया और वहां ठेकेदारी प्रथा भी समाप्त कर दी गई' जिससे वहां सारे का सारा कार्य रुक गया, तो मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर विभाग में जो दैनिक वेतनभोगी और दूसरे मजदूर वर्षा से कार्य कर रहे थे, उनको हटा दिया गया और उनके स्थान पर पनकी और हरदुवागंज आदि से मजदूर वहां पर भेजे गये, जो कि वहां की परिस्थितियों के अनुसार वहां पर काम नहीं कर पा रहे हैं और वहां के स्थानीय लोगों को अनुभवी लोगों को हटा दिया गया है, तो वहां का विद्युत कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आप यह व्यवस्था करेंगे कि वहां के स्थानीय मजदूरों को ही वहां के विद्युत कार्य में नियुक्ति प्रदान करने का कष्ट करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त––

यह व्यवस्था में काफी दिन पहले कर चुका हूं और यह भी किया है कि बाहर के लोग जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनके स्थान पर यदि दैनिक वेतन में काम करना है तो वहीं के लोगों से कराना है । इसके अलावा अन्य कोई ढुलाई आदि का कार्य कान्ट्रेक्ट बेसेस का कार्य है तो दूसरी जगह के मजदूरों से कराया जा सकता है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट––

आपने पर्वतीय क्षेत्र के मजदूरों को वहां के काम से हटाया और उसके बाद उनकी जगह पर पनकी और हरदुवागंज से लोगों को ले गये, इनके विरुद्ध गढ़वाल और कुमायूं मन्डल के सारे विद्युत कर्मियों ने एक महीने तक विद्युत कार्य ठप रखा, तो सरकार ने उन कर्मियों को वचन दिया कि जितने भी अस्थायी श्रमिक कार्य कर रहे थे, उनको ही यहां के काम में प्राथमिकता देंगे और उनको नियुक्ति कर देंगे, तो क्या सरकार ने अपने वचनानुसार उनको पुनः नियुक्ति दे दी है ?

श्री ब्रह्म दत्त––

मैं निवेदन कर चुका हूं विद्युत विभाग के दैनिक वेतन भोगी काम के लिए वहां के स्थानीय लोगों से ही सारा कार्य कराया जायेगा ।

श्री विद्या सागर नौटियाल––

वहां के लोगों ने जब पर्वतीय क्षेत्र में हड़ताल की तो सरकार ने यह शर्त मान ली कि जो वहां पर हरदुआगंज और पनकी के मजदूर भेजे गये हैं, नीचे कार्य उपलब्ध होते ही उनको नीचे मैदानों में वापस भेज दिया जायेगा, तो क्या उनको अभी तक भेजा गया है या नहीं ? मेरी जानकारी के अनुसार नहीं वापस भेजा गया है, जिससे वहां के मजदूर जो 6–6 और 7–7 साल से कार्य कर रहे थे, उनको पुनः काम नहीं दिया जा सका है । सरकार की नीति यह है कि 3 साल तक काम करने वाले व्यक्ति को नहीं निकाला जायेगा और उसको स्थायी कर दिया जायेगा, तो इतने साल काम करने के बावजूद भी इनको क्यों दैनिक वेतनभोगी रखा गया है, जिससे उनको हटा दिया गया ? तो क्या सरकार अपने वचन को पूरा करने में अग्रसर होने हेतु पर्वतीय क्षेत्र में जिन मजदूरों को हटाया गया है उन सबको वापस लेने का आश्वासन इस समय सदन में देगी ?

श्री ब्रह्म दत्त––

मान्यवर, जहां तक सामंतशाही का सवाल है माननीय सदस्य टेहरी के पड़ोस के हैं । हमने तो यह कहा है कि बाहर के लोग वहां पर काम नहीं कर सकते जैसे–जैसे आवश्यकता होगी वहां के लोगों को काम पर लिया जायगा । हमारी कठिनाई यह है कि अगर ह

डेलोवेजेज पर किसी को रखते हैं तो स्थायी रूप से उनको रखना हमारे लिए संभव नहीं है । वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां काम उन्हीं लोगों से लेने के निर्देश दिये हैं ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, जो पहले से कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी थे उनके बारे में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर जो अधिकारी और कर्मचारी पहले से काम कर रहे थे आप उनको सबको तत्काल नियुक्त कर देंगे ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, तत्काल नियुक्त करना संभव नहीं है । लेकिन कहा गया है कि जो छंटनी शुदा कर्मचारी हैं उन्हीं को वरीयता दी जायगी ।

*6--श्री सरदार सिंह--

[दिनांक 12-3-84 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित ।]

झांसी बीड़ी मजदूर यूनियन की मांगें

*7--श्री भोखा लाल--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 फरवरी, 1983 को झांसी बीड़ी मजदूर यूनियन ने बीड़ी मजदूरों की मांगों के सम्बन्ध में जिला-धिकारी, झांसी को एक मांग-पत्र दिया था ? यदि हां, तो मजदूरों की मुख्य मांगें क्या थी और उनके सम्बन्ध में शासन ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

झांसी बीड़ी मजदूर यूनियन की मुख्य मांगें बीड़ी पत्तों एवं बीड़ी की छांव के सम्बन्ध में थी । प्रासंगिक विषय पर श्रम विभाग द्वारा वार्ता कराकर दिनांक 25-7-83 को उभय पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया ।

श्री भोखा लाल--

मान्यवर, क्या माननीय श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीड़ी मजदूरों की क्या मांगें थी और उस सम्बन्ध में क्या समझौता मजदूरों के लिए कराया गया ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, उनकी मांग थी कि 1 हजार बीड़ियों के लिए 850 ग्राम पत्ता दें और यह तय करा लिया गया । 1 अगस्त, 1983 से उन्हें पत्ता दिया गया ।

लखनऊ जिले के नवीपनाह-सत्तो देवी मार्ग का निर्माण

*8--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र न्याय पंचायत, थावर विकास खंड, काकोरी, जिला लखनऊ में नवीपनाह से सत्तो देवी तक स्वीकृत सम्पर्क मार्ग अभी तक अपूर्ण है जबकि शासन उसकी बहुत पहले स्वीकृति दे चुका है ? यदि हां, तो क्या शासन इस मार्ग को शीघ्र पूर्ण करवायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री तेज बहादुर गंगवार)--

नवीपनाह से सत्तो देवी तक सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 5.5 कि0 मी0 है जिसमें केवल नवीपनाह से थावर तक 4 कि0 मी0 की लम्बाई में ही निर्माण कार्य खाद्यान्न योजना संख्या 4 के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 21-7-78, 21-7-79 तथा 5-2-83 द्वारा स्वीकृत है । उपरोक्त 4 कि0 मी0 की लम्बाई में स्वीकृत कार्य खड़ंजा लगाने के स्तर तक वित्तीय वर्ष 1983-84 में पूर्ण कर दिया गया है । थावर से सत्तो देवी तक पहुंचने के लिए अभी शेष 1.5

कि0 मी0 की लम्बाई में कार्य स्वीकृत नहीं हैं । स्वीकृति प्राप्त होने पर ही इस मार्ग के उक्त शेष भाग को पूर्ण किया जा सकेगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो डेढ़ किलोमीटर मार्ग शेष रह गया है उसकी स्वीकृति न किये जाने के क्या कारण रहे हैं । इसकी स्वीकृति कब तक करवा देंगे तथा डामर आदि की व्यवस्था करवायेंगे या नहीं ।

श्री तेज बहादुर गंगवार--

माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि इसकी जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृति होती है । उसकी स्वीकृति वहां से वह दिलवा देंगे तब हम इसको बनवा देंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला योजना इसकी स्वीकृति के सिलसिले में शासन की ओर से कोई पत्र भी भेजने का कष्ट करेंगे ?

श्री तेज बहादुर गंगवार--

माननीय सदस्य, जिला योजना के सदस्य हैं । तो वहां से इसकी स्वीकृति करा दें । मैं बनाने का आश्वासन देता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जिस जिले से सम्बन्धित यह प्रश्न है । उस जिले के सदस्य इसमें होते हैं, मैं सदस्य नहीं हूं । मेरा निवेदन है कि क्या शासन की ओर से, इस डेढ़ किलोमीटर सड़क को पूरा कराने के लिए, कोई प्रस्ताव जिला योजना समिति के सामने भेजेंगे ?

श्री तेज बहादुर गंगवार--

मान्यवर, मैंने पहले कहा कि माननीय सदस्य उसके सदस्य है । वहां से स्वीकृति करा दें । यहां से पत्र जारी करना संभव नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी क्या कह रहे हैं ? मैं इस जिले से सम्बन्धित जिला योजना का सदस्य नहीं हूं । यह प्रश्न ऐसे सदस्य द्वारा उठाया गया है, जो सम्बन्धित जिले से कोई वास्ता नहीं रखता । तो मैं शासन से जानकारी चाहता हूं कि इसकी अहमियत को देखते हुये क्या शासन अपने स्तर से उस डेढ़ किलोमीटर सड़क को पूरा करवाने के लिए तत्पर है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेज बहादुर गंगवार--

मान्यवर, माननीय, सदस्य पत्र दे दें, उस पर शासन विचार कर लेगा ।

पी0 सी0 एस0 सम्वर्ग में स्वीकृत उच्चतम नये वेतन-मान के पद पर नियुक्ति

*9--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पी0 सी0 एस0 के लिए उच्चतम वेतनमान के जो तीन पद सृजित किए गए थे उन्हें हाल में ही समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

जी नहीं । उत्तर प्रदेश द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पी0 सी0 एस0 सम्वर्ग में स्वीकृत नये उच्चतम वेतनमान 2700-3000 रु0 में 3 पद सृजित हुए हैं और इन 3 पदों पर पी0 सी0 एस0 अधिकारी नियुक्त हैं ।

गोरखपुर के मलौनी बांध के किनारे महेबा-तरकुलानी मार्ग के निर्माण की मांग

*10--श्रीमती गौरी देवी--

(अनुपस्थित)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मलौनी बांध के बायें तट से उसके किनारे गोरखपुर जनपद में महेबा से तरकुलानी तक सड़क बनाने पर शासन विचार करेगा जिससे महेबा बड़गो, कठडर आजबनिया मंझरिया, लहसड़ी, लालपुर टीकर मिर्जापुर, डमरी, नौवा अब्नल सोनवे, तरकुलही, कुई सहित सैकड़ों गाँवों को जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय सदर से जोड़ा जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री विद्या भूषण)--

यह जिला सेक्टर का कार्य है । जिला समिति द्वारा अभी जिला योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है । जिला योजना में अनुमोदित हो जाने पर तथा आवश्यक धन की उपलब्धता पर शासन द्वारा विचार करना सम्भव है ।

गोरखपुर, बिजली इंसपेक्टर, सिसवा एवं घुघली थाने के उपनिरीक्षक श्री पी0 एन0 सिंह के विरुद्ध ट्रांसफार्मर चोरी सम्बन्धी लिखायी गयी रिपोर्ट

*11--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 20 मार्च, 1982 को ट्रांसफार्मर चोरी के विषय में कोई प्राथमिक सूचना घुघली (गोरखपुर) थाने में दर्ज करायी गयी थी, जिसमें बिजली इंसपेक्टर सिसवा श्री उपाध्याय एवं घुघली थाने के नायब दरोगा नामांकित अभियुक्त हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

जी हां । श्री रामश्रय जायसवाल द्वारा रिपोर्ट लिखाए जाने पर पुलिस ने माल बरामद किया और मुलिजम शंकर लोहार को गिरफ्तार किया । पूंछतांछ में शंकर लोहार ने बताया कि सिसवा बिजली विभाग के निरीक्षक श्री उपाध्याय ने दिनांक 18-3-82 को उक्त माल थ्रेसर बनाने को दिया । विवेचना एवं प्रमाण के आधार पर सिद्ध हुआ कि माल सिसवा केन्द्र का नहीं है और जो बरामद हुआ है, व जारी नहीं हुआ है । अतः तफतीश में ज्ञात हुआ कि उप निरीक्षक पी0 एन0 सिंह व सिसवा विद्युत केन्द्र के जूनियर इंजीनियर उपाध्याय के विरुद्ध आरोप रंजिशन लगाया गया है । अतएव कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । अभियुक्त शंकर के विरुद्ध दी इलेक्ट्रिक वायर एंड पनिशमेंट आफ थेफ्ट ऐक्ट, 1976 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह विद्युत विभाग का ट्रान्सफारमर चोरी हुआ और हमारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस में नामजद रपट दर्ज करायी और नायब दरोगा श्री पी0 एन0 सिंह और बिजली इंसपेक्टर श्री उपाध्याय नामजद मलजिम थे । शंकर लोहार को इन दोनों लोगों ने थ्रेशर बनवाने के लिए दिया था, जैसा कि उसने खुद बयान दिया, तो शंकर लोहार को तो चालान कर दिया, लेकिन दोनों जो नामजद अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ट्रांसफारमर बरामद हुआ, वह किस स्टोर से ईशू हुआ था ? मेरी निश्चित जानकारी है कि यह ट्रांसफारमर शिशवा उपकेन्द्र से चुराया गया था, जहां श्री उपाध्याय इंकेपेक्टर हैं और ये दोनों लोग इसका थ्रेशर बनवाकर अपने घर ले

जाना चाहते थे। विवेचना अधिकारी ने विद्युत् विभाग को कई बार लिखा कि अगर यह ट्रान्सफारमर शिशवा स्टोर का नहीं है, तो फिर किस स्टोर का है, जिसका कोई जवाब विद्युत् विभाग ने नहीं दिया, तो क्या सरकार मेरी सूचना को सही मान कर कि यह ट्रान्सफारमर विद्युत् उप-केन्द्र शिशवा का ही है, इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी और जो दोनों नामजद अभियुक्त हैं, उनको अब तक सजा न दिए जाने का क्या कारण है ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ट्रान्सफारमर का नम्बर क्या है और अगर वह शिशवा उप-केन्द्र का नहीं है, तो वह किस उप-केन्द्र का है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

माननीय, माननीय सदस्य ने जो नम्बर पूछा है, उसका ट्रेड मार्क जी0 आई0 सी0 नं0 59532 सन् 1970 है। जहां तक विद्युत् विभाग का सम्बन्ध है, असिस्टेंट इंजीनियर ने पत्र दिया है कि इस नम्बर का ट्रान्सफार्मर हमारे यहां कोई नहीं है और न हमारे यहां से इशू हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

इशू का क्या मतलब है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

इशू का मतलब है देने से माननीय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय, मैंने पूछा, सिसवा केन्द्र से नहीं दिया गया तो आपका जो ट्रान्सफार्मर है, यह किस स्टोर में पड़ा हुआ था, यह सिसवा का नहीं था तो कहां का था। क्योंकि विवेचना अधिकारी ने कई बार लिखा कि यह ट्रान्सफार्मर किसको निर्गत किया गया, तो कोई जवाब नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह ट्रान्सफार्मर किस स्टोर में पड़ा हुआ था और कहां का था।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

यह बिजली विभाग का है, लेकिन शंकर लुहार ने कहा कि सिसवा का है। तो इस सम्बन्ध में बिजली विभाग को लिखा गया है कि ट्रान्सफार्मर मिला है आप जानकारी करके बताइए कि किस केन्द्र को यह ट्रान्सफार्मर निर्गत हुआ है। उनका अभी पत्र नहीं आया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है इनका विभाग छिपा रहा है। मेरी निश्चित जानकारी है कि यह सिसवा का है उस सारे रिकार्ड को नष्ट कर दिया गया है। क्योंकि पुलिस का दारोगा उसमें है। इसलिए सारे रिकार्ड को खत्म कर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या वह किसी बड़े अधिकारी से इसमें जानकारी करायेंगे ? क्या बिजली इन्सपेक्टर और नायब दारोगा को कानून के हवाले करने का आश्वासन देंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

आपका संदेह है तो आपकी बात को देखते हुए मैं इसकी दुबारा जांच करवा लूंगा कि कहां का ट्रान्सफार्मर बरामद हुआ है। किस जगह का है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

विवेचना में श्री बी0 एन0 सिंह नायब दरोगा का साक्ष्य नहीं है। मेरी निश्चित जानकारी है कि इनका बयान लिया गया है। अगर नहीं लिया गया, तो कैसे यह इस स्तर पर पहुंचे कि यह चोरी इनके द्वारा नहीं की गयी है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

यह रिपोर्ट शंकर लुहार द्वारा लगायी गयी है

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय, मेरी बात उल्टी कर दी। एफ0 आई0 आर0 में इन्सपेक्टर और

नायब दरोगा नामजद अभियुक्त हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनको कैसे बरी कर दिया गया।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

शंकर लुहार ने कहा कि ऐसा ट्रान्स-फार्मर वहां से दिया गया। जब वहां से पूछा गया, जहां से ट्रान्सफार्मर लिया गया था, तो बताया गया वहां वैसा ट्रान्स-फार्मर नहीं था। इसलिए हमने बिजली विभाग को लिखा।

कानपुर जिले की रावसपुर निवासी श्री मूलचन्द की पुलिस कर्मियों द्वारा की गयी हत्या

*12--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि क्या यह सही है कि 14-15 जुलाई, 1982 की रात या उसके आस-पास रावसपुर, निवासी मूलचन्द को पुलिस चौकी काकादेव, कानपुर के कर्मचारियों ने अकारण बेरहमी से पीट-पीट कर और यन्त्रणाएं दे दे कर मार डाला और लाश एक रिक्शे पर लाद कर काकादेव पुलिया के पास छोड़ दी ? यदि हां, तो घटना के पूर्ण विवरण क्या है और क्या कार्यवाही की गयी।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

प्राप्त सूचनानुसार मृतक के भाई श्री शिवप्रसाद द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 1982 को प्रश्न में उल्लिखित आशय की सूचना प्राप्त होने पर अभियोग अन्तगत धारा 302/291 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना की गयी। विवेचनोपरान्त 4 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, इस सम्बन्ध में दो उत्तर मिले, एक सुबह मिला और दूसरा अब संशोधित उत्तर मिला। पहले उत्तर में बताया गया है कि प्रश्न में उल्लिखित आशय की सूचना प्राप्त होने पर अभियोग अन्तर्गत धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचनोपरान्त 4 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, तो मान्यवर, जब एक बार सम्बन्धित मुकदमे की चार्जशीट न्यायालत में लग गयी तो पुनः उसमें लगी हुई धाराओं को न लगा कर 323/201 में तरमीम करके उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाने का क्या कारण है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, माननीय सदस्य फिर से दोहरा दें।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैंने यह सवाल किया है कि यह दो तरह के उत्तर देखने को मिले जिससे साफ सिद्ध होता है कि इस मामले में घपला हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब एक बार चार्जशीट न्यायालय में आ गयी और यह साबित हो गया और चार्जशीट में बताया गया कि 4 पुलिसकर्मी इस मामले में दोषी हैं तो दोबारा उस मुकदमे की धाराओं को तरमीम करने का क्या कारण है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने संशोधित उत्तर पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पहले उत्तर पर ध्यान दिया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, हम संशोधित उत्तर पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन प्रथम उत्तर में यह जो तथ्य आया है। उसको भी नकारा नहीं जा सकता। चार्जशीट न्यायालय में दी गयी 302 के अन्तर्गत, तो आरोप-पत्र न्याय लय में प्रेषित करने के बाद पुनः धाराओं में संशोधन करके अन्तिम रिपोर्ट लगाने का क्या कारण है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, चार्जशीट न्यायालय में नहीं भेजी गयी थी, इसीलिए संशोधित उत्तर दिया गया ह और जो उत्तर पहले दिया गया था, सही नहीं है। न्यायालय में चार्जशीट नहीं भेजी गयी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, प्रश्न बड़ा विषम है। एक प्रश्न का संशोधित उत्तर इसलिए आता है कि जो तथ्य उत्तर में दिये गये है, अगर कोई तथ्य बाद में जानकारी में आता है, तो उसको बढ़ा दिया जाता है। मान्यवर, आप देखें कि दोनों उत्तर एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं। क्या जो पहला उत्तर आया है, वह गलत है, या जो दूसरा उत्तर दिया गया है, वह गलत बनाकर दिया गया है। यह 14-15 जुलाई की रात्रि का वाकया है और 15 जुलाई को एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो गयी। तो जब 15 जुलाई को एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो गयी तो विवेचनाधिकारी ने उसको काल वधि कैसे माना ?

श्री अध्यक्ष--

अन्तिम उत्तर को सही समझा जाय।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, यह 14/15 की रात्रि का वाकया है और 15 जुलाई को एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो गई, तो विवेचनाधिकारी ने इसमें 302 हटाकर 323 करके कैसे मुकदमा कालावधि कर दिया।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, 323 की मुकदमा 201 में दर्ज किया था, उसको 323 में परिवर्तित कर दिया।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया यह जो 323 में तरमीम किया गया, मैं यही जानना चाहता हूं कि कौन सी परिस्थितियों में 302 को 323 में कर दिया गया और वह आदमी मरा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि वह कौन सी परिस्थितियां आ गयी थी, जिसकी वजह से धारा 302 की जगह पर धारा 323 लागू करनी पड़ी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने इसका संशोधित उत्तर दे दिया है, क्योंकि मैं पूर्व उत्तर से संतुष्ट नहीं था। धारा 302 की जगह पर विवेचना अधिकारी ने धारा 323/201 लगा दी और जब मैंने जानकारी की तो यह पाया कि वह आदमी थाने में मर गया था। पहले वाले उत्तर को न्यायालय में टाइम बार की वजह से नहीं भेजा गया, इसलिए यह संशोधित उत्तर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि विवेचना अधिकारी और उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इसमें तथ्यों को छिपाने की कोशिश की, सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, जिस व्यक्ति का यह मामला है, वह जिन्दा है या मर गया है। यदि मर गया है तो धारा 302 होनी चाहिये या फिर धारा 304 होनी चाहिये थी। अगर जिन्दा होता तो धारा 323 होनी चाहिये थी, 302 से 323 में इसे बदला गया, इससे साफ जाहिर होता है कि व्यक्ति पहले मर गया था, दोषों को छिपाने के लिए इस किस्म का कार्य किया गया। क्या माननीय मंत्री जी इसकी पुनः जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेंगे कि कौन से परिस्थितियों में ऐसा किया गया ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि धारा 304 हो सकती थी

या फिर धारा 302 होनी चाहिए थी। धारा 302 को धारा 323 में परिवर्तित कर दिया गया। मैं इसकी जांच कराऊंगा, यह मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। और जिन लोगों ने इसमें लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय वित्त मंत्री जी जो माननीय सदस्य गैर-हाजिर हैं, उनसे 40-40 रुपये वसूल किए जाने पर आप विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, यह वसूली का काम राजस्व मंत्री जी करते हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, इलाहाबाद

तहसील मेंजा के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण, फर्जी मान्य रोल एवं धांधली

*13—श्री रेवती रमण सिंह (अनुपस्थित)

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में मेजा तहसील में अस्थायी खण्ड नं0-1 द्वारा निर्माणाधीन सड़कों में व्यापक धांधली एवं फर्जी मस्टर रोल बनाकर सरकार को काफी क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच गुप्तचर विभाग से करायेगी ? यदि नही तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ मेडिकल कालेज में श्री शीलवर्द्धन की मृत्यु एवं डा0 विजय दीक्षित के विरुद्ध थाने में अंकित रिपोर्ट

*14—राजकुमार राय (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मेडिकल कालेज में दिनांक 1 मार्च, 1983 को शीलवर्द्धन नामक युवक की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो क्या श्री शीलवर्द्धन के पिता ने चेस्ट स्पेशलिस्ट श्री विजय दीक्षित के विरुद्ध कोई रिपोर्ट उसी दिन चौक थाने लखनऊ में दर्ज करायी थी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है एवं उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1 मार्च, 1983 को नहीं बल्कि दिनांक 21/22-2-83 को दुर्घटनाग्रस्त घायल श्री शीलवर्द्धन नामक युवक की मृत्यु रात्रि में 00·45 बजे लखनऊ मेडिकल कालेज के इमरजेंसी वार्ड में हुई।

जी हां। मृतक के पिता द्वारा दिनांक 28-2-83 को थाना चौक कौतवाली, लखनऊ में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी जिसमें मेडिकल कालेज, लखनऊ में दिनांक 21-2-83 को ड्यूटी पर कार्यरत डाक्टर एस0 बी0 सिंह, डा0 एम0 पी0 सिंह एवं डा0 विजय दीक्षित चेस्ट सर्जन के विरुद्ध मृतक के उपचार में असावधानी बरतने आदि की शिकायतें की गयी थी। इस सम्बन्ध में मु0 अ0 सं0 177/83 धारा 304-ए भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया विवेचना से मृतक शीलवर्द्धन के उपचार में चिकित्सकों के विरुद्ध असावधानी बरतने के आरोप सही नहीं पाये गये। अतः इस अभियोग की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा दिनांक 19-8-83 को समाप्त कर दी गयी, जो 23-12-83 को न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी।

ग्राम सालिमपुर निवासी उषादेवी की हत्या से सम्बन्धित थाना औराई, जिला वाराणसी में लिखायी गयी रिपोर्ट

*15—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 20-7-83 को थाना औराई,

जिला वाराणसी में धारा 302, 201, भा० द० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट, दुर्गा प्रसाद तिवारी, गांव सालिमपुर, थाना भदाही, जिला वाराणसी ने अपनी बहन उषा देवी की हत्या करने के सम्बन्ध में लिखाई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जी हां ।

विवेचना प्रचलित है ।

श्री ऊदल--

यह विवेचना किसके द्वारा हो रही है और कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

माननीय सदस्य को जानकर यह खुशी होगी कि इसमें विवेचना पूरी हो चुकी है और हमारे अधिकारियों ने इसमें बड़ी तत्परता बरती । दिनांक 19-4-1984 को चार्जशीट भेज दी गयी है ।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, यह मामला भी पूर्व मामले की तरह है । इसमें भी धारा 302 वाली बात है । माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एहतियात बरतते हुए कि कहीं इसमें भी धारा 302 की धारा 323 में न बदल दिया जाय, अपनी कुछ व्यवस्था देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को आज्ञा आपको नहीं दे रहा हूं ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे । हालांकि मैंने अपने प्रश्न में इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया था, चूंकि यह दहेज से सम्बन्धित मामला है, इसलिए क्या सरकार इस मामले पर विशेष ध्यान देगी ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि चार्ज-शीट सबमिट हो गई है और जो दोषी व्यक्ति पाये गये हैं, वे सभी गिरफ्तार हो गये हैं तथा वे अभी जेल में ही हैं । किन्तु एक व्यक्ति फरार है, उसकी कुड़की कर ली गयी है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग को कारों का हस्तान्तरण

*16--श्री पंचानन राय (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 जुलाई, 1983 से दिनांक 18 नवम्बर, 1983 तक राज्य सम्पत्ति विभाग की कितनी कारें व जीपें नीलाम या बेची गयी ? प्रत्येक कार तथा जीप कितनी धनराशि में नीलाम या बेची गयी तथा किन व्यक्तियों को दी गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दिनांक 31 जुलाई, 1883 से दिनांक 18 नवम्बर, 1983 तक की अवधि में राज्य सम्पत्ति विभाग की कोई भी कार या जीप नीलाम पर नहीं बेची गयी । इस अवधि में परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित मूल्य पर राज्य सम्पत्ति विभाग की 10(दस) निष्प्रयोज्य एम्बेस्डर गाड़ियां निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 1(एक) एम्बेसडर कार राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को हस्तान्तरित की गयी जिसका विवरण वांछित सूचना के साथ संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 114 पर ।)

तत्कालीन पशुधन अधिकारी, बुलन्दशहर, श्री आर0 एस0 वर्मा द्वारा लोभिया खरीद में घोटाला तथा जांच

*17--श्री किरन पाल सिंह--

क्या पशु धन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन पशुधन अधिकारी, बुलन्दशहर (श्री आर0 एस0 वर्मा) के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता ने 29 जुलाई, 1982 को जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को लोभिया खरीद घोटाला के सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा था ? क्या जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने पर परगनाधिकारी ने छापा डालकर बहादुर नगर, बुलन्दशहर स्थित भवन से लोभिया के सैम्पुल सीलड किए गये थे ? क्या यह सही है कि जाँचोपरान्त श्री आर0 एस0 वर्मा को गम्भीर अनियमितता व आर्थिक भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पशुधन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)—

जी हां ।

शिकायत की जांच डिप्टी कलेक्टर द्वारा करायी गयी थी जिन्होंने पशु चिकित्सालय गुलावटी तथा बी0बी0 नगर जाकर सैम्पुल लिए ।

सैम्पुलों का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि सैम्पुल गायब पाये गये । अतः प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच करायी जायेगी ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो सैम्पुल गायब होने की बात कही गयी है, यह किस स्थान से गायब हो गये ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से, कहना चाहूंगा कि इस सैम्पुल के बाबत, आज जवाब देने के पूर्व, जो जवाब आया था अधिकारियों की तरफ से, वह इससे भी कहीं अजीबोगरीब था । लेकिन जब मैंने इसकी जांच की थी तो यह पाया कि इसका कहीं से कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है । इसलिए तुरन्त ही मैंने आदेश दिये, इसमें पूरी जांच की जायेगी । मान्यवर, जब इसमें जानकारी होगी, तब मैं सदन को उससे अवगत कर दूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर भ्रष्टाचार का मामला है ।

श्री मोहन सिंह--

इसे स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, जो आपने उत्तर दिया है, मैं भी बुलन्दशहर का रहने वाला हूं, आप इस मामले की पुनः जांच करायेंगे, फिलहाल मैं इसे स्थगित करता हूं और, जांच कराने के बाद, आप स्वयं इसमें कार्यवाही करेंगे, उससे माननीय सदस्य को भी बतायेंगे और मुझको भी बतायेंगे ।

सचिवालय के उद्योग अनुभाग--12 के अनुभाग अधिकारी श्री गिरधारी राम सोनकर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*18--श्री सुरेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारी, उद्योग अनुभाग--12 के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र सितम्बर, 1983 व 11 नवम्बर, 1983 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र में कौन-कौन तथ्य थे तथा उन

पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, उद्योग अनुभाग--12 के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी, श्री गिरधारी राम सोनकर के विरुद्ध शासन को शिकायती-पत्र दिनांक 19-9-1983 तथा 11-11-1983 और एक दिनांक-रहित पत्र दिनांक 26-9-1983 को प्राप्त हुए । उक्त शिकायती-पत्रों में श्री सोनकर के विरुद्ध बालू आदि के पट्टों में आर्थिक लाभ के लिये अनियमितता कराने, अनुचित नियुक्ति कराने आदि के आरोप लगाये गये हैं । इन आरोपों की जांच करायी जा रही है ।

भूतपूर्व आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के विरुद्ध आवासीय योजनाओं में घपला किये जाने सम्बन्धी प्रकाशित समाचार

*19--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक सुधार विभाग के वर्तमान सचिव (भू0 पू0 आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा) के विरुद्ध आगरा मण्डल के किसी जनपद की भूमि सम्बन्धी घपला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है तथा उस घपले के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराते हुए शासन के विधि परामर्शी (न्याय सचिव) ने सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराए जाने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रमोद कुमार--

तत्कालीन आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा, (सम्प्रति सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग) के विरुद्ध समाचार पत्र दैनिक "आज" के दिनांक 12-3-1983 के संस्करण में "आयुक्त, की संदिग्ध भूमिका" शीर्षक के अन्तर्गत आगरा की कतिपय आवासीय योजनाओं में घपला किये जाने का समाचार प्रकाशित हुआ था ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक छानबीन की गयी । शासन के विधि परामर्शी (न्याय सचिव) द्वारा तथाकथित आरोपों के लिये आयुक्त के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराने की कोई संस्तुति नहीं की गयी । अतएव सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी का उत्तर माननीय मन्त्री जी ने पढ़ा अभी, इसे आपने भी सुना । मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है अपने उत्तर में कि दैनिक "आज" के दिनांक 12-3-1984 के संस्मरण में "आयुक्त, की संदिग्ध भूमिका" शीर्षक के अन्तर्गत आगरा की कतिपय आवासीय योजनाओं में घपला किये जाने का समाचार प्रकाशित हुआ था । मान्यवर, एक सम्मानित पत्र ने जब अपने शीर्षक में यह समाचार छापा था । आपने समाचार के आधार पर ही लिखा कि मैंने इसकी छानबीन की थी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब यह सूचना मिली तो उसकी बिना पर किस एजेन्सी के द्वारा छानबीन शुरू की गयी और दूसरे वह छानबीन करने वाला व्यक्ति कौन था ? तीसरे जो छानबीन के तहत जो उन्हें रिपोर्ट प्राप्त हुई है, क्या उसे माननीय मन्त्री जी, आदरणीय सदन के समक्ष पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह कहीं से कोई स्पष्ट आरोप नहीं आये थे, पर "आज" नामक अखबार में कुछ तथ्य प्रकाशित हुए थे । चूंकि यह अधिकारी से सम्बन्धित था, तो इसलिए मुख्य सचिव ने मान्यवर इसके लिये आदेश दिया कि इसकी छान-

बीन की जाय । सारी प्रकरण मान्यवर आवास से सम्बन्धित था, इसलिए आवास सचिव और उनके कार्यालय से छानबीन की गयी । और चूंकि छानबीन में कोई तथ्य सामने नहीं आये, इसलिए मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर में बताया कि छानबीन में कोई तथ्य सामने नहीं आये । आवास सचिव ने छानबीन की । सचिव स्तर पर मान्यवर, जब छानबीन की गयी, तो उन्होंने कोई तो रिपोर्ट मुख्य सचिव को दी होगी, वह रिपोर्ट क्या है ? दूसरे, मान्यवर, मैं यह माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं, संभवतः माननीय मन्त्री जी को नहीं बताया गया है ।

क्या जाने-अनजाने में कभी विधि परामर्शी को भी यह मामला सन्दर्भित किया गया ? यदि किया गया, तो क्या इस आदरणीय सदन को सूचित करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मैं स्पष्ट कर दूं कि विधि परामर्शी की कोई राय सतर्कता जांच के बारे में नहीं ली गयी । आयुक्त, नगर विकास के यहां से छानबीन की गयी, कोई भी तथ्य सामने नहीं आये । जहां तक माननीय सदस्य जानकारी चाहेंगे कि आयुक्त की रिपोर्ट क्या है, तो इसमें 5 स्कीमों के नाम लिये गये थे.-चर्च रोड हाउसिंग स्कीम, खन्दारी हाउसिंग स्कीम, भरतपुर हाउसिंग स्कीम, गुरु का ताल हाउसिंग स्कीम, गुरु का ताल हाउसिंग स्कीम नं0 3, इस सम्बन्ध में छानबीन की गयी, किन्तु कोई भी तथ्य नहीं मिले जिससे कि दूर दराज का भी सम्बन्ध थापित होगा । मात्र समाचार-पत्र में बात आ जाय, उसके आधार पर बिना छानबीन के कार्यवाही की जाय, उचित नहीं है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

माननीय मन्त्री जी ने स्वयं 4-5 योजनाओं के नाम बताये । उन्होंने बताया कि तत्कालीन आयुक्त महोदय इसमें सम्मिलित थे और छानबीन हुई । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि छानबीन हुई तो रिपोर्ट क्या हुई ? जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, यह आवासीय मामलों के आचार्य हैं । आपको पता नहीं मालूम है या नहीं, इन्होंने निशातगंज, लखनऊ में ढाई लाख रुपये की कीमत का मकान सिर्फ 60 हजार रु0 में खरीदा, जिसकी इन्कम टैक्स डिपार्टमेन्ट में आंच चल रही है । मैं जानना चाहता हूं कि आवास आयुक्त महोदय की जो पूरी रिपोर्ट है, वह अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को बताने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठें ।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

दो बार पुनरावृत्ति करते हुए माननीय मन्त्री जी ने कहा कि छानबीन की गयी, नाम लिया मुख्य सचिव का और आवास सचिव का । दो-दो सचिवों ने जांच की, छानबीन की, तो आखिर कुछ रिजल्ट तो निकला होगा, कोई रिपोर्ट तो आयी होगी । कलेक्टर, कमिश्नर को लिखा होगा, जो भी कागजात सामने हों, उन्हें पढ़कर बता दें ।

श्री प्रमोद कुमार—

मैं स्पष्ट कर दूं कि मुख्य सचिव ने, जब समाचार-पत्र की कतरन उनके पास गयी, उनको आधार पर मानकर, चूंकि यह मामला नगर विकास से सम्बन्धित था, आयुक्त और सचिव से कहा गया कि इस प्रकरण में पूरा जांच देख लें । इसी सन्दर्भ में आयुक्त जो थे श्री माता प्रसाद जी, उनका भी बयान लिया गया, उन्होंने भी स्थिति स्पष्ट की और जगह से भी स्थितियां स्पष्ट

हुई । कोई जांच नहीं हुई कि जांच आख्या आये । कोई तथ्य ही नही थे तो जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी---

मान्यवर, आप ही इसका फैसला कर दें । पहले माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि छानबीन की गयी, जांच हुई, फिर कहते हैं कि जांच नहीं हुई । क्या जुबानी ही कह दिया गया और उन्होंने भी जुबानी ही बता दिया । यह शासन है या पन्सारी की दुकान है ? मैं चाहता हूं कि सारी पत्रावली इस आदरणीय सदन को बताने की कृपा करें ?

श्री प्रमोद कुमार---

जब कोई जांच नहीं हुई, तो कौन सी पत्रावली प्रस्तुत कर दूं ?

श्री विजय सिंह राना---

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, गुरु का ताल योजना के अन्तर्गत निर्भय कालोनी बन रही है, उसकी जमीन रिलीज करायी गयी । मैं जानना चाहता हूं कि निर्भय कालोनी के नाम से जमीन कौन से आधार पर रिलीज की गयी है, उसके तथ्य क्या हैं ?

श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, नियमानुसार जो भी कार्यवाही अपेक्षित थी वह जिलाधिकारी स्तर पर ही समाप्त हो गयी, इसमें आगे किसी स्तर पर कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पड़ी ।

श्री भीखालाल---

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि छान-बीन की गयी और इससे पहले कहा कि जांच करायी गयी और अब कह रहे हैं कि जांच नहीं करायी गयी । इस प्रकार से जो उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, उससे सदन संतुष्ट नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी सदन की भावनाओं को देखते हुए पुनः सतर्कता विभाग से जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार---

पेपर की कटिंग के आधार पर इस मामले में कार्यवाही छान-बीन की करवा ली गयी । यदि कोई स्पष्ट आरोप आप लोगों के तरफ से आयेंगे तो फिर उस पर जांच करवा ली जायेगी ।

(शोर)

श्री श्याम लाल वाजपेयी---

माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी सदारत में माननीय मंत्री जी ने कभी कहा कि मामले की छान-बीन हुई, कभी कहा कि जांच हुई और कोई तथ्य सामने नहीं आये और अब कह रहे हैं कि कोई स्पष्ट आरोप आप दें तो जांच करायी जायेगी । तो मान्यवर, इस आदरणीय सदन से बढ़कर भी और कोई चीज हो सकती है, इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं जैसा कि माननीय भीखा लाल जी व अन्य माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा वह और मैं भी स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि जिस आधार पर दोनों सचिवों ने जांच की क्या उसी आधार पर पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे और इसकी घोषणा क्या इस आदरणीय सदन में करेंग ? कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री विजय सिंह राना---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । इस मामले में जो चार्जेज अखबार में निकले हैं, उनके मूल आधार यह हैं कि गुरू का ताल नाम की योजना के अन्तर्गत जितनी कालोनियां बनी हैं, उनमें से एक निर्भय कालोनी भी बन रही है, जिसकी जमीन सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत आती है, उसमें पूरी जांच न करके जमीन रिलीज कर दी गयी है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि उस जमीन के रिलीज किये जाने के कारण क्या हैं क्या उसकी जांच करायेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

इसमें सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री विजय सिंह राना—

हां सूचना मंगवाकर जांच करवा दीजिए, स्पष्ट हो जायेगी ।

नैनीताल, बुक हिल हाउस के बाथरूम में टाइल लगाने में एवं ओक पार्क के सूटों में पावर प्लग लगाने हेतु स्वीकृत धनराशि

*20—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा बुक हिल हाउस, नैनीताल के बाथरूमों में टाइल आदि लगाने के लिए—एक लाख इक्कीस हजार रुपया तथा ओक पार्क के पच्चीस विधायक सूटों में पावर प्लग लगाने के लिए 27,20.00 रुपया गत वित्तीय वर्ष में मन्जूर किया था और यह सारा रुपया खर्च कर दिया गया है, लेकिन कोई भी कार्य नहीं किया गया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1982-83 में स्वीकृत धनराशि के सम्मुख कार्य 83-84 तथा 84-85 में पूर्ण करा लिया गया है ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, जिस प्रकार से इस मामले में काफी घोटाला हुआ है इसी प्रकार से पर्वतीय अंचल में अनेकों मामले घोटाले के चल रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने कहा कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न शासन के विचाराधीन है तो यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री प्रमोद कुमार—

इसमें मान्यवर, कोई घोटाला या घपला नहीं है, इसमें जो धनराशि आवंटित की गयी थी, उस धनराशि का समय से उपयोग नहीं हो पाया, इसलिए उसकी जांच करायी जा रही है कि यह धनराशि समय से उपयोग क्यों नहीं हो सकी ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसी परम्परा रही है आज तक की, मान्यवर, इन्हें तो डूबना ही है लेकिन ये तो प्रदेश को डुबा जा रहे हैं, मेरी निश्चित जानकारी है कि इसमें घोटाला हुआ है । मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न शासन के विचाराधीन है तो वे दोषी व्यक्ति कौन-कौन हैं और उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार—

यह धनराशि 31-3-83 को स्वीकृत हुई, उसका उपयोग उसी वर्ष हो सकता था । लेकिन ये कह रहे हैं कि भीषण घोटाला हुआ है, तो यदि उनकी जानकारी में यह बात है तो बतला दें, उसे विखवा लिया जायेगा और जैसी रिपोर्ट आयेगी, कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, 31-3-83 को यह मामला प्रकाश में आया 31 तारीख को लास्ट में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात के 12 बजे तक पूरा का पूरा रुपया यूटीलाइज किया जाता है, इसमें लाखों रुपया का घोटाला हुआ है, जो कि विधायक निवासों की मरम्मत के लिये दिया गया था । मैं भार साधक मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें जो जांच हो रही है, तो यह मामला कब आपके संज्ञान में आया, आप

किस ऐजेन्सी से इसकी जांच करा रहे हैं और जो जांच चल रही है उसकी फाईन्डिंग्स क्या हैं ?

श्री प्रमोद कुमार—

इसमें जो धनराशि आवंटित की गयी थी वह 31-3-83 को की गयी थी। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद 31-3-84 तक उसका उपयोग हुआ। जितना पैसा था उसका पूरा उपयोग करा लिया गया है, कार्य समाप्त हो गया है। इसमें सिर्फ मुद्दा यह है कि निश्चित समय से इसका उपयोग क्यों नहीं किया गया। इसी की जांच हो रही है। यदि कार्यवाही इसमें होगी, तो इस बात पर ही होगी कि समय से पैसे का उपयोग क्यों नहीं किया गया।

अतारांकित प्रश्न

थाना हैदरगंज, जिला फैजाबाद में श्री बिन्देश्वरी प्रसाद पांडेय द्वारा सुरक्षा विषयक दिया गया प्रार्थना-पत्र

1—श्री राजेन्द्र सिंह चौहान—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कि विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के उत्तर म निम्नलिखित श्री बिन्वेश्वरी प्रसाद पान्डेय के दिनांक 14-4-81 का प्रार्थना पत्र थाना हैदरगंज, जिला फैजाबाद में प्राप्त हुआ था ? यदि तो क्या उसमें प्रार्थी ने अपने जन माल की सुरक्षा का अनुरोध किया था ? यदि ऐसा अनुरोध किया गया था तो उस पर क्या कार्यवाही हुई। यदि नहीं, तो क्यों तथा उभय पक्षों में किसकी उपस्थिति में कब और क्या समझौता हुआ तथा उसके अनुपालन में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

फैजाबाद जिले के विहरई में विद्युत् कनेक्शन

1-अ—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद ब्लाक टांडा के अन्तर्गत निवासियों द्वारा लाईट कनेक्शन लिये जाने हेतु दिसम्बर, 1979 में अनष्ट मनी 25 रुपये के हिसाब से 7 व्यक्तियों द्वारा धनराशि जमा की जा चुकी है तथा फरवरी, 1981 में खम्भा व तार ट्रांसफारमर लगा दिया गया है तथा माह मार्च, 1983 में ट्रांसफार्मर तक विद्युत् सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ट्रांसफार्मर के आगे ग्रामीणों का कनेक्शन हेतु खम्भा व तार खींचकर विद्युत् सप्लाई की जा रही है ? यदि नहीं, तो उक्त मामले में इतने विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सेवायोजन कार्यालय, गाजीपुर में पंजीकृत बेरोजगार

2—श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)—

क्या श्रम मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के सेवा नियोजन (इम्पलायमेंट आफिस) में शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों की पंजीकृत संख्या 22-2-1984 तक कितनी रही है तथा वर्ष 1983-84 में इस कार्यालय में पंजीकृत बरोजगारी में से कितने लोगों को जनपद के कितने सरकारी विभागों में नियुक्तियां की गयी हैं ?

श्री सुशील शास्त्री—

वर्तमान में शैक्षिक वर्गीकरण के अनुसार पंजीकृत बेरोजगारों के आंकड़े अर्धवार्षिक आधार पर संकलित करने की व्यवस्था है। तद्नुसार दिनांक 31-12-1983 को जिला सेवायोजन कार्यालय, गाजीपुर की जीवित पंजिका पर कुल 23,290 अभ्यर्थी उपलब्ध थ

जिनमें 16,692 अभ्यर्थी शिक्षित थे एवं 6,598 अभ्यर्थी अशिक्षित थे ।

वर्ष 1983-84 में सेवायोजन कार्यालय गाजीपुर के माध्यम से 184 पंजीकृत बेरोजगारों को 29 सरकारी विभागों में सेवानियोजित कराया गया ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया को सड़क निर्माण हेतु दी गई धनराशि

3--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में प्रान्तीय खंड, देवरिया को वर्ष 1983-84 में सड़क निर्माण हेतु कितने रुपये दिये गये हैं और उस रुपये से कौन-कौन सड़क बनी है ? क्या हेतिमपुर महुआडीह सड़क को बनाने हेतु पैसा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया को वर्ष 1983-84 में सड़क निर्माण हेतु कुल 99·73 लाख रुपये प्राप्त हुआ ।

उपरोक्त धनराशि से भिन्न-भिन्न स्तर तक बनायी गयी सड़कों की सूची संलग्न है ।

इस मार्ग के स्वीकृत भाग तक के निर्माण हेतु वर्ष 1983-84 में कि 4·00 लाख रुपये प्राप्त हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 115 पर ।

ग्राम सैंबसू, जिला कानपुर में हुई हत्या के सम्बन्ध में श्रीमती राम प्यारी की गिरफ्तारी तथा श्री महेश चन्द पन्डेय एवं एवं श्री राजेश शुक्ल का तत्सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

4--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि गांव सैंबसू, थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर (देहात) में दिनांक 1-12-1983 को श्री भूधर नारायण मिश्र के भतीजे की हत्या के सम्बन्ध में 4-12-1983 को 4 बजे शाम को हत्याभियुक्त राजेश शुक्ल की 75 वर्षीय मां को उसके घर से थाना बिल्हौर ले जाकर श्रीमती राम कुमारी को उसी हत्या के मामले में जेल भेज दिया गया ? यदि हां, तो क्यों हत्या की प्रथम रिपोर्ट में श्रीमती राम कुमारी भी नामजद अभियुक्त थी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

श्रीमती रामकुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । श्रीमती राम कुमारी का नाम प्रथम सूचना में अंकित नहीं था वरन् विवेचना के मध्य प्रकाश में आया था ।

5--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें व आई० जी० पुलिस तथा गृह सचिव को श्रीमती राम कुमारी पत्नी श्री राजा राम शुक्ल, निवासी गांव सैंबसू, थाना बिल्हौर द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 1983 को रजि० ए० डी० से प्रेषित प्रार्थना-पत्र जिसमें आवेदिका ने इसका भी उल्लेख किया है कि उसके पुत्र राजेश शुक्ल की रिपोर्ट थाना बिल्हौर की पुलिस द्वारा नहीं दर्ज की गयी, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

6--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजेश शुक्ल व श्री महेश चन्द्र पान्डे

द्वारा हस्ताक्षरित थाना बिल्हौर के गांव सेबसू में वैध तथा अवैध शस्त्रों के बल पर अराजक तत्वों को बढ़ावा और मनमानी गुन्डागर्दी विषयक, विगत 7 अक्तूबर, 1983 को प्रेषित एक-एक प्रार्थना पत्र पुलिस महानिरीक्षक व जिला अधिकारी, कानपुर (देहात) तथा पुलिस अधीक्षक, कानपुर (देहात) को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

जांच से, प्रार्थना-पत्र, पेशबन्दी में दिया गया प्रमाणित हुआ ।

श्री मुन्नी लाल अवस्थी अनुसचिव, नियुक्ति विभाग सचिवालय के स्थानान्तरण की मांग

7--श्री गोपीनाथ वर्मा--

प्रथम सत्र 1984 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि वर्तमान अनुसचिव (श्री मुन्नी लाल अवस्थी) नियुक्ति विभाग में गत 6-7 वर्षों से निरन्तर विभिन्न पदों पर इसी विभाग में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो शासकीय नीति के अधीन उनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । प्रसंगत पद के सम्बन्ध में ऐसी कोई शासकीय नीति नहीं है जिसके अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण किया जाना हो ।

वन विभाग के आठ डी0 एफ0 ओ0 एवं श्री दया शंकर सिंह की संदिग्ध सत्यनिष्ठा

8--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या वन मन्त्री यह बतायेंगे कि वन विभाग में ऐसे कितने डी0 एफ0 ओ0 हैं जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है ? क्या उनको डिवीजन के चार्ज में न रखे जाने के बारे में कोई प्रश्न विचाराधीन है ? श्री दया शंकर सिंह की सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने पर भी उन्हें ओबरा चार्ज में रखा गया है ? यदि हां, तो कब तक उस पर निर्णय हो जायगा ?

श्री संजय सिंह--

वन विभाग में आठ डी0 एफ0 ओ0 की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है । इन्हें डिवीजन के चार्ज में न रखे जाने का कोई प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है । श्री डी0 एस0 सिंह को डिवीजन के चार्ज से हटा दिया गया है ।

लखनऊ नरही निवासी श्री राज कुमार गुप्ता की हत्या

9--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या सरकार बतायेगी कि 5 दिसम्बर, 1983 को आर्ट कालेज, लखनऊ के सामने बन्धे पर नरही निवासी राज कुमार गुप्ता पुत्र श्री मेंहगी लाल गुप्ता की हत्या में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार मामले की सी0 आई0 डी0 जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में थाना हसनगंज पर अपराध संख्या 481/83 धारा 302 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोग की विवेचना प्रचलित है ।

प्रश्नगत मामले की जांच अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किये जाने हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

श्रीमती कमला देवी, निवासी फर्रुखाबाद की शिकायतों की अपराध अनुसंधान अधिष्ठान द्वारा जांच

10--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला देवी, निवासिनी, जनपद फर्रुखाबाद की शिकायत की जांच अपराध अनुसन्धान शाखा, कानपुर क्षेत्र द्वारा की गयी थी, जिसकी जांच आख्या संख्या 217/81 अपराध अनुसंधान शाखा है ? यदि हां, तो क्या जांच के फलस्वरूप दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई मुकदमा कायम किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई जांच से दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अभियोजन की कार्यवाही विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश विद्युत् मजदूर संघ का मांग-पत्र और हरदुआ-गंज ताप विद्युत् गृह परियोजना कासिमपुर (अलीगढ़) के कर्मचारियों का भवन निर्माण अग्रिम

11--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं/मांगों से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश विद्युत् मजदूर संघ का 55 सूत्रीय मांग-पत्र संख्या 388/वि० म० संघ/83 (1), दिनांक 10 अगस्त, 1983 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या 55 सूत्रीय मांगों पर संघ के साथ विद्युत् परिषद् अथवा शासन स्तर पर कोई द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

राज्य विद्युत् परिषद् के स्तर पर मांगों का परीक्षण किया गया एवं सम्बन्धित यूनियन को दिनांक 1 नवम्बर 1983 को इस सम्बन्ध में स्थिति से अवगत करा दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

12--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत् परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत कितने कर्मचारियों के भवन निर्माण अग्रिम हेतु प्रार्थना-पत्र विचाराधीन पड़े हैं तथा उन्हें कब तक भवन निर्माण अग्रिम का भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

151 कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं । कर्मचारियों द्वारा आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने तथा धन उपलब्ध होने पर ही भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत करना सम्भव हो पायेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) के श्रमिकों की मजदूरी की दर

13--श्री बाबूराम--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में ठेकेदारों के माध्यम से कितने श्रमिक (कान्ट्रैक्ट लेबर) नियोजित किये गये हैं

तथा उनको किस दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है ? क्या कान्ट्रैक्ट लेबर को दी जा रही मजदूरी विद्युत् परिषद् के आदेश संख्या 2124--एक० ए०/र० वि० प० ओ० सं० 18/83-9-एस/76, दिनांक 3 नवम्बर, 1983 के अनुकूल नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्रश्नगत परियोजना में 410 श्रमिक कान्ट्रैक्ट लेबर के माध्यम से नियोजित किये गये हैं, जिन्हें रु० 8.32 पैसे प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है ।

जी हां । प्रश्नगत परिषदादेश में पारित आदेशों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाने एवं स्पष्टीकरण मांगे जाने के कारण इस आदेश का परिपालन नहीं हो सका । राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा सम्बन्धित बिन्दुओं का पुनः वैधानिक परीक्षण कान्ट्रैक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एन्ड एबालीशन) ऐक्ट 1970 के आधार पर किया गया और उसके उपरान्त आवश्यक स्पष्टीकरण सहित समस्त अधीनस्थ इकाइयों/परियोजनाओं को उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों का पूर्णतया, विधिवत् क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु परिषदाज्ञा संख्या 707-डब्लू० बी०/एस० ई० बी०-ए० एस०--18/84-9 एम०/76, दिनांक 29 मार्च, 1994 को पुनः निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

सभी अंग रक्षकों को शैडो एलाउन्स का न दिया जाना

14--श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि मन्त्रियों के पास जो शैडो ड्यूटी में लगे हैं उन्हें शैडो एलाउन्स प्रति माह वेतन के साथ दिया जाता है तथा जो शैडो जिलों में विधायकों या एम० पी० के साथ लगे हैं उन्हें शैडो एलाउन्स 4 वर्ष से नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

अभिसूचना विभाग के अंगरक्षक संवर्ग में से जहां-जहां अंगरक्षक नियुक्त होते हैं उन्हें वे सभी भत्ते स्वतः मिल जाते हैं जो अभिसूचना विभाग के पदानुसार अन्य कर्मचारियों को देय होते हैं । उन्हें शैडो ड्यूटी हेतु अलग से अन्य भत्ते नहीं दिये जाते हैं । अंगरक्षक संवर्ग के नियतन में अंगरक्षक उपलब्ध न होने की अवस्था से जिला पुलिस में आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी जो अंगरक्षक ड्यूटी हेतु प्रशिक्षित हैं, उन्हें अंगरक्षक ड्यूटी हेतु अस्थायी तौर पर आवश्यकता-नुसार नियुक्त किया जाता है और उस प्रकार की नियुक्ति पर उन्हें भी अंगरक्षक संवर्ग से नियुक्त अंगरक्षक की भांति विशेष वेतन आदि देय हो जाते हैं । इसकी स्वीकृति जनपदों से प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर दी जाती है ।

प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक, प्रभारी को निर्देश दे दिये गये हैं कि ऐसे सभी कर्मचारियों को जिन्हें शैडो ड्यूटी पर लिये जाने पर देय भत्ते अब तक न दिये गये हों उनके बारे में शीघ्र प्रस्ताव भेजें, जिससे ऐसे मामलों में देय भुगतान की कार्यवाही पूरी की जा सके ।

15--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[10वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

थानाध्यक्ष, जहानाबाद, आजमगढ़ द्वारा श्री सरजू भर की मुठभेड़ दिखाकर की गयी हत्या

16--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 28-29 जनवरी, 1984 की रात थाना जहानाबाद, जिला आजमगढ़ के थानाध्यक्ष ने सरजू भर, रानीपुर धरवा की मुठभेड़ दिखा कर हत्या कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार

इसकी अनसन्धान शाखा सी0 आई0 डी0 से जांच करायेगी और उक्त थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार सरजू भर जिसका अपराधिक इतिहास रहा है दिनांक 28/29 जनवरी, 1983 की रात में ग्राम-गौधरा की हरिजन बस्ती के समीप डकैती की योजना बनाते समय पुलिस डकैत मुठभेड़ में मारा गया है। इस घटना के सम्बन्ध में भा0 द0 वि0 की धारा 399/402/307 तथा आर्म्स ऐक्ट की धारा 25 के अधीन अपराध दर्ज करके निष्पक्षता की दृष्टि से दूसरे थाने के थानाध्यक्ष को विवेचना का कार्य सौंपा गया है। ऐसी दशा में इस मामले की अपराध अनुसंधान विभाग से जांच कराने तथा जहानागंज के थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

थाना बलुआ, जिला वाराणसी के बोझवा नदेसर रामदत्तपुर पजौरा आदि ग्रामों में कथित डकैती की घटना तथा सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

17--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना बलुआ, जिला वाराणसी के बोझवा गांव में एक हरिजन बस्ती दिसम्बर, 1983 में लूट ली गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गयी ? क्या यह भी सत्य है कि मल्लाह टोलिया नदेसर कुशवाहा, रामदत्तपुर, पजौरा, थाना बलुआ में दिसम्बर, 1983 में डकैती हुई और रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गयी ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त गांवों के लोगों ने एस0 पी0 आर0 ए0, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र दिया है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित गांव में दिसम्बर, 1983 में डकैती की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई क्योंकि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। अतः थाने पर रिपोर्ट लिखे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न में उल्लिखित गांवों के लोगों द्वारा कथित डकैती की रिपोर्ट थाने में न लिखे जाने के विषय में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) वाराणसी को कोई प्रार्थना-पत्र का दिया जाना नहीं पाया जाता है।

गांव दशरथपुर, थाना जनसा, जिला वाराणसी में डकैती

18--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव दशरथपुर, थाना जन्सा, जिला वाराणसी में 28/29 जनवरी, 1984 को रात सात घरों को लूटा गया, इसकी भी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी ? क्या यह सही है कि वहां के नागरिकों ने एस0 पी0 आर0 ए0, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र दिया है ? इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार प्रारम्भ में ग्राम प्रधान आदि द्वारा जो प्रार्थना-पत्र थाने पर दिया गया था उसमें लूट-पाट का कोई उल्लेख नहीं था। अतः इस सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया था। नागरिकों द्वारा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को दिए गए प्रार्थना-पत्र के आधार पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 395/397, भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

थाना महराजगंज, गोरखपुर के सब-इंस्पेक्टर श्री आशुतोष शर्मा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

19--फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतलायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक शिकायती-पत्र जो

थाना महराजगंज, जनपद गोरखपुर के सब-इंसपेक्टर श्री आशुतोष शर्मा के विरुद्ध जो लोकदल के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के सम्बन्ध में है, दिनांक 24 जनवरी, 1984 जो ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को सम्बोधित तथा प्रतिलिपि मुख्य मन्त्री को भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी । जिसमें आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत् वितरण खंड, (द्वितीय) मेरठ के अवर अभियन्ता श्री बृज भूषण शर्मा को रिश्वत के सम्बन्ध में निलम्बन न किया जाना

20---श्री दामोदर शर्मा---

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बतायेंगे कि विद्युत् वितरण खंड द्वितीय मेरठ में एक वर्ष पूर्व (श्री बृज भूषण शर्मा) अवर अभियन्ता, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उसको अभी तक निलम्बित न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त---

जी हां ।

इन्हें निलम्बित किया गया था किन्तु 6 माह से अधिक समय बीत जाने पर भी न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण शासनादेशों के अनुरूप दिनांक 20 फरवरी, 1983 से सेवा में बहाल कर दिया गया ।

मत्स्य पालन विभाग द्वारा ग्राम थाना बसवारा, जिला हमीरपुर की ली गयी कथित भूमि

21--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या मत्स्य पालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम थाना बसवारा, जिला हमीरपुर, तहसील महोबा के नीचे लिखे खसरे तथा रकबा मत्स्य पालन विभाग, चरखारी (हमीरपुर) के हैं ? यदि हां, तो क्या गत वर्षों में उक्त खसरों के रकबों का कर मत्स्य पालन विभाग, चरखारी, जिला हमीरपुर ने लिया है अथवा नहीं ?

खसरा नं0	रकबा	खसरा नं0	रकबा
1	2	3	4
850	0·22	852	0·50
853	0·14	854	0·05
855	0·55	856	0·22
847	0·84	865	1.39
860	0·09	867	0·16
805	0·50	872	0·45
873	0·22	874	0·13
875	0·19	876	0·55
877	0·38	878	0·28
879	0·24	880/1	10·00
884	3·14	881/2	0·16
		885	0·14

श्री संजय सिंह---

ग्राम थाना बसवारा, जिला हमीरपुर, तहसील महोबा के प्रश्नगत नम्बरान पर मत्स्य विभाग चरखारी का कोई स्वामित्व नहीं है ।

श्री राम चरन सिंह, निवासी फतेहपुर बुलन्दी, बिजनौर द्वारा अपनी पुत्री श्रीमती ऊषा की हत्या के सम्बन्ध में पत्र

22—श्री धम्मन सिंह गहलौत—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती ऊषा, जनपद बिजनौर की हत्या की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने के सम्बन्ध म प्रश्नकर्ता के पत्र के उत्तर के सन्दर्भ में कार्यालय के पत्र संख्या एम/9840/सी0 एम0-52/83, दिनांक 9-11-83 के सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी तथा जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आए ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित मामले की जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री राम चरन सिंह, निवासी फतेहपुर बुलन्दी, थाना-स्यौहारा, जनपद बिजनौर ने दिनांक 20-7-83 को थाना धामपुर पर इस आशय की लिखित सूचना अंकित करायी कि उसकी पुत्री श्रीमती ऊषा के ससुराल वालों ने दहेज के कारण उसकी हत्या कर दी ।

उक्त सूचना के आधार पर थाना धामपुर पर अ0 सं0 135, अन्तर्गत धारा 302/201, भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ । मामले की विवेचना से किसी अपराध का होना नहीं पाया गया, इसलिए मामले में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गयी है । इस सम्बन्ध में वादी रामचरन सिंह ने न्यायालय में एक इस्तगासा भी दायर कर रखा है जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहायक अभियन्ता, विद्युत्, मऊ, आजमगढ़, श्री टी0 एन0 माथुर का स्थानान्तरण

24—श्री माता प्रसाद पान्डेय तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायक अभियन्ता, विद्युत् (टी0 एन0 माथुर) मऊ, जिला आजमगढ़, तहसील घोसी के मूल निवासी हैं और अपना पता बदल कर अपने जनपद में ही 15 वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या यह भी सही है कि गत वर्ष उक्त सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण गोरखपुर हो गया था और एक वर्ष के अन्दर पुनः स्थानान्तरण गोरखपुर से मऊ आजमगढ़ कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

श्री टी0 एन0 माथुर, सहायक अभियन्ता, विद्युत् की सेवा-पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि के अनुसार उनका गृह जनपद आजमगढ़ है, किन्तु वर्ष 1978 में श्री माथुर द्वारा बताई गई परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त राज्य विद्युत् परिषद् ने इनका गृह जनपद आजमगढ़ के बजाय लखनऊ कर दिया है ।

श्री माथुर, सहायक अभियन्ता के पद पर केवल निम्नलिखित अवधि में ही जनपद में रहे :—

(1) 1-6-1980 से 19-6-1982 तक ।

(2) 25-7-1983 से अब तक ।

श्री माथुर 20-6-1982 से 24-7-1983 तक गोरखपुर में

तैनात रहे। मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी ने दिनांक 2-7-1983 को इनका स्थानान्तरण कार्य हित में गोरखपुर से आजमगढ़ कर दिया। चूंकि यह स्थानान्तरण कार्य हित में किया गया था, अस्तु किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्द शहर, ग्राम औगना चठेरा के निकट नीम नदी पर पुल निर्माण की कथित स्वीकृति

25--श्री छत्तर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री विभाग को ज्ञात है कि ग्राम औगना चठेरा, जनपद बुलन्दशहर, विकास खन्ड ऊंचा गांव के समीप नीम नदी पर खानपुर अमरगढ़ सड़क मार्ग से गुजरने के स्थान पर पुल स्वीकृत है? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री विद्या भूषण--

पुल स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले के श्री गोबरे पुत्र श्री श्रीपाल, ग्राम मौलाबाद, श्री बेचा, ग्राम कोलवा मजरे दौलतपुर, श्री महावीर आदि के विरुद्ध अंकित डकैती की रिपोर्ट

26--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोबरे, पुत्र श्री श्रीपाल, ग्राम मौलाबाद, थाना लोनीकटरा, बाराबंकी, श्री श्रीपाल ग्राम मौलाबाद, जिला बाराबंकी श्री बेचा पुत्र श्री महावीर, ग्राम कोलवा मजरे दौलतपुर, थाना लोनीकटरा बाराबंकी श्री महाबीर ग्राम कोलवा मजरे दौलतपुर थाना लोनी कटरा श्री शिवसरन, ग्राम बढ़वल, थाना लोनी कटरा, श्री सहजराम, ग्राम अहिरनपुरवा, मजरे जगन्नाथपुर, थाना लोनी कटरा तथा श्री कृष्ण कुमार, ग्राम सराय पान्डेय, थाना लोनी कटर, जिला बाराबंकी के ऊपर कितनी-कितनी डकैतियां 1-1-1981 से 1-1-1982 तक में दर्ज हैं?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्क सुपरवाइजर श्री कमला दत्त शर्मा का कार्यकाल एवं पेन्शन

27--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व वर्क सुपरवाइजर (श्री कमला दत्त शर्मा) ने सन् 1926 से 1972 तक सावजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत रहकर राजभवन इलाहाबाद तथा लखनऊ में लगातार सेवा की है? यदि हां, तो उनको पूरी सेवा का लाभ पेन्शन आदि के लिए क्यों नहीं दिया गया, जबकि इसी प्रकार के वर्कचार्ज अन्य कर्मचारियों को पेन्शन आदि के लिए पूरी सेवाओं का पेन्शन आदि के लिए लाभ दिया गया है?

श्री विद्या भूषण--

श्री कमला दत्त शर्मा वर्ष 1926 से 22-10-1962 तक कार्य प्रभारित अधिष्ठान में स्विच वियरर के पद पर थे तदुपरान्त 23-10-1962 से 11-12-1972 तक विभाग के नियमित अधिष्ठान में विद्युत सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत रहे हैं। कार्य प्रभारित अधिष्ठान की सेवा का लाभ पेन्शन में नहीं मिलता है और तदनुसार श्री शर्मा को भी केवल नियमित अधिष्ठान की सेवा का लाभ पेन्शन हेतु मिला है।

राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों के अध्यक्षों का वेतनमान एवं प्रोन्नति

28--श्री माता प्रसाद पान्डेय तथा श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रहे राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में अध्यक्ष वेतनमान 850-1720 रु० के संवर्गीय पदों पर कार्यरत पदधारकों को उनकी अर्हता एवं अनुभव के अनुरूप प्रोन्नति अथवा विभागीय उच्च पदों पर नियुक्ति के लाभ दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने पदधारकों को अब तक उच्च पदों पर प्रोन्नति अथवा नियुक्ति की गई है? यदि उक्त पदधारकों को विभाग में प्रोन्नति अथवा उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु कोई अवसर सुलभ नहीं कराये गये हैं तो क्या द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग 79-81 के सामान्य नीतियों के अनुरूप "उच्च वेतनमान" अथवा "चयनित वेतनमान" का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं ।

इन अधिकारियों के वृद्धिरोध की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

दिल्ली-लखनऊ मार्ग, जिला मुरादाबाद की मरम्मत की मांग

29--श्री जयदीप सिंह बरार--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 122 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शेष भाग के पुनर्निर्माण के लिए आगणन तथा मांग भारत सरकार को कब भेजा गया और इस मार्ग के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए भारत सरकार से शीघ्र स्वीकृति एवं धन आवंटन कराने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विद्या भूषण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हापुड़-गाजियाबाद राष्ट्रीय मार्ग पर गंगा नहर का क्षतिग्रस्त पुल

30--श्री जयदीप सिंह बरार--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कृपा करेंगे कि जब पुराना पुल वर्ष 1979 में ही क्षतिग्रस्त हो गया था तो नए पुल का आगणन दो वर्ष से भी अधिक देरी से क्यों भेजा गया ? इस देरी और उसके कारण बेलीपुल पर हुए अनावश्यक व्यय के लिए कौन जिम्मेदार है और मन्त्री जी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री विद्या भूषण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री माया राम, ग्राम सरवहा, जिला बाराबंकी का थाना रामनगर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

31--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 11-12-83 को थाना रामनगर, जिला बाराबंकी में एक रिपोर्ट मु० अ० सं० 255/83 धारा 4/10 वृ० सं० अधि० के अनुसार दर्ज कराई गई थी, जिसके सम्बन्ध में रिपोर्टकर्ता श्री माया-राम प्रधान, ग्राम सभा सरवहा द्वारा दिनांक 31-12-83 तथा 18-2-84 को पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को शिकायती प्रार्थना-पत्र भेजे गए हैं ? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों में उल्लिखित शिकायतें क्या हैं तथा उनके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, प्रश्नगत श्री मायाराम, प्रधान, ग्राम सभा सरहहा, जनपद बाराबंकी का दिनांक 18-2-84 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें पुलिस द्वारा अभियुक्तों का पक्ष लिए जाने, प्रार्थी के साथ दुर्व्यवहार करने, थाने पर रिपोर्ट दर्ज न करने की शिकायतें की गई थीं। शिकायती-पत्र की क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच करने के आदेश दिये गये हैं।

बस्ती जिले की ग्राम सभा सजनापार के टोला बंरिहवा में डकैती

3 2—श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के हलाक उस्का बाजार के ग्राम सभा सजनपार के टोला बंरिहवा में दिनांक 3/4 फरवरी, 1984 को रात को सशस्त्र डकैतों के मुठभेड़ में श्री पलटू राम, प्रधान को बम प्रहार से मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो उनकी विधवा पत्नी तथा उनके नाबालिग चार बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता दी गई ? क्या उस मामले की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 3/4, फरवरी, 1984 की रात में तो नहीं अपितु दिनांक 3/4, जनवरी, 1984 की रात में प्रश्नगत घटना हुई है। मृतक के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। इस घटना से सम्बन्धित मामले की जांच जारी है। अब तक की विवेचना से 8 अभियुक्त प्रकाश में आये हैं। जिसमें से एक को 29-3-84 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तथा एक अन्य ने 4-4-84 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। अन्य अभियुक्त गण फरार हैं। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर के गांव बामन के श्री मुन्नी के यहां पड़ी डकैती

33—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र में गांव बामन, थाना मुगराबादशाहपुर, जिला जौनपुर के मुन्नी कोहार के बारे में लिखा था कि इसके यहां 6-8-83 को डकैती पड़ी और गोली के छर्रे से इसको काफी चोट लगी ? दिनांक 8/9-8-83 को बनपुरवा सराय के रहचन्दा, बनारसी पटेल व पीपापुर के द्वारिका बिन्द बगैर 9 घरों में डकैतियां पड़ी ? क्या उपरोक्त गांवों के उपरोक्त लोगों एवं अन्य लोगों से पूंछताछ की गई ? यदि की गई, तो इन लोगों ने क्या बयान दिए हैं ? यदि पूछताछ नहीं की गई, तो क्यों ? किस अधिकारी ने जांच रिपोर्ट देकर पत्रों में उल्लिखित आरोपों को निराधार बताया है ? क्या सरकार इसकी पुनः जांच करायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के प्रथम मंगलवार की कार्य सूची में अतारांकित प्रश्न संख्या 82 मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिए जाने के कारण सम्मिलित नहीं था, अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता।

श्री बहादुर सिंह, कलकत्ता का प्रार्थना-पत्र

34—राम चरण सिंह—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 14 नवम्बर, 1983 को एक पत्र श्री बहादुर सिंह, कलकत्ता के प्रार्थना-पत्र सहित दिया था, जिसकी स्वीकारोक्ति मुख्य मन्त्री जी ने अपने पत्र संख्या एम0/10082/सी एम0-2/83, मुख्य मन्त्री कार्यालय अनु0-2 सचिवालय एनेक्सी

भवन से दिनांक 26-11-83 को करते हुए प्राविधिक शिक्षा विभाग को भेजा है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां।

उक्त पत्र के विषय वस्तु का संबंध श्रम विभाग से होने के कारण वह श्रम विभाग में भेज दिया गया था। श्रम विभाग में निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से जांच कराकर आख्या मांगी गई थी जो अभी तक प्रतीक्षित है।

श्री कृष्ण कुमार शुक्ल को सम्बोधित सचिवालय, पुलिस, अनुभाग-4 का पत्र एवं थाना हजरतगंज, लखनऊ में अंकित अपराध

25—श्री कृष्ण कुमार शुक्ल—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता को मिले अ0 शा0 प0 सं0 635 खं0 वि0/आ0 4-1132 बी/82, गृह पुलिस अनु0-4, दिनांक 7-12-82 के मामले में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो कब तक सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-9-82 को वादी द्वारा थाना हजरतगंज पर अपराध संख्या 1153/82 धारा 379 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग में विवेचना की गई। अथक परिश्रम के बावजूद माल मुल्जिम का पता न चल सकने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी।

देवरिया जिले में डकैत पुलिस मुठभेड़ में मृत व्यक्तियों की संख्या

36—श्री विश्वनाथ—

क्या गृह मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि देवरिया जनपद में दिसम्बर, सन् 1983 से 21 फरवरी, 1984 तक किन-किन थानों में किन-किन व्यक्तियों को तथाकथित डकैत पुलिस मुठभेड़ में जान से मारा गया है ? उनके नाम तथा अपराधियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या मन्त्री जी दिसम्बर, 1983 से 21 फरवरी, 1984 के बीच पुलिस मुठभेड़ में मारे गए उक्त व्यक्तियों की जांच किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत अवधि में देवरिया जनपद के सेबरही थानान्तर्गत पारस पुत्र नथुनी राम, रामानन्द पुत्र तोता भगत, आजम मियां पुत्र दिल मोहम्मद व राम नगीना पुत्र श्री प्रसाद, लार थानान्तर्गत सुरेश पुत्र बेचू तथा अहिरौली बाजार थानान्तर्गत एक अज्ञात डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारे गये हैं। मारे गये डकैतों के नाम उपरिलिखित हैं तथा अपराधों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है। पुलिस मुठभेड़ में उपर्युक्त डकैतों की हुई मृत्यु की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से कराये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जहां कहीं आवश्यक प्रतीत हुआ है, मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

तत्कालीन एस0 ओ0, श्री जीवन लाल एवं एस0 आई0,श्री ताहिर खा, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखा कर व्यक्तियों की हत्या

37—श्री ऊबल—

क्या गृह मन्त्री बताने कृपा करेंगे कि तत्कालीन एस0 ओ0 जीवन लाल तिवारी एवं एस0 आई0 ताहिर खां तथा 5 कांनेस्टेबुल थाना बड़ागाव, जिला वाराणसी द्वारा 4 व्यक्तियों की हत्या फर्जी डकैत बनाकर करने की जांच अनुसन्धान शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अनुसन्धान शाखा, वाराणसी ने जांच के बाद दफा 302 का मुकदमा थाना बड़ागांव, वाराणसी के तत्कालीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ लिखा दिया है और शासन को भी लिखा है ? शासन ने अब तक मुकदमा चलाने का निर्देश दिया कि नहीं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित फर्जी मुठभेड़ के मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही थी। जांच से 9 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग बनने पर उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभियोजन की स्वीकृति विचाराधीन है।

काष्ठकला विद्यालय, बरेली एवं जी0 आई0 टी0, मेरठ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

38—डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि काष्ठकला विद्यालय, बरेली तथा जी0 आई0 टी0, मेरठ में वर्ष 1983 में चतुर्थ वर्ग के किन-किन लोगों की नियुक्तियां की गयी हैं तथा उनके निवास जनपद क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि यह सभी नियुक्तियां बिना सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे हुए सीधे निदेशक द्वारा की गयी है तथा इनमें निर्धारित चयन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन अनियमित नियुक्तियों को तत्काल निरस्त किया जायगा ? इन नियुक्तियों के लिए उत्तरदायी अधिकरी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

39—डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

क्या श्रम मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जिन पदों पर उपरोक्त नियुक्तियां की गयीं हैं वह कई वर्षों से रिक्त चल रहे थे ? उन्हे भरने के लिए शासन की अनुमति क्यों नहीं ली गयी ? इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या नियम लागू किये गये हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

ग्राम नेवलगंज, थाना हसनगंज, जिला उन्नाव के श्री राज कुमार के यहां चोरी की घटना की रिपोर्ट पंजीकृत न किया जाना

40—श्री मोहम्मद आजम खां—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत दिनांक 1 जून, 83 से 30 अक्तूबर, 83 के बीच ग्राम नेवलगंज, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के छोटे लाल पुत्र टाई (धोबी) चन्दिका प्रसाद पुत्र मुन्नू (ठठेर) राजकुमार पुत्र दया शंकर (ब्राह्मण) के यहां चोरियां हुयीं और उपरोक्त व्यक्तियों ने थाना उपरोक्त में लिखित सूचन

दी और दरोगा जांच करने भी मौके पर गये किन्तु रिपोर्ट थानें में पंजीकृत नहीं की गयी और न उपरोक्त व्यक्तियों को रिपोर्ट की नकल ही दी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भ्रष्टाचार की जांच सी0 आई0 डी0 से करवाकर सम्पूर्ण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1 जून, 1983 से 30 अक्तूबर, 1983 के मध्य ग्राम नेवलगंज, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के निवासी श्री चंद्रिका प्रसाद पुत्र मुन्नू (ठठरा) के यहां कोई चोरी की घटना घटित होना नहीं पाया गया । इस अवधि में श्री राज कुमार पुत्र दयाशंकर ब्राह्मण निवासी ग्राम नेवलगंज के यहां चोरी की घटना दिनांक 18-7-83 की रात को घटित हुई जिसमें प्रार्थी की लिखित सूचना पर थाना हसनगंज में दिनांक 19-7-83 को मु0 अ0 सं0 78 धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर रिपोर्ट की प्रति वादी को दी गयी । उल्लेखनीय है कि ग्राम नवलगंज में श्री छोटेलाल पुत्र टाई (धोबी) नाम का कोई नहीं रहता है । प्रश्नगत मामले में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ । अतः मामले में सी0 आई0 डी0 जांच कराकर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

41--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[11 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

वन विभाग में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को अवर अभियन्ताओं के पद पर कथित नियुक्ति

42--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिव वन विभाग की विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन (श्री हरिमोहन) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग (2) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 यू0 ओ0--83 ईडी-18-घ-79, दिनांक 28 मार्च, 1979 प्राप्त हुआ, जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा (3 वर्षीय) प्राविधिक शिक्षा परि0 उ0 प्र0 द्वारा संचालित को अन्य इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों के समकक्ष बताते हुए नियुक्तियों के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो उस राजाज्ञा की प्राप्ति के बाद से अब तक विभाग में कितने अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियां हुई तथा उसमें कितने कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों में से नियुक्त किए गये ? यदि नहीं हुए, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जी हां ।

वन विभाग में अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियां की गयी हैं ।

पशुधन विभाग में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी आदेश

43--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिव पशुपालन विभाग को विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन (श्री हरिमोहन) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या यू0 ओ0 83 ई डी 18-4-79, दिनांक 28 मार्च, 1979 प्राप्त हुआ जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा (3 वर्षीय) प्राविधिक शिक्षा परि0 उ0 प्र0 द्वारा संचालित को अन्य इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों के समझ बताते हुए नियुक्तियों के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो उस राजाज्ञा की प्राप्ति के बाद से अब तक विभाग में कितने अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियां हुयीं तथा उसमें

कितने कृषि डिप्लोमा इंजीनियरिंग धारकों में से नियुक्त किये गये ? यदि नहीं नियुक्त हुए, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जी हां ।

पशुपालन विभाग में अवर अभियन्ता (सिविल) का केवल एक पद है जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारो से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया है । विभाग द्वारा सीधी भर्ती नहीं की गई है ।

बाराबंकी जिले के ग्राम अमोनी की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की मांग

44--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1983 के सम्बन्ध में जिसमें ग्राम अमौनी पोस्ट रामपुर जनक, जिला बाराबंकी की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के बारे में पूछा गया है और जिसके पाने की सूचना आपके पत्र सं0 एम 3912/ सी0 एम0-2/83, मुख्य मन्त्री कार्यालय अनुभाग 2 एनेक्सी भवन, लखनऊ के दिनांक 28-5-1983 द्वारा दी गयी, के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी तथा ग्राम अमौनी, जिला बाराबंकी की हरिजन बस्ती में कब तक विद्युत-करण कर दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां ।

हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण तभी हो पायेगा जब ग्राम अमौनी का विद्युतीकरण किया जायेगा । ग्राम अमौनी का विद्युतीकरण राजकीय सामान्य योजना के अन्तर्गत तभी सम्भव है जब विद्युतीकरण हेतु ग्रामवासियों से विद्युत् कनेक्शन लेने के लिए इतने प्रार्थना-पत्र हों कि विद्युतीकरण के व्यय पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ सुनिश्चित हो सके तथा 10 प्रतिशत प्रतिलाभ के बराबर अनुबन्ध भी हो सके और जिला योजना क्रियान्वयन समन्वय समिति का अनुमोदन प्राप्त हो जाय ।

उक्त ग्राम के निवासियों से बिजली के कनेक्शन लेने हेतु कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी परिस्थिति में ग्राम व उसकी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं हो पाया है ।

45--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[8 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आजमगढ़ राजकीय पालीटेक्निक के छात्र श्री शारदानन्द तिवारी का सैनिक पुत्र होने का फर्जी प्रमाण पत्र

46--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-6-82 को सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद (उ0 प्र0) को श्री अमरीका सिंह, निवासी ग्राम बाधवर पोस्ट ताहिरपुर, बलिराम तिवारी के सैनिक पुत्र होने का जाली प्रमाण प्रवेश पत्र प्रस्तुत करके आजमगढ़ राजकीय पालिटेक्निक में प्रवेश लेने का गम्भीर आरोप था, किया था ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं । किन्तु एक अन्य व्यक्ति ने सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद को मौखिक रूप से इस प्रकार की सूचना दी थी ।

श्री तिवारी के फर्जी प्रमाण-पत्र के बारे में सूचना प्राप्त होने पर

छात्र की अंकतालिका एवं प्राविजनल प्रमाण पत्र संस्था द्वारा जारी नहीं किया गया है ।

इस समय मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

बाराबंकी जिले के ग्राम पटरंगा, निवासी श्री बुद्धिराम की चोरी के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

47--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस थाना पटरंगा, जनपद बाराबंकी ने ग्राम पटरंगा के श्री बुद्धिराम की दिनांक 11-12-83 को पकड़कर नाजायज ढंग से मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचायी, घर जला दिया तथा चोरी के एक मामले में झूठा चालान कर दिया था, जिसके बारे में श्री बुद्धिराम की पत्नी श्रीमती दिल्ला ने दिनांक 13 दिसम्बर, 1983 को जिलाधिकारी, बाराबंकी पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी/पुलिस उपमहानिरीक्षक, फैजाबाद को शिकायती प्रार्थना-पत्र देकर त्वरित जांच एवं उचित कार्यवाही की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की अब तक जांच नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार धारा 457/380 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत नामजद एक अभियुक्त श्री बुद्धिराम पुत्र श्री हीरालाल यादव निवासी ग्राम व थाना पटरंगा, जनपद बाराबंकी को दिनांक 12-12-83 को थाना पटरंगा की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय कुछ चोटें आयीं थी, किन्तु उसका घर जलाने व चोरी के मामले में झूठा फंसाने की बात की पुष्टि नहीं हुई । प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 13-12-83 अभियुक्त की पत्नी श्रीमती दिल्ला द्वारा दिया गया, जिसकी जांच की गयी, जांच में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मत्स्य निदेशालय, लखनऊ के उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) का कार्यकाल

48--श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

क्या पशुधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य निदेशालय, लखनऊ में उप निदेशक मत्स्य (परियोजना) लखनऊ विभिन्न पदों पर 10 वर्ष से अधिक समय से दिनांक 30 जून, 1973 से पदस्थ हैं ? क्या शासनादेशों में व्यवस्था है कि एक अधिकारी को एक स्थान पर पांच वर्ष से अधिक न रखा जाय ? यदि हां, तो उप निदेशक मत्स्य (परियोजना) के पद पर कार्यरत व्यक्ति श्री के0 डी0 पाण्डेय को पांच वर्ष से अधिक लखनऊ में ही क्यों रखा गया है ?

श्री संजय सिंह--

जी हां । शासनादेशों में व्यवस्था नहीं है कि किसी अधिकारी को एक स्थान पर पांच वर्ष से अधिक होने पर उसे अनिवार्यतः स्थानान्तरित कर ही दिया जाए । श्री के0 डी0 पाण्डेय वर्तमान में उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) के पद पर कार्यरत हैं । वर्तमान पद के पूर्व उप निदेशक मत्स्य (परियोजना), उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) एवं उससे पहले सहायक निदेशक मत्स्य (नियोजन) के पद पर कार्यरत थे । शासन द्वारा मत्स्य उत्पादन के विकास के लिए जो भी योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं, उनके संचालन हेतु उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) का महत्वपूर्ण योगदान होता है । इस पद का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है और बजटिंग में विशेष योग्यता, दक्षता एवं सक्षमता की आवश्यकता है । श्री के0 डी0 पाण्डेय नियोजन प्रक्रिया, परियोजना निर्माण एवं मूल्यांकन और परफारमेन्स बजटिंग के विषयों में प्रशिक्षित कराये गये हैं । उपर्युक्त कारणों से श्री के0 डी0 पाण्डेय को जनहित में स्थानान्तरित करना उचित नहीं समझा गया ।

श्री रामेश्वर सिंह, अस्त्र-शस्त्र विक्रेता, देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

49—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 63 के सम्बन्ध में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित शस्त्र व्यवसायी द्वारा अधिक दाम लेना सिद्ध पाया गया है तो इस व्यवसायी पर कारण बताओ नोटिस न जारी करने का क्या कारण है तथा सम्बन्धित व्यवसायी पर अब तक वैधानिक कार्यवाही कर व्यवसाय का लाइसेंस क्यों नहीं निरस्त किया गया ? इस विलम्ब के लिए कौन दोषी हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

संदर्भगत पूर्व प्रश्न के उत्तर में यह पहले ही बताया जा चुका है कि प्रश्नगत लाइसेन्सी के लाइसेन्स के निरसन हेतु (कारण बताओ) नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करने के बाद व्यवसायी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर अग्रेतर नियमानुसार कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। अतएव न कोई विलम्ब किया गया है और न किसी को दोषी ठहराने का औचित्य है।

नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट के अन्तर्गत निरुद्ध सहारनपुर जिले के ग्राम चुडियाला के अध्यापक, श्री रशीद अन्सारी

50—श्री काजी मोहम्मद मोहीउद्दीन—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम चुडियाला, तहसील रुड़की, जनपद सहारनपुर के एक प्राइमरी अध्यापक श्री रशीद अन्सारी और उनके तीन साथी नेशनल सेक्योरिटी ऐक्ट के अधीन 6 महीने से अधिक से बन्द किये गये हैं। यदि हां, तो उन पर क्या आरोप हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

निरुद्ध के आधार संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 117 पर।)

भोला कामर्शियल कालेज, दुर्विजय-गंज सराय, लखनऊ द्वारा जारी किया गया टेलेक्स का जाली प्रमाण-पत्र

51—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

प्रथम सत्र 1984 3रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भोला कामर्शियल कालेज द्वारा टेलेक्स का जाली प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में राजस्व विभाग ने 1983 में जो जांच की थी, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

भोला कामर्शियल कालेज, द्वारा टेलेक्स का जाली प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः राजस्व विभाग द्वारा जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

52—श्री ऊदल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

श्री विजय कुमार सोनी, अवर अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

53—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के संदर्भ में क्या सार्वजनिक

निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बी0 के0 सोनी, अवर अभियन्ता अस्थाई खंड नं0 4 सा0 नि0 वि0 फैजाबाद के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों की शिकायती जांच किस अधिकारी द्वारा कराये जाने के आदेश दिये गये थे ? इसके विपरीत आरोपों की जांच अधीक्षण अभियन्ता 23वां वृत्त फैजाबाद से कराये जाने का क्या कारण है ? शिकायतों की निष्पक्ष जांच हेतु मुख्यालय लखनऊ से ही किसी तकनीकी अधिकारी द्वारा जांच कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी केआदेश का पालन क्यों नहीं किया गया?

श्री विद्या भूषण--

शासन द्वारा प्रश्नगत शिकायत की जांच श्री रवीन्द्र कुमार तत्कालीन मुख्य परिवाद अधिकारी द्वारा किये जाने के आदेश जारी किये गये थे । इससे पूर्व श्री विजय कुमार सोनी, अवर अभियन्ता फैजाबाद के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 8-6-83 तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 9-6-83 को आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-II) को दिया गया था । माननीय राज्य मंत्री के माध्यम से प्राप्त शिकायती-पत्र के आधार पर मामले की जांच मुख्य अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 23वां वृत्त, फैजाबाद को सौंप दी गई थी । चूंकि जांच प्रगति में थी । मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रमुख अभियन्ता द्वारा जांच अधिकारी में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया । अब प्रश्नकर्ता द्वारा 22-2-1984 को विभाग को सम्बोधित पत्र में दिए गए सुझाव के अनुसार इस मामले की जांच मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) द्वारा किये जाने के आदेश प्रमुख अभियन्ता को जारी कर दिए गए हैं ।

गोरखपुर जिले ग्राम अमतहां के
श्री सुदर्शन प्रसाद का
शिकायती-पत्र

54--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज, ग्राम अमतहां के किसी हरिजन (श्री सुदर्शन प्रसाद) ने अपने व अपने परिवार के उत्पीड़न को लेकर मेडिकल रिपोर्ट के साथ जून, 1983 से अब तक कुल कितनी शिकायत शासन व स्थानीय अधिकारियों आदि को भेजी हैं ? इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

श्री सुदर्शन का शिकायती-पत्र दिनांकित 13-6-82 जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुआ था । थाना स्तर पर ही पहले उभय पक्षों के बीच शांति कायम करने का प्रयास किया गया । बाद में न्यायालय के आदेशानुसार मामले की विवेचना की गयी और दोनों पक्षों के अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किए गए । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के मंडेरवा थाने के
अन्तर्गत श्री अशोक कुमार
गुप्त की हत्या एवं
सी0 आई0 डी0
द्वारा जांच
किये जाने
की मांग

55--श्री केदारनाथ सिंह--

प्रथम सत्र 1984 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एफ0 आई0 आर0 क्या है तथा उसमें किन परिस्थितियों में श्री अशोक कुमार गुप्त की हत्या हुई है ? क्या श्री अशोक कुमार के परिवार वालों ने सितम्बर या अक्तूबर में हत्या के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री को भेजा है ? यदि हां, तो वह क्या है ? इस मामले में जांच कराने के आदेश कब किये गये तथा जांच अधिकारी कौन हैं ?

(देखिए नत्थी "झ" आगे पृष्ठ 118 पर ।)

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है, उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि श्री अशोक कुमार गुप्त की हत्या किन परिस्थितियों में हुई है ? मृतक श्री अशोक कुमार गुप्त के पिता श्री राम किशोर गुप्त का कोई पत्र सितम्बर या अक्तूबर, 1982 में मुख्य मंत्री को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः पत्र के विवरण का प्रश्न नहीं उठता। इस मामले से सम्बन्धित अपराध थाना मुन्डेरवा (बस्ती) पर दिनांक 5-7-83 को पंजीकृत किया गया था जिसमें जांच अधिकारी हरैया के थानाध्यक्ष हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 118 पर)।

56—श्री केदारनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री अशोक कुमार गुप्त की हत्या गोरखपुर से बस्ती जेल द्वारा जाते हुए की गयी है और यह हत्या निर्मम है जिसपर ध्यान देते हुए क्या मुख्यमंत्री जी इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से कराने का कष्ट करेंगे ? जो अपराधी पुलिस से मिल कर मामले को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार यह तो सही है कि श्री अशोक कुमार गुप्त की हत्या हुई, परन्तु अब तक की विवेचना से यह ज्ञात नहीं हो सका है कि प्रश्नगत हत्या किन परिस्थितियों में हुई ? अपराध अनुसंधान विभाग से इस मामले की जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। अपराधियों द्वारा पुलिस से मिलकर मामले को दबाये जाने का आरोप सही नहीं है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की रिजर्व पुलिस लाइनों में नियुक्त हरिजन आर0 आई0

57—श्री दीपक कुमार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी रिजर्व पुलिस लाइन है ? क्या उनमें आर0 आई0 पद पर आरक्षित कोटे के अनुसार कोई हरिजन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 56 रिजर्व पुलिस लाइनें हैं। उनमें नियुक्त प्रतिसार निरीक्षकों का कोई हरिजन नहीं है। प्रतिसार निरीक्षकों का कोई पृथक् संवर्ग नहीं है। अतः इन पदों पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

बहराइच जिले के ग्राम बम्भौरा बाजार के अन्तर्गत हरिजन की दुकान में आगजनी की घटना

58—श्री यमुना प्रसाद—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जनपद बहराइच के थाना जरवल रोड अन्तर्गत ग्राम बम्भौरा बाजार (जरबल रोड) के एक हरिजन की दुकान जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत 3,000 रु0 (तीन हजार रुपये) ऋण लेकर साइकिल मरम्मत हेतु ग्राम समाज की भूमि पर निर्मित थी, अराजक तत्वों से मिल कर 21/22 जनवरी, 1984 को लूटपाट करके जला दिया है और इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22-1-1984 को थाने मे दर्ज की गयी ? क्या जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के आदेश दिनांक 23-1-1984 के बावजूद भी दिनांक 28-1-1984 को उक्त हरिजन की रिपोर्ट दर्ज की गई ? यदि हां, तो मुल्जिमों व थाना पुलिस जरबल रोड के विरुद्ध रिपोर्ट नहीं दर्ज किए जाने पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति द्वारा विशिष्ट अंशदान योजना के अन्तर्गत बैंक

से 3,000 रु0 लेकर साइकिल मरम्मत हेतु ग्राम समाज की भूमि पर ढावली व छप्पर रखकर दुकान रखी गयी थी। उक्त जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने के उद्देश्य से ढावली हटा दी गयी थी तथा छप्पर जला दिया था, किन्तु लूटपाट की बात गलत पायी गई। प्रथमसूचना रिपोर्ट दिनांक 22-1-1984 को नहीं, बल्कि 27-1-1984 को पंजीकृत की गयी। इस मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। संबंधित थानाध्यक्ष को विलम्ब से कार्यवाही करने तथा अभियोग को भा0 द0 वि0 की धारा 436 से निकाल देने के कारण प्रभारी पद से मुक्त कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

59--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा

श्री राम गोविन्द--

[10वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पिपरी तुर्रा, जिला मिर्जापुर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के जे0 ई0 श्री के0 एस0 उपाध्याय द्वारा किया गया गबन और उनके द्वारा इलाहाबाद चौरी बाजार में बनाया गया मकान एवं सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की मांग

60--श्री ऊदल --

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 में पिपरी तुर्रा, जिला मिर्जापुर के जे0 ई0, के0 एस0 उपाध्याय ने 50,000 रु0 का गबन किया था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? क्या यह भी सही है कि उसी गबन के मामले में असिस्टेंट इंजीनियर, पिपरी तुर्रा, मिर्जापुर ने इनके सर्विस बुक पर बैड इन्ट्री भी दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? क्या यह सही है कि उक्त उपाध्याय वर्तमान में जे0 ई0, राष्ट्रीय मार्ग (2) इलाहाबाद में तैनात हैं ?

श्री विद्या भूषण--

सूचना एकत्र की जा रही है।

61--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृपा शंकर, जे0 ई0, राष्ट्रीय मार्ग-2, इलाहाबाद ने अपनी स्त्री के नाम एक मकान नं0 1 बी/8 सी, बाघम्बरी गद्दी रोड, अल्लापुर, इलाहाबाद में कई लाख रुपये का बनवाया है ? क्या सरकार इसकी जांच सी0 आई0 डी0 एवं विभाग से कराने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

श्री विद्या भूषण--

सूचना एकत्र की जा रही है।

62--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृपा शंकर उपाध्याय, जे0 ई0, राष्ट्रीय मार्ग-2, इलाहाबाद ने चौरी बाजार, जिला वाराणसी में मकान व दुकान तीन चार लाख रुपये की बनाई है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि इतना रुपया कहां से प्रश्न किया गया ?

श्री विद्या भूषण--

सूचना एकत्र की जा रही है।

63--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृपा शंकर उपाध्याय जे0 ई0, राष्ट्रीय मार्ग-2, इलाहाबाद ने गांव जमुआं पो0 पीरट परसीपुर, थाना चौरी, जिला वाराणसी में भी एक लाख रुपये का मकान बनवाया है ? क्या सरकार इसके सन् 1970 से लेकर,

दिसम्बर, 1983 तक के सभी कार्यों की जांच करायेगी ?

श्री विद्या भूषण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

64--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

-[दिनांक 23-3-1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 26 द्वारा उत्तरित ।

हरि फर्टिलाइजर साहूपुरी, वाराणसी के श्रमिक कालोनी में अनधिकृत कब्जा एवं कर्मचारियों का निलम्बन भत्ता

65--श्री राम चन्द्र--

क्या श्रम मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि हरि फर्टिलाइजर साहूपुरी, जनपद वाराणसी के श्रमिकों के आवास हेतु निर्मित कालोनी में अनधिकृत रूप से प्रबन्धकों के बड़े-बड़े लोग, ट्रांस्पोर्टस, बड़े-बड़े ठेकेदार तथा अनेक असमाजिक लोग कब्जा किये हैं ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इस कालोनी में श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य अवैध कब्जे को हटाने हेतु कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं, मेसर्स हरि फर्टिलाइजर साहूपुरी, जनपद वाराणसी को समूह आवंटन के रूप में 468 गृह दिये गये हैं, जिनमें से प्रबन्धकों को केवल 2 गृह भूतपूर्व ठेकेदारों को तथा एक गृह विलेज वेलफेयर को अनियमित रूप से आवंटित कर दिया था। प्रबन्धकों द्वारा विलेज वेलफेयर को आवंटित किया गया है गृह रिक्त करा लिया गया है तथा भूतपूर्व ठेकेदारों को आवंटित किएगए शेष दो गृहों को खाली कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

66--श्री राम चन्द्र--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में हरी फर्टीलाइजर साहूपुरी, जनपद वाराणसी के निलम्बित 52 श्रमिकों को निलम्बन भत्ता अब तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

प्रश्नगत कर्मचारियों को निलम्बन भत्ता दे दिया गया है ।

बहराइच जिले के तहसील मुख्यालय कैसरगंज में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि किये जाने की मांग

67--श्री सुन्दर सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के तहसील मुख्यालय कैसरगंज में जहां एक बड़ा अस्पताल भी है तथा मंडी भी है 24 घन्टे विद्युत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

राज्य विद्युत परिषद् की नीति के अनुसार केवल उन्हीं नगरों मे 24 घंटे विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था है जिनकी आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार 25,000 से अधिक हो चूंकि कैसरगंज, जिला बहराइच की आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार 25,000 से कम है अतः इसे 24 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कर पाना परिषद् के लिये सम्भव नहीं है ।

68--श्री बलवन्त सिंह--

[10वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

69--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[10वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मैनपुरी जिले के थाना फरिहा में पंजीकृत अपराध की सी0 आई0 डी0 द्वारा की गयी जांच

70--श्री हरगोविन्द वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न

संख्या 113 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक सी0 आई0 डी0 ने विवेचना में क्या प्रगति की है ? यदि नहीं, तो विलम्ब क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत दोनों अपराधों की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।

अभियोग सं0 64 में श्री एदल सिंह प्रधान के विरुद्ध धारा 409 भा0 दं0 वि0 का अपराध सिद्ध नहीं पाया गया ।

अपराध सं0 65 में साक्ष्य के अभाव में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित करना सम्भव नहीं पाया गया ।

एस0 आर0 एम0 डी0 के अन्तर्गत पर्वतीय जिलों में धनराशि का आबंटन

71--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में एस0 आर0 एम0 आर0 डी0 के अन्तर्गत पर्वतीय जनपदों को सरकार द्वारा कितना धन आबंटित किया गया है ? प्रत्येक जनपद को आबंटित राशि क्या-क्या है और आबंटन का आधार क्या है ?

श्री विद्या भूषण--

एस0 आर0 एम0 डी0 के पर्वतीय जनपदों को वित्तीय वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में क्रमशः रु0 154.79 लाख तथा रु0 511.00 लाख की धनराशि आबंटित की गयी । उक्त आबंटित धनराशि का जनपद वार ब्यौरा निम्नवत् है :--

क्रम सं0	जनपद का नाम	एस0 आर0 एम0 डी0 का अनुदान लाख रु0 में	
		1982-83	1983-84
1	पिथौरागढ़	8.20	45.00
2	अल्मोड़ा	..	53.00
3	नैनीताल	57.00	180.00
4	उत्तरकाशी	..	45.00
5	देहरादून	22.00	90.00
6	टिहरी	..	45.00
7	पौड़ी	33.80	..
8	चमोली	33.79	53.00

प्रत्येक जनपद को एस0 आर0 एम0 डी0 के मद में धनराशि का आबंटन केन्द्रीय बाढ़ सहायता समिति की सिफारिशों व प्रमुख अभियंता की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किया जाता है ।

लखीमपुर खीरी जिले के ग्राम कुसमौरी में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

72--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुसमौरी विकास खंड, बाकेगंज, जिला लखीमपुर खीरी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम कुसमौरी, विकास खंड बांकेगंज, जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 1983-84 में किये गये मुख्य-मुख्य कार्यों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 119 पर।)

सुल्तानपुर जिले की ग्राम सभा रसूलपुर के वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने को मांग

73—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम सभा रसूलपुर, वि० खं० शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तथा जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है ? उनकी वृद्धावस्था की पेंशन आज तक न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

9 व्यक्ति।

वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन-पत्र न प्रस्तुत किये जाने के कारण पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी।

मुरादाबाद की ग्राम सभा बहादुरपुर के ग्राम प्रधान श्री बहोरन सिंह का वृक्षारोपण सम्बन्धी तार

74—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री बहोरन सिंह, प्रधान, ग्राम सभा बहादुरपुर, तहसील तथा थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद ने दिनांक 8-9-83 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी मुरादाबाद, को तार द्वारा यह सूचित किया कि 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण की ग्राम सभा की भूमि को तहसीलदार, बिलारी ने लेखपाल के साथ फर्जी प्रस्ताव करके आवंटित भूमि दिखला कर थानाध्यक्ष, बिलारी को साथ लेकर वृक्षारोपण में बांधा डाला और ग्राम प्रधान को फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी दिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया ? यदि हां, तो जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा उपरोक्त तार के आधार पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। श्री बहोरन सिंह प्रधान ग्राम सभा बहादुरपुर तहसील व थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद के प्रश्नगत तार के सम्बन्ध में आवश्यक जांच व कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये थे। जांच कार्यवाही अन्तिम रूप से पूर्ण होने के पहले ही सम्बन्धित प्रधान ने एक फौजदारी मामला श्री सूरज सिंह आदि ग्रामवासी तथा थानाध्यक्ष बिलारी आदि के विरुद्ध दायर कर दिया जिसके न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण मामले में आगामी कोई कार्यवाही किया जाना उचित व सम्भव न हो सका।

75—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

मुरादाबाद जिले की ग्राम सभा बहादुरपुर में लगाये गये वृक्षों को उखाड़ने की घटना सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

76- श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिलाधिकारी, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 25-8-83 के आधार पर सम्भागीय वन अधिकारी, मुरादाबाद ने बहादुरपुर क्षेत्र समिति बिलारी तहसील बिलारी

जिला मुरादाबाद में वृक्ष लगाने हेतु गांव सभा की भूमि पर किसी कर्मचारी को नियुक्ति किया था जिसने दिनांक 7-9-83 को यूकिलिप्टिस के 500 पेड़ लगाये जाने हेतु वन अनुभाग अधिकारी सम्भल, मुरादाबाद को अपनी रिपोर्ट प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या उन 500 पेड़ों को श्री सूरज आदि निवासी बहादुरपुर तहसील बिलारी तथा थानाध्यक्ष बिलारी के सहयोग से उखाड़ फेंकने हेतु कोई प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री संजय सिंह---

जी हां। प्रधान ग्राम सभा बहादुरपुर, विकास क्षेत्र बिलारी, जिला मुरादाबाद का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-9-83 जो प्रश्नगत 500 यूकिलिप्टस के पेड़ों को श्री सूरज सिंह, निवासी बहादुरपुर आदि द्वारा उखाड़ फेंकने के संबंध में था, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मुरादाबाद को दिनांक 17-9-83 को प्राप्त हुआ था जिसे उन्होंने जिलाधिकारी, मुरादाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को दिनांक 21-9-83 को उचित कार्यवाही हेतु भेजा। जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि परगनाधिकारी, बिलारी को आवश्यक जांच व कार्यवाही हेतु भेजी गयी। किन्तु इसी बीच श्री बहोरन सिंह प्रधान, ग्राम सभा बहादुरपुर, ने दिनांक 26-9-83 को एक मामला फौजदारी न्यायालय में श्री सूरज सिंह आदि के विरुद्ध इसी सम्बन्ध में दायर कर दिया। चूंकि उक्त मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है अतः उनके उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं है।

बाराणसी जिले के गांव बरवां थाना चौरी में मारपीट की घटना एवं थाने में अंकित मुकदमा

77--श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बरवां, थाना चौरी, जिला वाराणसी में मारपीट की घटना की 13-2-83 को अपराध संख्या 18 दफा 323 व 336 के अधीन थाना चौरी में राजपत गांव बरवां ने दर्ज कराया है और वह लालता, रामसूरत व मेवालाल तथा शारदा बरवां के खिलाफ लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि एस0 ओ0 थाना चौरी एवं अनिरुद्ध सिंह दिनांक 16-2-83 को बरवां में जाकर 22 व्यक्तियों का नाम लिखकर ले आये और उनके नाम भी मुकदमा दर्ज किया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि रिपोर्ट 4 व्यक्तियों के खिलाफ वादी ने लिखाया और एस0 ओ0 ने और 22 व्यक्तियों का नाम लिखकर मुकदमा कैसे कायम किया है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 13-2-83 को प्रश्नगत ग्राम में कथित घटना नहीं हुई। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठत।

78--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लालता पुत्र जैकरन वगैरह गांव बरवां, थाना चौरी, जिला वाराणसी को मार कर एक पार्टी ने तारीख 13-2-84 को हाथ तोड़ दिया और पांच व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं ? इसकी रिपोर्ट थाने में 13-2-84 को नहीं लिखी गयी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि लालता के एकतरे हाथ टूटने एवं मेडिकल रिपोर्ट के साथ एस0 पी0, आर0 ए0, वाराणसी को 15-2-84 को प्रार्थना-पत्र दिया और

एस० पी०, आर० ए०, वाराणसी के आदेश पर रिपोर्ट थाना चौरी, जिला वाराणसी में लिखी गयी ? क्या सरकार इसकी जांच करेगी और एस० ओ०, चौरी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए श्री लालता या उनके पक्ष का कोई व्यक्ति थाने पर नहीं गया था । श्री लालता पुत्र जैकरन द्वारा दिनांक 15-2-84 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके साथ उन्होंने अपने एक्सरे रिपोर्ट तथा चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति की चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट को प्रतियां संलग्न किया था जिसके आधार पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 325/436/423 भा० दं० वि० पंजीकृत कर विवेचनोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में किसी जांच या अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

ललितपुर जिले के ग्राम भुन्वेरा के विद्युतीकरण की मांग

79—श्री धर्मन सिंह गहलौत—

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम भुन्वेरा, तहसील तालबेहट, जिला ललितपुर के ग्रामीणों से लगभग 15 वर्ष पूर्व बिजली देने का आश्वासन देकर रुपये जमा कराये गये थे ? किन्तु तीन पंचवर्षीय योजनायें बीत जाने पर भी उन्हें अभी तक बिजली नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों और इस गांव को कब तक बिजली उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जनपद ललितपुर तहसील-तालबेहट विकास खण्ड तालबेहट के अन्तर्गत भुन्वेरा नाम का कोई ग्राम नहीं है बल्कि भुवेरा ग्राम है । 15 वर्ष पूर्व जिन प्रार्थियों ने बिजली का कनेक्शन लेने हेतु रुपया जमा किया था उनका विवरण प्राप्त नहीं है । यह ग्राम ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सम्मिलित है, जो पूर्व वर्ष 1983-84 में स्वीकृत हो चुकी है । उपरोक्त ग्राम का विद्युतीकरण इस वर्ष होने की सम्भावना है ।

80—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[दिनांक 13-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 164 द्वारा उत्तरित ।]

81—श्री राम नारायण सिंह—

[8वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोरखपुर जिले के ग्राम विशुनपुरा में विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी शिकायती पत्र

82—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के सब स्टेशन राजधानी से ग्राम विशुनपुरा को गयी लाइन पर गांव में जिस ट्रांसफारमर से बिजली जाती है उससे हरिजन बस्ती बिशुनपुरा की बत्तियों के न जलने सम्बन्धी कितनी शिकायतें माह जनवरी, 84 से अब तक सब स्टेशन पर अंकित हुई ? इन शिकायती पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

ग्राम बिशुनपुरा की हरिजन बस्ती में बत्ती न जलने की चार शिकायतें जनवरी, 1984 से अब तक प्राप्त हुई । शिकायतों के प्राप्त होने पर सम्बन्धित लाइन/ट्रान्सफार्मर की खराबी दूर करके विद्युत व्यवस्था ठीक कर दी गयी ।

83—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या यह भी सत्य है कि उक्त सब स्टेशन पर बिशुनपुरा हरिजन बस्ती में लाइन से बत्ती न जलने की शिकायत की

सत्यप्रकाश भारती ने दिनांक 18-2-84 में एवं प्रश्नकर्त्ता ने पुनः दिनांक 20-2-84 को लिखित रूप में अवर अभियन्ता के नाम पत्र लिखकर किया ह ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अवर अभियन्ता के राजधानी सब स्टेशन पर न रहने के कारण ही ये सारी कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं और शिकायत के बिना हटाए रजिस्टर में शिकायत दूर कर दी गई विवरण लिखकर काम की इतिश्री कर दी जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

यह सत्य नहीं है कि प्राप्त शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही किये बिना ही रजिस्टर में शिकायत दूर कर दिये जाने की प्रविष्टि कर दी जाती है । संबंधित शिकायतें मिलने पर, स्थल पर जाने से यह पता चला कि सम्बन्धित ट्रान्सफार्मर का "न्यूट्रल" टूट गया था जिसको ठीक करके 22-2-1984 को विद्युत् सप्लाई चालू कर दी गयी ।

अलीगढ़ जिले के ग्राम खडेहा के श्री भुवनेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा थाना टप्पल में लिखायी गयी रिपोर्ट

84--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम खंडेहा के किन-किन निवासियों ने स्थानीय थाना टप्पल में माह दिसम्बर, 84 में धारा 394 भा0 दं0 वि0 में रपट दर्ज कराया है ? क्या इसमें श्री भुवनेन्द्र प्रसाद भारती की भी कोई रपट मु0 अ0 सं0 115, धारा 394 ता0 हि0 में दिनांक 22-12-83 में दर्ज हुई है ? यदि हां, तो अब तक इस रपट में क्या हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद अलीगढ़ के ग्राम खंडेहा के निवासियों ने वर्ष 1983 के माह दिसम्बर में धारा 394 भा0 दं0 वि0 का केवल एक अभियोग थाना टप्पल पर पंजीकृत कराया । यह अभियोग श्री भुवनेन्द्र प्रसाद पुत्र लेखराज, निवासी खंडेहा ने किशनचन्द शर्मा पुत्र प्रकाश चन्द्र के विरुद्ध दिनांक 23-12-83 को पंजीकृत कराया गया जिसमें साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है । निष्पक्ष जांच हेतु जांच इस मामले की विवेचना अधीक्षक स्तर द्वारा की जा रही है ।

85--श्री शिव नरेश--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

कानपुर के शास्त्रीनगर के निवासी श्री ओम प्रकाश के यहां फर्रुखाबाद के थानेदार एवं कान्स्टेबिलों द्वारा डाली गयी डकैती की जांच एवं कार्यवाही

86--श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शास्त्रीनगर, थाना काकादेव, जिला कानपुर के ओम प्रकाश के मकान पर 6 मार्च, 84 को कन्नौज थाना, जिला फर्रुखाबाद के दो थानेदार एवं 5-6 सिपाहियों ने लूट पाट किया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ओम प्रकाश की दरख्वास्त पर सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी सेल की जांच हेतु सौंप दिया था ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार विरोधी सेल ने थाना काकादेव, शहर कानपुर में दो थानेदारों, चार सिपाहियों एवं एक मुखबिर के खिलाफ जो 395 का मुकदमा दर्ज कराया है ? उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा दिनांक 6-7 मार्च, 1982 को रात्रि में घर में घुसकर लूट-पाट किये जाने सम्बन्धी

श्री ओम प्रकाश, निवासी शास्त्रीनगर, थाना काकादेव, कानपुर का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच कराई गई। प्रथम दृष्टतया जांच से थाना कन्नौज, जनपद फर्रूखाबाद के दो उप निरीक्षकों तथा तीन कान्स्टेबिलों व एक अन्य व्यक्ति को दोषी पाये जाने पर थाना काकादेव पर उनके विरुद्ध एक अभियोग धारा 395 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया। इस अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

वाराणसी जिले के सब स्टेशन पिंडरा, चोलापुर, अनेई, राजा-तालाब की विद्युत् कटौती

87--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत् वाराणसी ने अपने आदेश संख्या एम-57-एस-154 नं0 659/3 वी0 डी0 2 सी0 एम0, दिनांक 22-2-84 के द्वारा विद्युत् कटौती करके चार घंटा बिजली देने का आदेश विद्युत् सब स्टेशन पिंडरा, चोलपुर, हरदुआ, अनेई, राजातालाब वगैरह, वाराणसी को दिया है? यदि हां, तो यह क्या सही है कि पहली मार्च से अब तक बिजली की सप्लाई प्रत्येक सब स्टेशन से एक दो घंटे हो रही है और पिंडरा, वाराणसी में तो 7 मार्च से 10 मार्च, 84 तक बिजली दी ही नहीं गयी? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री ब्रह्म दत्त--

अधिशासी अभियन्ता, वाराणसी ने अपने आदेश संख्या एम-57-एस-154 नं0 659/3 वी0 डी0 2 सी/एम, दिनांक 22-2-1984 के द्वारा विद्युत् सब स्टेशन पिंडरा, चोलापुर, हरदुआ, अनेई, राजातालाब वगैरह जनपद वाराणसी को चार घंटे प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति के कोई आदेश जारी नहीं किये हैं। उपरोक्त आदेश केवल शहरों में निर्धारित कटौती से सम्बन्धित हैं। इनका ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत् आपूर्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्नगत अवधि में वाराणसी जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों को निर्धारित औसत सात घंटे प्रतिदिन के सापेक्ष औसत सात घंटे पन्द्रह मिनट विद्युत् आपूर्ति की गयी है।

होमगार्ड्स विभाग का पुनर्गठन, कर्मचारियों का वेतनमान एवं पदावनति से सम्बन्धित उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश

88--श्री शिवनरेश--

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि होमगार्ड्स विभाग में 10 वर्ष से 18 वर्ष तक पुराने वेतनमान 230-385 रु0 जो वर्तमान समय में पुनरीक्षित वेतनमान 430-685 रु0 किया गया है, पर कार्यरत क्लर्क-कम-एकाउन्टेन्ट को नये पुनर्गठित प्रारूप पर पदावनत करते हुए उन्हें कनिष्ठ लिपिक वेतनमान 350-550 रु0 में खपाया गया है? यदि हां, तो यह किन परिस्थितिवश किया गया?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं।

पुराने प्रारूप के पद समाप्त होने पर फालतू कर्मचारियों को उनके विकल्प के अनुसार पुनर्गठित प्रारूप में 354-550 रु0 वेतनमान में नियुक्त किया गया था।

89--श्री शिवनरेश--

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि होमगार्ड्स विभाग में एक ही साथ कार्यरत 7 लिपिक एवं लेखाकार ने उक्त पदावनति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ से उक्त पदावनति के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है और वे 430-685 के वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं जबकि उनके

सम्वर्ग के अन्य लिपिक 354–550 के वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं ? ऐसी विषमता क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पुनर्गठित प्रारूप में नियुक्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये स्थगन आदेश के अनुपालन में 7 लिपिक एवं लेखाकार को उसी वेतनमान में बनाये रखा गया है जो 430–685 रु० में पुनरीक्षित हो गया है ।

90—श्री राम स्वरूप निम—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

पुलिस विभाग के लिपिकीय कर्मचारियों का स्थायीकरण

91—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग के लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों का स्थायीकरण 10–15 वर्ष की सेवाकाल बीत जाने के बाद भी पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि जिसका सेवाकाल तीन वर्ष का हो जाय उसे स्थायी कर दिया जाय तो क्या इस शासनादेश को देखते हुए समस्त कर्मचारियों को जो इसके परिधि में आते हैं, उनको स्थायी करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

लिपिकीय संवर्ग के 10–15 वर्ष या उससे अधिक की सेवावधि के कुल 1486 कर्मचारियों में से 1036 कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जा चुका है । शेष 450 कर्मचारियों का स्थायीकरण स्थायी पदों के उपलब्ध न होने अथवा उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित न होने के कारण नहीं किया जा सका है ।

कर्मचारियों का स्थायीकरण स्थायी पदों के उपलब्ध होने पर ही किया जा सकता है न कि उनके केवल 3 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लेने पर । लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही स्थायी पदों के उपलब्ध होने पर सम्बन्धित कर्मचारियों की उपयुक्तता/अनुपयुक्तता की जांच के उपरान्त नियमानुसार की जाती है ।

गोरखपुर के श्री मुन्नर प्रसाद को केन्द्रीय पेंशन की स्वीकृति

92—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि भू० पू० उप सचिव श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित, गृह (सामान्य) अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन ने जुलाई 4, 1975 में अपने अ० शा० प० संख्या 3079 (1) जेड (3)/6–75–33 के०पे०/74 द्वारा श्री मुन्नर प्रसाद, गोरखपुर के विषय में केन्द्रीय पेंशन देने के संदर्भ में लिखे पत्र की सूचना भू० पू० सांसद श्री शिब्बन लाल सक्सेना को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो क्या इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार उ० प्र० को कोई सूचना दी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या प्रान्तीय सरकार ज्ञात कर स्थिति से सदन को अवगत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

जी हां, राज्य शासन द्वारा श्री मुन्नर प्रसाद को केन्द्रीय पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में, भारत सरकार को संदर्भगत पत्र भेजा गया था तथा इसकी सूचना भूतपूर्व सांसद श्री शिब्बन लाल सक्सेना को भी दी गई थी । भारत सरकार से राज्य शासन के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, परन्तु श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने वर्ष 1979 में एक पत्र राज्य शासन को लिखा था जिसके साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक 7 अगस्त, 1975 की प्रतिलिपि संलग्न की थी । उससे ज्ञात हुआ कि भारत सरकार ने श्री मुन्नर प्रसाद को 100 रुपया मासिक पेंशन स्वीकृत कर

दी हैं । अतः मामले में भारत सरकार से पुनः जानकारी करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई ।

आजमगढ़ के जौयनपुर–बिलरियागंज–महाराजगंज मार्ग हेतु ग्राम नगहट के किसानों की अधिगृहीत भूमि

93––श्री पंचानन राय––

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 152 के उत्तर के संदर्भ में क्या सा0 निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में जौयनपुर–महाराजगंज मार्ग पर नगहट गांव (नगहर नहीं) के किसानों की ली गई भूमि के प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण––

जनपद आजमगढ़ में जौयनपुर–बिलरियागंज–महाराजगंज मार्ग पर स्थित ग्राम नगहट से जिन किसानों की भूमि ली गई है, वह चकबन्दी के अन्तर्गत खातेदारों के नाम खारिज करके सड़क दर्ज कर दिया गया है अतः प्रतिकर के भुगतान का प्रश्न नहीं है ।

वाराणसी जिले के महाराजगंज–चौरी मार्ग के लिये ग्राम गिर्द बड़गांव निवासी श्री अजीत सिंह की ली गयी कथित भूमि

94––श्री पंचानन राय––

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 119 के सन्दर्भ में क्या सा0 निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में स्थित महाराजगंज–चौरी मार्ग के निर्माण में गिर्द बड़ा गांव की जो जमीन ली गई है वह कैसे ली गयी है ? क्या उसमें श्री अजीत सिंह के चक नं0 13 से भी कोई भूमि ली गयी है ?

श्री विद्या भूषण––

जनपद वाराणसी में स्थित महाराजगंज–चौरी मार्ग हेतु ग्राम गिर्द बड़गांव के चक संख्या 13 के भू–स्वामी श्री अजीत सिंह अथवा अन्य को कोई भी भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं ली गयी है । यह सड़क वर्ष 1979 में जिला परिषद, वाराणसी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गयी है ।

आजमगढ़ जिले के आजमगढ़–गोरखपुर मार्ग की भूमि पर महुला ग्रामवासियों का अनधिकृत कब्जा

95––श्री पंचानन राय––

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 88 के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस कब जारी की गई है तथा उनके खिलाफ न्यायालय में कोई मुकदमा दायर किया गया है ? यदि हां, तो किस सम्बन्ध में और कब ?

श्री विद्या भूषण––

निम्नलिखित सम्बन्धित व्यक्तियों को अवैध निर्माण हटाने के लिये "यू0 पी0 रोड साइड लैंड कन्ट्रोल ऐक्ट, 1945" के अधीन उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों में धारा 5 के अन्तर्गत नोटिसें जारी की गयी तथा धारा 13 (2) के अन्तर्गत परगना अधिकारी, सगड़ी, आजमगढ़ के न्यायालय में मुकदमें दायर किये गये :––

नाम	नोटिस की तिथि	मुकदमा दायर करने की तिथि
1	2	3
सर्वश्री––		
1––राम समुझ	31–12–83	12–4–84
2––चौथी	31–12–83	12–4–84

1	2	3
3—दशरथ	31-12-83	12-4-84
4—अलगू	31-12-83	23-3-84
5—कुम्हकरण	2-6-83	12-4-84
6—मुमताज	4-6-83	12-4-84
7—हरिहर	31-12-83	12-4-84

आजमगढ़ जिले को प्राइमरी पाठशाला, मंडनपुर का निर्माण

96—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला, मंडनपुर, विकास खंड, अजमतगढ़ का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ था और इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री विद्या भूषण—

निर्माण 17 फरवरी, 1983 से प्रारम्भ हुआ था और अक्तूबर, 1984 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है ।

आजमगढ़ जिले के भीमवर बाजार-गोसाई मार्ग का निर्माण

97—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1978 में स्वीकृत होने के बाद भी 1984 तक इसका निर्माण पूरा क्यों नहीं हुआ ? स्वीकृत धन के व्यय न होने तथा निर्माण में अनावश्यक विलम्ब के लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं ? 1978 से स्वीकृत और कौन-कौन से मार्ग आजमगढ़ जिले में ऐसे हैं जिनका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है ?

श्री विद्या भूषण—

कि0 मी0 1 तथा 3 में भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत मार्ग का निर्माण मार्च, 1984 तक पूर्ण नहीं हो सका ।

जहां भूमि उपलब्ध थी वहां कार्य किया गया और व्यय भी हुआ ।

सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 120 पर ।)

श्री श्याम राज कुर्मी, गांव दविलहा, जिला जौनपुर को राजनैतिक पेंशन

98—श्री ऊदल—

क्या राजनैतिक पेंशन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम राज कुर्मी, गांव दविलहां, थाना मड़ियाहूं, जिला जौनपुर, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनको कोई राजनैतिक पेंशन न देने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

श्री श्याम राज कुर्मी, गांव दविलहां, थाना मड़ियाहूं, जिला जौनपुर का राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन विषयक कोई आवेदन-पत्र शासन को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, अतः तत्सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

99—श्री ऊदल—

क्या राजनैतिक पेंशन मन्त्री को ज्ञात है कि श्री श्यामराज कुर्मी बहुत ही बीमार चल रहे हैं तथा इन्होंने सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था जिसकी वर्ष 1983 में जांच सरकार ने जिलाधीश, जौनपुर से करायी थी ? यदि हां, तो जिलाधीश की रिपोर्ट शासन से अब तक कई माह व्यतीत हो गये परन्तु उस पर सहायता हेतु निर्णय न लेने का कारण क्या है ? क्या सरकार श्यामराज कुर्मी को सहायता पहुंचायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

माननीय विधायक के पत्र दिनांक 2 मार्च, 1983 में श्री श्यामराज कुर्मी के बीमार होने का उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में श्री श्यामराज कुर्मी से राज्य सरकार को पेंशन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र उनके द्वारा वास्तव में भोगी गयी सजा के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

श्री त्रिलोकी नाथ, अध्यक्ष, आदर्श मुर्गी पालन एवं अंडा विक्रय साधन सहकारी समिति बैल-बाल गुनही का हरिजन समिति की भूमि दिये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

100—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री त्रिलोकी नाथ, अध्यक्ष, आदर्श मुर्गी पालन एवं अंडा विक्रय साधन सहकारी समिति बैलवाल-गुनही (बैलोहां) का हरिजन समिति, को सार्वजनिक निर्माण विभाग की खाली भूमि लीज पर देने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र, दिनांक 12 अप्रैल, 1982 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ बिलरियागंज विद्युत उपकेन्द्र द्वारा विद्युत आपूर्ति

101—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज विद्युत उपकेन्द्र से किसानों को अगस्त, 1983 में प्रतिदिन कितने घंटे बिजली की आपूर्ति की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 121 पर।)

उन्नाव जिले के मौरावां-बिहार मार्ग के निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि

102—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद की मौरावां-बिहार रोड की खस्ता हालत की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1983 तक कितने शिकायती-पत्र उन्हें और विभाग को प्राप्त हुए हैं और विभाग के किस किस अधिकारी ने कब-कब इसका निरीक्षण किया है तथा वित्तीय वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 में अब तक पृथक-पृथक कितनी-कितनी धनराशि मरम्मत में व्यय की गयी है ?

श्री विद्याभूषण—

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार दो शिकायती पत्र प्राप्त हुये। यदि माननीय सदस्य ने और पत्र भेजे हैं तो उनसे निवेदन है कि वे कृपया विवरण उपलब्ध करायें, उनपर कार्यवाही की जायगी :

विभाग के निम्नांकित अधिकारियों द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को प्रश्नगत मार्ग का निरीक्षण किया गया :

श्री सी0 पी0 अग्रवाल,	15-7-81,
सहायक अभियन्ता	18-9-81,
	19-10-81,
	5-11-81,
	15-11-81,
	16-11-81

श्री श्रवण कुमार, अधिशासी अभियन्ता	14-4-81 तथा 11-2-82
श्री नासिर हुसैन, सहायक अभियन्ता	28-3-81
श्री एस0 डी0 मुन्शी, सहायक अभियन्ता	28-2-83, 15-3-83, 21-3-83, 22-3-83, 30-3-83, 7-4-83, 11-4-83, 29-4-83 4-6-83, 8-6-83 20-7-83 21-7-83 26-7-83, 28-7-83 1-3-83, 6-8-83 8-12-83, 12-10-83
श्री जी0 सी0 गुप्ता, मु0 अभि0 (मध्य क्षेत्र)	28-7-83
श्री एस0 एन0 सक्सेना, अधी0 अभि0	28-7-83
श्री एस0 के0 शुक्ला, अधि0 अभि0	29-4-83, 20-7-83 28-7-83
श्री भीम सेन, अधि0 अभि0	14-2-84, 17-2-84
श्री एस0 सी0 बाघवानी सहायक अभियन्ता	14-2-84, 17-2-84 12-3-84, 16-3-84

वित्तीय वर्ष	मरम्मत पर व्यय
1981-82	1.24 लाख रु0
1982-83	0.89 लाख रु0
1983-84 फरवरी तक	0.39 लाख रु0
योग ..	2.52 लाख रु0

टनकपुर-तवाघाट मार्ग, जिला पिथौरागढ़ को चौड़ा करने सम्बन्धी कथित प्रस्ताव

102--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टनकपुर से तवाघाट, जनपद पिथौरागढ़ राष्ट्रीयकृत मार्ग के केन्द्र सरकार द्वारा सन् 1977 में 34 फिट चौड़ा करने हेतु 50 प्रतिशत धन-राशि देने का प्रस्ताव किया था ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त मार्ग को चौड़ा करने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

प्रश्नगत मार्ग डायरेक्टर जनरल, बार्डर रोड्स के अधीन है, वही इसका रख-रखाव करते हैं । उनसे ऐसा कोई प्रस्ताव 1977 में प्राप्त नहीं हुआ । शेष, प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी गढ़वाल जिले के कलजीखाल मुन्डनेश्वर–बोसाल मार्ग का निर्माण

104––श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कलजीखाल मुन्डनेश्वर–बोसाल मोटर मार्ग की स्वीकृत किस वित्तीय वर्ष में दी गई थी और इस मार्ग का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया था तथा कब तक पूर्ण किए जाने की सम्भावना है ? इस मार्ग के निर्माण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी और अब तक कुल कितना व्यय किया गया है तथा अवशेष कार्य को पूरा करने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

श्री विद्या भूषण––

प्रश्नगत मार्ग के कलजीखाल से मुन्डनेश्वर तक 5.8 कि0 मी0 की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1976–77 में दी गयी थी। मुन्डनेश्वर–बोसाल मार्ग की 25 कि0 मी0 की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1976–77 में दी गई थी तथा इसी मार्ग की 29 कि0 मी0 लम्बाई की पुनरीक्षित स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1983–84 में प्रदान की गई थी। 5.8 कि0 मी0 भाग का निर्माण मार्च 1979 में प्रारम्भ किया गया और उस पर कार्य पूर्ण है। 29 कि0 मी0 के दूसरे भाग पर निर्माण कार्य जून, 1977 में आरम्भ किया गया और इसका पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

इस मार्ग के 5 8 कि0 मी0 भाग के लिए 2 32 लाख रु0 स्वीकृत किया गया था और 2.37 लाख रु0 के व्यय पर निर्माण पूर्ण हुआ। 29 कि0 मी0 भाग के लिए 86.20 लाख रु0 स्वीकृत हुआ था, जिसमें से 64.27 लाख रु0 व्यय हो गया है तथा अवशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए 21.93 लाख रु0 की आवश्यकता है।

बिजनौर जिले के क्रेशर मालिकों पर अवशेष विद्युत् बिल

105––श्री सूबेदार सिंह––

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1981–82 और 1983 में जिला बिजनौर के किन क्रेशर मालिकों पर बिजली के बिलों का भुगतान देय है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त––

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी "झ" आगे पृष्ठ 122 पर।)

मिर्जापुर जिले के जागीवार–मिर्जापुर मार्ग का निर्माण

106––श्रीमती गौरी देवी––

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के आठवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जागीवार–मिर्जापुर मार्ग कि0 मी0 5, 6, 7 एवं 9 का सर्वेक्षण नहीं कराया गया था ? क्या उक्त मार्ग का निर्माण बन्धे के किनारे नहीं कराया जा सकता था ? इस मार्ग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्री विद्या भूषण––

प्रश्न के प्रथम एवं तृतीय भाग का उत्तर विधान सभा के वर्तमान सत्र में ही 5वें मंगल के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या––86 के उत्तर में दिया जा चुका है।

प्रश्न के द्वितीय भाग के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि कि0 मी0 5, 6 एवं 7 में सिंचाई विभाग के बंधे पर ईंट की सोलिंग दे दी गई है। इसलिए बंधे के किनारे से मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

गोरखपुर जिले के थाना पनियरा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

107--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायगे कि उन्हें श्री रमाकान्त, ब्रांच मन्त्री, भा0 क0 पार्टी, पनियरा, जिला गोरखपुर का एक शिकायती-पत्र थानाध्यक्ष, पनियरा के खिलाफ दिनांक 4-1-1984 तथा श्री कृष्ण मुरारी नायक, जिला मन्त्री भा0 क0 पा0 गोरखपुर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को सम्बोधित थानाध्यक्ष के खिलाफ शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और क्या उनकी जांच कराई गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, किन्तु श्री रमाकान्त के शिकायती-पत्र की तिथि 4-1-1984 न होकर 2-1-1984 है । सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर काम करना, विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित करना, ब्लाक प्रमुख के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को परेशान करना व मुकदमों में फंसाने की धमकी देना, उप निरीक्षक, बृजराज सिंह जो कई वर्षों से तैनात हैं, उनके द्वारा नशे में चौराहे व सड़कों पर गालियां देना व अनायास हाथ छोड़ देना, अमर नाथ यादव को संगीन मुकदमें में फंसा देना, तथा चलचाकी व अमनोली के तीन व्यक्तियों को झूठा फंसा कर जेल भेज देना, डकैतों को पनाह देने की शिकायतें थीं । जांच मार्च, 1984 में करायी गयी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोण्डा द्वारा निर्माण कार्यों का विभागीय निर्माण इकाइयों को हस्तान्तरण

108--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सावजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 खं0 सा0 नि0 वि0 गोंडा से विभागीय निर्माण इकाई को कुछ कार्य वित्तीय वर्ष 1982-83 में (लगभग साल भर पूर्व) हस्तान्तरित कर दिये गये ? यदि हां, तो क्या चार्ज का आदान-प्रदान हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

मार्गों तथा भवनों के कार्यों के लिए मैदानी क्षेत्र में अलग-अलग खण्डों की व्यवस्था के अधीन शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 1982 द्वारा गोंडा में प्रान्तीय खन्ड तथा अस्थायी खन्ड को मार्गों के कार्य के लिए एवं विभागीय निर्माण इकाई को भवनों के कार्य के लिए नामित किया गया था परन्तु कार्य के हित में ही उसे दिनांक 31-3-1983 तक स्थगित कर दिया गया । बाद में शासनादेश दिनांक 14-9-1983 द्वारा गोंडा में विभागीय निर्माण इकाई के स्थान पर अस्थायी खन्ड को भवनों के कार्य के लिए नामित किया गया जिसके अनुसार गोंडा में खन्डों के बीच में चार्ज का आदान-प्रदान फरवरी, 1984 में पूरा हो गया ।

बलिया जिले की ग्राम सभा सुरही में स्ट्रीट लाइट लगाये जाने की मांग

109--श्री गौरी शंकर भैंटया--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री द्रोणाचार्य चौबे, ग्राम प्रधान सूरही, ब्लाक सोरांव, जनपद बलिया ने दिसम्बर, 1983 में अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रखंड बलिया को एक आवेदन पत्र दिया है जिसमें ग्राम सभा ने सर्व सम्मति से गांव के अन्दर स्ट्रीट लाईट लगाने की बात की है तथा इसके भुगतान की जिम्मेदारी भी ग्राम सभा ने ली है ? यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने में विभाग को क्या अड़चन है ? क्या मन्त्री महोदय उस गांव में गड़े हुए खंभों एवं तार पर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था करने हेतु विभाग को आदेश देने का कष्ट करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं ।

इस आशय का ग्राम प्रधान, सुरही का एक पत्र दिनांक 21-5-1983 अधिशासी अभियन्ता, बलिया को प्राप्त हुआ था ।

इस विषय में अधिशासी अभियन्ता ने स्ट्रीट लाईट लगाने का प्राक्कलन ग्राम प्रधान को भेज दिया है ।

थाना बिल्हौर, कानपुर द्वारा कराया गया शवों का पोस्टमार्टम

110—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 2 अगस्त, 1983 से 9 अगस्त, 1983 तक थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर (देहात) की पुलिस द्वारा कुल कितनी लाशों का पोस्टमार्टम कराया गया और यह मौतें किस प्रकार हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर (देहात) की पुलिस द्वारा 5 शवों का पोस्ट मार्टम कराया गया । सभी मामलों में शरीर पर आयी चोटों के कारण मृत्यु का होना पाया गया ।

पौड़ी-गढ़वाल के अटवानी नाहलैंण मार्ग की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

111—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत अटवानी-नाहलैंण मार्ग के रखरखाव एवं सुधार कार्य हेतु शासन द्वारा विगत तीस वर्षों से अब कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है और मार्ग के सुधार एवं रख-रखाव पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नगत मार्ग अगस्त, 1982 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आया। वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 (फरवरी, 1984 तक) में इस मार्ग पर रख-रखाव एवं सुधार हेतु कुल 5·48 लाख रु0 स्वीकृत किये गये और 5·19 लाख रु0 व्यय हो चुके हैं।

बगानी खाल-बसन्तपुर अनुभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग, पौड़ी के कार्य हेतु आमंत्रित टेण्डर

112—नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, पौड़ी ने अपने पत्रांक 907/2-सी, दिनांक 15-3-83 में यह स्वीकार किया था कि बगानीखाल-बसन्तपुर अनुभाग के कार्य जाब नं0 17, 17, 20, 21, 22, 23, 24 तथा 28 पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो उक्त जाबों के टेंडर कब आमंत्रित किए गए थे और बाण्ड कब-कब किए गए तथा उनकी अन्तिम वाप कब-कब की गयी तथा अन्तिम भुगतान कब-कब किया गया ? शेष जाबों की प्रगति क्या है और कब तक इस मार्ग को मोटर यातायात के लिए खोला जा सकेगा ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां।

टेंडर 14-10-81 को आमंत्रित किये गये।

इनके बाण्ड 11-6-82 और 9-1-84 के बीच विभिन्न तिथियों में किये गये ।

जाब नं0 24 के अतिरिक्त अन्य जाबों में—

(क) अन्तिम माप 27-6-82 तथा 25-11-82 के बीच और

(ख) अन्तिम भुगतान 28-7-82 तथा 2-1-83 के बीच विभिन्न तिथियों को किया गया।

जाब नं0 24 में ठेकेदार ने कार्य अपूर्ण छोड़ दिया था, भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

शेष जाब नं0 10बी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 26 तथा 27 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण हो गया है तथा दीवारों का कार्य प्रगति में है।

जाब सं0 25 में निविदाओं का निस्तारण किया जा रहा है।

पौड़ी गढ़वाल जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के जीर्णशीर्ण अवस्था में निरीक्षण भवन

113—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कितने निरीक्षण भवन हैं और इसमें कितने ऐसे भवन हैं, जो कार्य रूप में नहीं है? इन भवनों के कार्य रूप में न रहने के कारण क्या हैं तथा इनको कार्य रूप में रखने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री विद्या भूषण--

1--कुल 19 निरीक्षण भवन हैं जिनमें से दो कार्य रूप नहीं है। कार्य रूप न रहने वाले "व्यासचट्टी" तथा "कोल्टीमेल" के बहुत पुराने दो निरीक्षण भवन हरिद्वार-बद्रीनाथ पैदल मार्ग पर दूरस्थ स्थानों पर स्थित हैं जिनके उपयोग की कोई मांग न होने के कारण वे जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं। आवश्यकता-नुसार उनको मरम्मत हेतु कार्यवाही की जा रही है।

पौड़ी-गढ़वाल जिले खण्डों को कम किये जाने की मांग

114—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल में प्रशासनिक व्यय कम करने के लिए क्या सरकार जनपद में स्थित डिवीजनों को कम करेगी? यदि हां, तो क्या सरकार पौड़ी तथा श्रीनगर गढ़वाल में स्थित दो-दो डिवीजन में से एक-एक डिवीजन कम करके प्रशासनिक व्यय में कमी करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण--

वर्ष 1984-85 में पौड़ी-गढ़वाल के खण्डों के कार्य-भार को देखते हुए किसी भी खण्ड को कम करने का कोई विचार नहीं है।

आजमगढ़ जिले के विकास खन्ड बिलरियागंज, हरैया, अजमतगढ़ के अविद्युतीकृत गांवों की सूची

115--श्री पंचानन राय--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज विकास खन्ड में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण दिनांक 31 जनवरी, 1984 तक नहीं हुआ है तथा सम्पूर्ण गांवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा?

श्री ब्रह्म दत्त--

जनपद आजमगढ़ के विकास खन्ड बिलरियागंज में दिनांक 31 जनवरी, 1984 तक अवशेष अविद्युतीकृत 72 ग्राम हैं। सम्पूर्ण गांवों के विद्युतीकरण का अभी कोई समय बद्ध कार्यक्रम नहीं बना है। ग्रामों की सूची अध्यक्ष महोदय की मेज पर उपलब्ध है।

(देखिए परची "ञ" आगे पृष्ठ 132 पर।)

116—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हरैया विकास खन्ड में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण दिनांक 31 जनवरी, 1984 तक नहीं हुआ है तथा सम्पूर्ण गांवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

आजमगढ़ जनपद के विकास खण्ड हरैया में दिनांक 31 जनवरी, 1984 तक अवशेष अविद्युतीकृत 73 ग्राम हैं । सम्पूर्ण गांवों के विद्युतीकरण का अभी कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बना है । ग्रामों की सूची अध्यक्ष महोदय की मेज पर उपलब्ध है ।

(देखिए नत्थी "ट" आगे पृष्ठ 135 पर।

117—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खन्ड में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण दिनांक 31 जनवरी, 1984 तक नहीं हुआ है तथा सम्पूर्ण गांवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अजमतगढ़ में दिनांक 31 जनवरी, 1984 तक अवशेष अविद्युतीकृत 79 ग्राम हैं । सम्पूर्ण गांवों के विद्युतीकरण का अभी कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बना है । ग्रामों की सूची अध्यक्ष महोदय की मेज में उपलब्ध है ।

(देखिए नत्थी "ठ" आगे पृष्ठ 138 पर।)

अन्वेषणालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के रिसर्च डेवलपमेन्ट एन्ड क्वालिटी प्रमोशन सेल में पदों का सृजन

118—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्वेषणालय, सा0 वि0 नि0, लखनऊ में रिसर्च, डेवलपमेंट ऐन्ड क्वालिटी प्रोमोशन सेल का सृजन किन उद्देश्यों से किया गया ? सेल के के लिए भारत सरकार ने किन-किन पदों की स्वीकृति दी थी तथा क्या उन स्वीकृत पदों के अनुरूप सेल में विभाग द्वारा पदों का सृजन किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

अन्वेषणालय, सा0 नि0 वि0, लखनऊ में रिसर्च डेवलपमेन्ट एन्ड क्वालिटी प्रमोशन सेल का सृजन निम्न-लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया था :—

1—नये निर्माण पदार्थों एवं विधियों का विकास ।

2—प्रचलित निर्माण पदार्थों एवं विधियों का पुनर्निरीक्षण।

3—उक्त विषयक विकसित देशों से आयातित तकनीकों का अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन ।

4—प्रयोगशाला जनित उपलब्धियों को व्यवसायिक रूप में परिवर्तित करना ।

5—विशिष्टियां (Specific- और प्र) गठित करके प्रशिक्षण देकर दर्शन द्वारा नवीन तकनीकों को ग के स्थान तक पहुंचाना ।

6—प्रचलित निर्माण प्रथाओं में इस प्रकार सुधार एवं विकास, जिससे मूल्य तथा समय में न्यूनता लाई जा सके ।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 26-2-1981 में उक्त सेल का कार्य देखने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न प्रकार से बड़े राज्यों के लिए पद संस्तुत किये गये थे :—

1--अधीक्षण अभियन्ता के ग्रेड का अधिकारी जो इसका हेड होगा	एक पद
2--अधिशासी अभियन्ता	तीन पद
3--सहायक अधिशासी अभियन्ता	तीन पद
4--अन्य सहायतार्थ स्टाफ	..

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस सेल की स्थापना हेतु निम्न पदों को स्वीकृत शासनादेश संख्या-4623/81-23 दिनांक 26-2--1982 के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन पहले से विद्यमान अन्वेषणालय संगठन सा0 नि0 वि0 की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये दी गई हैं :--

1--निदेशक (वैज्ञानिक)	एक पद
2--उपनिदेशक (वैज्ञानिक)	दो पद
3--अधिशासी अभियन्ता	एक पद
4--सहायक शोध अधिकारी (वैज्ञानिक)	दो पद
5--सहायक अभियन्ता	एक पद
6--कनिष्ठ लिपिक/टंकक	दो पद
7--चपरासी	दो पद

गोरखपुर के विकास क्षेत्र घुंघली के विद्युत् उपभोक्ताओं के निजी मीटरों पर लिया जाने वाला कथित किराया

119--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्हें या विभाग को श्री राम आसरे जायसवाल मन्त्री, हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन, गोरखपुर ने एक शिकायती-पत्र माह दिसम्बर, 1983 को इस आशय का दिया है कि उपभोक्ताओं से निजी मीटर का किराया विकास क्षेत्र घुघली (गोरखपुर) में लिया जा रहा है और यह धन विभागीय कोष में जमा नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या विभाग ने इसकी जांच करा कर दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त --

श्री राम आसरे जायसवाल, मंत्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन गोरखपुर का माह दिसम्बर, 1983 का शिकायती-पत्र उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है।

जहां तक विकास क्षेत्र घुघली (गोरखपुर) के उपभोक्ताओं से निजी मीटर का किराया लेने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद ने मीटर न उपलब्ध होने की दशा में उपभोक्ताओं को अपने निजी मीटर लगाने की सुविधा प्रदान की है, जिन उपभोक्ताओं द्वारा अपने निजी मीटर लगाये गये हैं उनसे मीटर का किराया नहीं लिया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं के परिसर में विद्युत् परिषद् के मीटर लगे हैं उनसे वसूल की गई मीटर किराये की धनराशि विभागीय कोष में ही जमा हो रही है। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

120-121--श्री ऊदल--

[दिनांक 21-2-1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या-83 द्वारा उत्तरित।]

हमीरपुर जिले के ग्राम शेखूपुर-सिवनी के निकट कुरारा-भनकी मार्ग को पक्का किये जाने की मांग

122--श्री प्रताप नरायन द्विवेदी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी जनपद हमीरपुर के ब्लाक कुरारा कि

अन्तर्गत ग्राम शेखूपुर से ग्राम सिवनी के निकट कुराराभनकी मार्ग से बम्बा रोड को ग्राम बचरौली, बिलौटा और बरुवा को जोड़ने के लिए पक्का बनायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण --

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जिला योजना से सम्बन्धित होने के कारण जिला समिति के अनुमोदन एवं कार्य की स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण की अवधि बताना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम मखदूमपुर--बाहपुर---रुस्तमगढ़--पुरबाबू बहादुर मार्ग के निर्माण की मांग

123--श्री सन्तबख्श रावत---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मखदूमपुर, बाहरपुर, बलापुर, रुस्तमगढ़, पुरबाबू बहादुर रथ तथा रसूल पुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर से जाकर गंज मन्डो तक वाहनों के आवागमन हेतु कोई सोधी सड़क नहीं है ? यदि हां तो क्या शासन उक्त सड़क बनवाने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री विद्याभूषण---

सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई सोधी सड़क नहीं है । ऐसी कोई सड़क प्रस्तावित नहीं है ।

उक्त सड़क को बनवाने का विचार करना जिला समिति के अधिकार क्षेत्र में है ।

बस्ती जिले की पलटा देवी विद्युत् लाइन का संचालन

124---श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड बर्डपुर, बस्ती के पलटा देवी लाइन (विद्युत) जो 1979 में स्वीकृत हुई थी, को चालू कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त---

जी हां ।

बस्ती जिले के ग्राम कोडरा ग्रान्ट के विद्युतीकरण की मांग

125---श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खंड नौगढ़, बस्ती के ग्राम कोड़रा ग्रान्ट ग्राम में स्वीकृत विद्युत् लाइन 1979 में या इसके लगभग लगना था ? इसके चालू नहीं होने का क्या कारण है ? उसे कब तक लगा दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त---

विकास खंड नौगढ़ बस्ती का कोडरा ग्रान्ट ग्राम पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्वीकृत योजना में नहीं था । यह ग्राम अब स्वीकृत योजना में आ गया है । इस वित्तीय वर्ष में इसका विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ।

गाजीपुर जनपद में विगत 5 वर्षों के सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों पर बकाया विद्युत् बिल

126---श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट---

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में 13 फरवरी, 1984 तक विगत 5 वर्षों

तक का सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों के जिम्मे विद्युत् बिल के भुगतान का कितना रुपया बाकी है, तथा सरकार द्वारा इसको वसूली के लिये कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

गाजीपुर जनपद में दिनांक 13 फरवरी, 1984 तक का सरकारी एवं गैर सरकारी (अर्द्धसरकारी) विभागों के ऊपर विद्युत्बिल का कुल 106.48 लाख रुपया बकाया था। बकाये की धनराशि की वसूली हेतु सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित करके भुगतान प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

जनहित को ध्यान में रखते हुये ऐसे कनेक्शनों का विद्युत् विच्छेदन नहीं किया गया है।

जैन कालेज, सहारनपुर से राम-नगर, मल्हीपुर सुडौली, हरिया अहमदपुर सड़क का निर्माण

127--श्री राम स्वरूप निम--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जैन कालेज सहारनपुर से रामनगर, मल्हीपुर, सुडौली हरिया अहमदपुर सड़क पर वर्ष 1982-83 वर्ष 1983-84 में निर्माण कार्य किया गया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य जिसमें मिट्टी का कार्य किया गया है एक फर्लांग मिट्टी डालकर एक फर्लांग छोड़कर, फिर मिट्टी डालकर एक कार्य किया गया है जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया है ? जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सड़क के शेष कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां।

जी नहीं। प्रदत्त स्वीकृति तथा ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुदान के अनुसार कार्य कराया गया है।

कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। कार्य का पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

हमीरपुर के ग्राम पगरा के श्रमदान मार्ग का निर्माण

128--श्री प्रताप नारायन द्विवेदी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत ग्राम पगरा का श्रमदान मार्ग, जो सन् 1953-54 में बना था, को अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका अविलम्ब हस्तान्तरण विभाग को करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां।

नहीं।

जिला योजना से सम्बन्धित होने के कारण जिला समिति का अनुमोदन प्राप्त होने एवं कार्य की स्वीकृति के पश्चात् ही हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

हमीरपुर के कुरारा-मनकी मार्ग पर पुलिया निर्माण की मांग

129--श्री प्रताप नारायन द्विवेदी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत कुरारा से मनकी पक्के मार्ग के मध्य वाले नालों पर पुलिया बनाने के लिये धन का आवंटन न करने का क्या कारण है ? कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा और पुलिया कब तक बना दी जायेगी ?

श्री विद्या भूषण--

पुलियों का निर्माण स्वीकृत न होने के कारण पुलियों के निर्माण हेतु धन आवंटित नहीं हुआ है ।

कार्य की स्वीकृति के पश्चात् ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ।

कार्य की स्वीकृति के पश्चात् ही निर्माण की अवधि बताना सम्भव होगा ।

130--श्री मित्र सेन--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

कुमारी नीता चौधरी, तत्कालीन संयुक्त सचिव, मत्स्य विभाग के विरुद्ध शिकायती-पत्र

131--श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

क्या मुख्य मंत्री जी को कुमारी नीता चौधरी, आई० ए० एस०, संयुक्त सचिव, मत्स्य तथा प्रबन्ध निदेशक, मत्स्य विकास निगम के विरुद्ध व्याप्त अनियमितताओं के कारण उन्हें हटाये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1983 तथा 20 जून, 1983 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र --

जी हां ।

कुमारी नीता चौधरी, आई० ए० एस०, संयुक्त सचिव, मत्स्य तथा प्रबन्ध निदेशक, मत्स्य विकास निगम के विरुद्ध श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी, एम० एल० ए० के शिकायती-पत्र दिनांक 19 जून, 1983 (दिनांक 20 जून, 1983) के पत्र के साथ दिनांक 14 अप्रैल, 1983 का पत्र प्राप्त हुआ था । इन शिकायती-पत्रों में लगाये गये आरोपों की विस्तृत जांच कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा करायी गयी जिसमें लगाये गये समस्त आरोप निराधार पाये गये ।

उपाध्यक्ष, विधान सभा पद के लिए निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हेतु जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसे निरस्त कर दिया जाय । उक्त निर्वाचन के लिए अब तक आये नाम निर्देशन पत्र निरस्त समझे जायं और माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया जाय कि वे सदन के आगामी सत्र के दौरान इस हेतु नयी तिथियां निर्धारित करें ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, हमारा विरोध सुन लीजिये ।

*श्री मोहन सिंह--

एक मिनट सुन लें । श्रीमन्, उपाध्यक्ष का पद एक गरिमा का पद है और जिसमें मान्यता है कि इसके लिए विपक्ष के लोग होंगे । इसको सरकार बार बार टाल रही है जिससे जहां वह विपक्ष के अधिकारों का हनन कर रही है वहीं दूसरी ओर इस सदन के कार्य संचालन के लिए समुचित रूप से आपके अतिरिक्त जो अन्य कार्य हैं जैसे उपाध्यक्ष पदेन बहुत सी समितियों के सभापति होते हैं । हमारे विशेषाधिकार सम्बन्धी जो प्रकरण हैं उन पर निर्णय नहीं हो रहा है । इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक कार्य जो विधान सभा के कार्य संचालन से सम्बन्धित हैं वह भी निर्गत नहीं हो पा रहे हैं इसलिये कि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है यह स्वयं मुख्य मंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि इनके दिन लद चुके हैं और वह जाने वाले हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिए लगता है कि दूसरा सत्र इस सदन का बैठने वाला नहीं है, इसलिए जानबूझकर इस सदन के माननीय सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं और विभिन्न अधिकारियों के विशेषाधिकार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही न हो सके, इसलिये जानबूझकर यह सरकार उपाध्यक्ष के चुनाव को बराबर टाल रही है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें आप नियमानुसार इनको छूट न दें और जो नियम और संविधान में लिखा है उसके मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है उसको आप अपने स्तर से रूल आउट करें और सदन में चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिये। मान्यवर, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपको जो अधिकार मिले हैं उनका प्रयोग करके इनके प्रस्ताव को आप निरस्त कर दें और इस पर चर्चा एवं वोट नहीं होना चाहिये और जो कार्यक्रम निर्धारित है उसके अनुसार उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिये।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह चौथी बार है कि जब संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव फिर सदन में रखा है कि उपाध्यक्ष का चुनाव मुल्तवी कर दिया जाये। लगभग दो साल हो गये हैं जबसे इस सदन में उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा है और यह सदन चाहते हुए भी, हमारी नियमावली के नियम 9 के आधार पर उपाध्यक्ष की जगह भरी जाये लेकिन नहीं भरी गयी है, इसलिए मुझे इस बात का अफसोस है कि उपाध्यक्ष का चुनाव कराना आपका कर्तव्य है, इसमें किसी भी बाहर के आदमी से कोई सलाह या पूछ-ताछ की कोई बात नहीं है। आपको सारा अधिकार है कि आप उसकी तारीख निश्चित करें और चुनाव का संचालन करें। परन्तु चार बार आपने समय दिया और उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष इस चीज पर तैयार नहीं हो पा रहा है कि उपाध्यक्ष का चुनाव हो, इसका कारण केवल यह है कि चूंकि परम्परागत और कन्वेंशन के आधार पर यह पद विरोध पक्ष को जाता है किन्तु इस समय इनकी नीयत साफ नहीं है, आपस में झगड़ा और एक दूसरे का विवाद है, इसलिए यहां से लेकर दिल्ली तक यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि किसके लिए क्या करें और चूंकि विरोध पक्ष का होना है, इसलिए यह इसको टालते रहे हैं और चाहते हैं कि इन्हीं के दल का आदमी इसमें चुना जाये।

मान्यवर, परसों का आप समाचार-पत्र देखें "कौमी आवाज", को श्री खान गुफरान जाहिदी और संसदीय कार्य मंत्री ने पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस दल, इसी माननीय सदन के, श्री विमल प्रसाद तिवारी को उपाध्यक्ष बनाना चाहता है और इसी कारण चूंकि सत्ता पक्ष चाहता है कि उनका आदमी हो, इसीलिए यह बराबर उपाध्यक्ष का चुनाव टाल रहे हैं, जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव का जो संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है जमकर विरोध, पहले भी किया है और अब भी करेगी। मान्यवर, 19 तारीख को यह सदन समाप्त होने वाला है और 6 महीने बाद सितम्बर-अक्तूबर में दो-चार दिनों के लिए सप्लीमेंटरी बजट के लिए सदन को दुबारा बुलायेंगे, तो जब 4 महीने के सदन में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं करा पाये तो दो-चार दिन के सेशन में चुनाव कराने का क्या प्रयास करेंगे और कह रहे हैं कि स्थगित कर दिया जाये, इसलिए यह पूरे सदन का और आपका अपमान है कि सदन के एक मुख्य पद को जिसके बारे में श्री मोहन सिंह ने कहा कि अनेक काम रुके हैं, उनका अपमान यह शासक दल कर रहा है, इसलिए इस प्रस्ताव को वह वापस ले लें या आप अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके इसकी अनुज्ञा न दें। यदि यह दोनों चीजें न हुईं तो जनता पार्टी संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखा है उसका जरूर विरोध करेगी, यही मेरी आपत्ति है ।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उपाध्यक्ष पद के चुनाव को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं और मान्यवर, विरोध इसलिए कि उपाध्यक्ष पद, हमारी परम्परा के अनुसार विरोध पक्ष को जाता है । शासन इस बात को नहीं चाहता कि उपाध्यक्ष पद पर कोई हमारे विरोध पक्ष का सदस्य बैठे । इसलिए बराबर इसके चुनाव को टाला जा रहा है और आज चौथी बार टाला जा रहा है । हमारी यह भी एक परम्परा है कि जब इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रस्ताव आते हैं तो नेता विरोधी दल और दूसरे नेताओं से भी उस पर बात कर ली जाती है । परन्तु इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री ने न तो नेता विरोधी दल से अथवा अन्य किसी नेता से कोई बात की है । उन्होंने केवल अपने संख्या बल का रोलर चलाकर हम विरोध पक्ष को अपने अधिकारों से वंचित करने का कार्य किया है । हमें इस बात का भी खेद है कि आपने निर्णय लिया कि 16 तारीख को नामांकन होगा और 17 तारीख को चुनाव होगा । यह चुनाव ऐसा नहीं है कि यहां पर विधान सभा सत्र चलता रहे और लाइब्रेरी में चुनाव हो इसका चुनाव यहां ही होना चाहिए । आपके एजेन्डा में आज इसकी कोई चर्चा नहीं है । यह प्रस्ताव तो आज आया है, लेकिन मालूम पड़ता है कि हमारी विधान सभा सचिवालय ने इस आने वाले प्रस्ताव के पहले से ही प्रभावित होकर ऐसा कर दिया है, उसने एजेन्डे में इस चीज को नहीं रखा है । श्रीमन्, आपको ऐसे प्रस्ताव को रद्द कर देना चाहिए और अपने पूर्व निर्णयानुसार उपाध्यक्ष पद के चुनाव को कराना ही चाहिए । मैं इस प्रस्ताव से कतई सहमत नहीं हूं ।

*श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्व0 श्री यादवेन्द्र सिंह को गुजरे हुए एक साल से अधिक हो चुका है और इस एक साल में यह सरकार डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं करा सकी है । जब उपाध्यक्ष का चुनाव कराने में इस सरकार को इतनी कठिनाई हो रही है, इनको अपने पसन्द का आदमी नहीं मिल पा रहा है, कहां-कहां तलाश किया है, कहां-कहां कोने में ढूंढ़ रहे हैं, तो यह क्या इतनी बड़ी सरकार चला पायेंगे ।

"खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं,
सामने आते भी नहीं, ठीक से छुपते भी नहीं ।"

यह इस पद के प्रत्याशी को तलाश कर रहे हैं कि इनको कोई ऐसा विरोधी दल का नेता मिल जाए, जिसको वह अपने अनुसार चला सकें और सौदेबाजी कर सकें...

(व्यवधान)

यह इनको पद बाजार में हासिल नहीं हो रहा है । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं, इसके चुनाव को हरगिज न टाला जाए । जो-जो नामांकन हुए हैं, उन्हीं में से किसी एक का चुनाव हो जाए, वोटिंग हो जाए या चाहे जैसे हो जाए । सत्ता पक्ष को इस बात का पूरा हक है वह जिसको चाहे, जो अच्छा नजर आए, उसको उपाध्यक्ष बना दे । हुकुम सिंह हैं, रियासत हुसैन उसमें हैं और दूसरे विधायकगण हैं, जिसको आप पसन्द करें, श्रीमन्, उसको आप उपाध्यक्ष बना दें...

श्री अध्यक्ष--

आपकी कोई पसन्द है या नहीं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री फखरे आलम—

मैं उम्मीदवार नहीं हूं, आप इनमें से किसी को तलाश कर लीजिए, ढूंढ लीजिए—

"चाह का नाम आता है तो
बिगड़ जाते हो,
वह तरीका तो बता दो,
तुम्हें चाहें क्यों कर ।"

मैं इसका विरोध करता हूं, इसको हरगिज मुल्तवी न किया जाए ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह—

मिश्रा जी, काशीनाथ मिश्र मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं और इसका जवाब दूंगा । अध्यक्ष जी, अभी जो प्रस्ताव उस पक्ष से आया है, संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, उसका मैं सभी विपक्ष के साथियों के साथ विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह बात ठीक है कि कल संसदीय कार्यमंत्री ने मुझसे इस सम्बन्ध में जानना चाहा था । साथ ही, यह भी सच है कि हमने इसके लिए अपनी कोई रजामन्दी नहीं दी थी और मैंने कहा था कि इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसका विरोध करेंगे । अब मैं नीयत के बारे में दो-एक बात कहना चाहता हूं । जब किसी सत्र में पौने चार साल पहले अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, श्रीपति मिश्र और आपका

(व्यवधान)

माननीय, यह ठीक है कि सत्तापक्ष से नाम आया लेकिन दोनों बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझको बुलाकर और अन्य लोगों को बुलाकर कहा कि सर्वसम्मति से एक चीज तय हो जाय । हमने सहर्ष स्वीकार किया कि ऐसा हो जाय । आपने देखा होगा कि दोनों बार उन नामिनेशन पेपर्स में विपक्ष के लोगों ने नामिनेशन किया । यह चौथी बार उपाध्यक्ष के चुनाव को टालने जा रहे हैं ।

शिकायत यह है कि मुख्य मन्त्री जी को इस प्रश्न को गम्भीरता से लेना चाहिये था, चाहे मुझे अकेले न बुलाते, सभी साथियों को बुलाते और कोई सोल्यूशन निकाला जाता । मेरा कहना है कि निश्चित तौर पर कोई सोल्यूशन निकल सकता था । लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी । हमारे मिश्रा जी ने कहा कि विपक्ष एक नहीं होना चाहता । मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि शायद आपको याद होगा कि पिछली बार जब श्री यादवेन्द्र सिंह जी के चुनाव का प्रश्न आया था तो मान्यवर, वह भी सर्वसम्मति से नहीं था । सत्तापक्ष ने यह नाम दिया था । आपको याद होगा कि हमारे दल के साथी माननीय देहलवी साहब ने नाम दिया था । लेकिन सर्वसम्मति से चुनाव कराने के लिये उन्होंने नाम वापस लिया और यहां सर्वसम्मति से चुनाव हुआ । तो नीयत आपकी साफ नहीं है । अगर आप कोई नाम देते, बातचीत करते तो एक साल के अन्दर चुनाव हो गया होता । लेकिन आप चुनाव कराना नहीं चाहते हैं क्योंकि यह पद विपक्ष को मिलना है और आप नहीं चाहते हैं कि विपक्ष के किसी आदमी को यह पद मिले, इसलिये निरन्तर चुनाव को टालते जा रहे हैं । जब कभी चुनाव का प्रश्न आया हमारे मुख्य मन्त्री जी अनुपस्थित रहे हैं । मैं इसका विरोध करता हूं । मैं चाहता हूं कि आप मान्यवर, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये इस प्रश्न को न लें और रूल आउट कर दें और आज चुनाव होना चाहिये यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, अभी मैंने एजेंडे की बात कही थी । मैंने एजेंडा देखा । वह प्रश्न दिया हुआ है । मैं अपने एतराज को वापस लेता हूं । एजेंडा न देखने के लिये मुझे खेद है ।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर ।)

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, श्री केदारनाथ सिंह जी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम (9) (1) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें 'क' और 'ख' में इस सम्बन्ध में दिया गया है । 'क' में दिया गया है कि "यदि सभा उस समय उपवेशन में हो तो रिक्तता होने के, 'ख' में दिया गया है कि "यदि वह उपवेशन में न हो तो उस दिनांक के, जब सभा तदुपरांत पहली बार समवेत हो, तीस दिनों के भीतर होगी ।" तो मान्यवर, आप देखें माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने दिनांक 24-2-84 को जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है परन्तुक (ख) को निलम्बित करने के लिये और इस समय जो स्थिति परन्तुक 'क' के अन्तर्गत बन रही है, तो परन्तुक 'क' निलम्बित नहीं किया गया है इसलिये यह प्रस्ताव वैध नहीं है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब निलम्बित ही नहीं है तो परन्तुक 'क' के अन्तर्गत प्रक्रिया चल रही है तो यह वैध नहीं है । यह संवैधानिक प्रश्न मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं । नियम 311 को आप देखें उसमें साफ लिखा है कि नियम जो निलम्बित किया जायगा वह एक निश्चित अवधि के लिये होगा । हमेशा-हमेशा के लिए नहीं, निश्चित अवधि वह क्या होगी, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । नं0 (1) जिस नियम के अन्तर्गत उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना है, वह नियम निलम्बित ही नहीं है, अगर मान भी लिया जाय कि वह नियम निलम्बित है, तो उसकी अवधि क्या है, वह आपके द्वारा तय होना है, न कि इनके द्वारा ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं सबसे पहले नेता विरोधी दल ने जो यह बात कही कि मैं उनसे परामर्श करने के लिए गया था, उन्होंने यह बात सदन में कही, मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि अभी एक सम्मानित सदस्य ने यह भी बात कही कि कोई प्रयास नहीं किया गया ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, पहले तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था, उसके बारे में व्यवस्था दे देंगे, तो फिर मुझे भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है । अगर श्रीमन्, आप अनुमति दें, तो मैं पहले भी अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा दूं ।

श्री अध्यक्ष--

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री विद्यासागर नौटियाल--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह नियम 9 देखें, हमारी नियमावली का, "उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये इस प्रकार नियत तिथि को अध्यक्ष उन सदस्यों के नामों को, जिनका विधिवत् नाम-निर्देशन हुआ है, उनके प्रस्तावकों तथा समर्थकों के नामों के साथ सभा में पढ़कर सुनायेंगे । निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी, जो इस प्रकार नाम-निर्देशित हुआ है, पीठासीन अधिकारी को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम

निर्वाचन से वापस ले सकेगा । यदि वापसी के उपरान्त, अगर कोई हो, एक ही सदस्य का नाम-निर्देशन शेष रहता है, तो उनको निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा और इस विषय पर औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक न होगा । यदि एकाधिक सदस्यों का नाम-निर्देशन शेष रहता है, तो अध्यक्ष उन सदस्यों को, जिनके नाम में प्रस्ताव विद्यमान हो, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिये एक-एक करके पुकारेंगे और प्रस्तावक अपने को एतद्विषयक कथन तक ही सीमित रखेंगे । और फिर निर्वाचन की दशा में नियम 8 (5) और (6) में अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा ।"

श्रीमन्, आज की कार्य-सूची देखें । इसके क्रम संख्या 3, 4 व 5 पर यह (3) उपाध्यक्ष पद के लिये नाम-निर्देशित अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा । [प्राप्त वैध नाम-निर्देशन पत्रों के लिए देखिये नत्थी (ङ)] (4) उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध में शलाका (यदि आवश्यक हो) । (5) उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन-फल की घोषणा ।

इसी सूची से हट कर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आज एक प्रस्ताव पेश कर दिया । मेरा निवेदन यह है कि कार्य-सूची कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा श्रीमन्, की अध्यक्षता में स्वीकार करके सदन में प्रस्तुत की गयी । उस कार्य-सूची से हट कर अचानक माननीय मंत्री जी एक प्रस्ताव ले आये, जिसका इसमें जिक्र नहीं है । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या माननीय संसदीय कार्य-मंत्री को इस बात की अनुमति दी जा सकती है कि वह कोई ऐसा प्रस्ताव अचानक पेश कर दें जिसका विवरण कार्य-सूची में नहीं है और श्रीमन् के सामने इस कार्य-सूची के अनुसार कार्य करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है । इस पर मैं श्रीमन् की व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय केदार नाथ सिंह जी की बात को सुना । उपाध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में उन्होंने जिस नियम का जिक्र किया उसको मैंने देखा और आगे चलकर माननीय विद्यासागर नौटियाल ने जो जिक्र किया है, उसको भी मैंने देखा । कुछ दिन पूर्व आपको याद होगा, इसी सदन में माननीय रियासत हुसैन ने इसी प्रकार की आपत्ति उठाई थी और मैंने सम्बन्धित नियमों को देख कर उसको अस्वीकार कर दिया था । सदन में मुझको यह अधिकार दिया गया है, तभी मैंने इसके बारे में तिथि निर्धारित की है । उसी के साथ कार्य हो रहा है । जहां तक एजेन्डे आदि का सम्बन्ध है । मैंने नियमों को देख लिया है, कोई ऐसी बात नहीं है, जिसके आधार पर यह हो सके कि यह नहीं किया जा सकता है । जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसे मैं अस्वीकार करता हूं ।

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, एक बात कही गयी कि यह पद सत्ता पक्ष अपने ही किसी सदस्य को देना चाहता है । मैं समझता हूं सत्यता से परे इससे ज्यादा कोई बात और नहीं हो सकती है । क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक यह इंतजार क्यों किया गया होता , मैंने बार-बार निवेदन किया और कल भी मैंने निवेदन किया, माननीय मुख्य मंत्री ने निवेदन किया और आज भी आपके माध्यम से माननीय नेता विरोधी दल से और अन्य दलों के नेताओं से निवेदन कर रहा हूं कि कोई एक नाम सर्वसम्मति से वह दे दें । यह पद हम नेता विरोधी दल को देना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, यह लेना नहीं चाहते हैं । अगर यह लेना चाहते होते तो कब का चुनाव हो गया होता । श्री विमल प्रसाद तिवारी का नाम लिया गया, अखबार क

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हवाला दिया गया, रियासत साहब वरिष्ठ सदस्य हैं, अखबार में पता नहीं क्या-क्या निकलता है। एक पल में मुख्य मंत्री, नेता विरोधी दल बनते हैं, कोई कुछ बनता है। वास्तव में ऐसा कोई इरादा या योजना नहीं है कि इस पद पर कब्जा किया जाय। ऐसी भी स्थिति रही है जब उपाध्यक्ष का पद नहीं, अध्यक्ष का पद काफी दिनों तक खाली रहा। माननीय नेता विरोधी दल उस वक्त सक्षम थे, इस स्थिति में थे कि उस पद को वह भर सकते थे, उस वक्त वह पद खाली रहा क्यों खाली रहा इसकी टीका टिप्पणी में, मैं नहीं जाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी और यह सरकार चाहती है कि नेता विरोधी दल को उपाध्यक्ष का पद दिया जाय। हम निवेदन करना चाहते हैं....

श्री रियासत हुसैन---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा पिछली बार अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया गया। मैं इसी पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। अध्यक्ष का पद खाली रखा तो उपाध्यक्ष ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष का काम किया। क्या संसदीय कार्य मंत्री यह चाहते हैं कि अध्यक्ष कार्यकारी उपाध्यक्ष का काम करें?

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो अध्यक्ष होता है, वह सदन का अध्यक्ष है उसको सब अधिकार हैं। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अम्मार रिजवी--

रियासत हुसैन साहब प्रमोटीज में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। श्री रियासत हुसैन ने उस वक्त इस पर एतराज किया था। इस समय स्थिति बदल गयी है, इसलिये जुबान बदल गई, टोपी का रंग नहीं बदला बाकी सब बदल गया है। सर्वसम्मति से एक नाम दे दें, चुनाव हो जायेगा। जो प्रस्ताव आया है वह नियमानुसार है, जो शक्ति जो अधिकार आपके हैं, उसके अनुसार प्रस्ताव लाया गया है। इसको पारित करायें। नेता विरोधी दल सर्वसम्मति से एक नाम दे दें, सदन उठ भी जायेगा तो मैं खाली चुनाव के लिये सदन की बैठक बुला लूंगा और उपाध्यक्ष का चुनाव करा दूंगा। जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, उसको स्थापित करने के लिये एक नाम सर्वसम्मति से दे दें।

श्री राजेन्द्र सिंह---

संसदीय कार्य मंत्री ने एक बात कही है। गेंद को दूसरी तरफ लुढ़काने की बात कही गई है। थोड़ा समय दे दें। बैठकर संसदीय कार्य मंत्री और हम सब बात कर लें। हम तैयार हैं, सत्ता पक्ष बहुमत में है, बिना उनकी राय के चुनाव नहीं किया जा सकता है। जितनी भी मान्यता प्राप्त विरोधी दल हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति का नाम संसदीय कार्य मंत्री प्रपोज कर दें, बाकी लोग विदड्रा कर लेंगे और उसी को हम मान लेंगे। सत्ता पक्ष कोई नाम प्रपोज कर दें, हम तैयार हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

आने वाले जमाने में हम यह इल्जाम नहीं लेना चाहते हैं, जो नेता विरोधी दल ने कहा। अभी कहा गया था कि श्री यादवेन्द्र सिंह का नाम सत्ता पक्ष की तरफ से आया था। अगर हम नाम दे देंगे तो कहेंगे कि नाम सत्ता पक्ष की तरफ से आया था। नाम सर्वसम्मति से विरोध पक्ष दे दें, उसको हम स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आपस में बातचीत कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

जानबूझ कर संसदीय कार्य मंत्री इस उपाध्यक्ष के चुनाव को घोटाले में डाल रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो अब तक नहीं कहा था अब कह रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री इस मामले को घोटाले में इसलिये डाल रहे हैं कि एक अल्पसंख्यक का नाम ज्यादा लोगों की तरफ से उपाध्यक्ष के लिये आ रहा है

आप नहीं चाहते हैं कि एक अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष के पद पर बैठे । यहां से लेकर दिल्ली तक श्रीमती इन्दिरा गांधी तक इस उपाध्यक्ष के पद को अल्पसंख्यक को नहीं देना चाहती हैं । जनता पार्टी इसको लेकर सदन का त्याग करती है ।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र सिंह--

सत्ता पक्ष अपने बहुमत के आधार पर सदन का संचालन करना चाहता है, मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री भीखा लाल--

मैंने जो बात कही थी, उस पर विचार न करके आप मतदान कराने जा रहे हैं । इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री भीखा लाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री केदार नाथ सिंह--

मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री केदार नाथ सिंह भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री फखरे आलम--

जम्हूरियत का गला घोंटा है । अतः मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री फखरे आलम अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम स्वरूप वर्मा भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन हेतु जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसे निरस्त कर दिया जाय, उक्त निर्वाचन के लिये अब तक प्राप्त नाम-निर्देशन पत्र निरस्त समझे जायं और माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया जाय कि वे सदन के आगामी सत्र के दौरान इस हेतु नयी तिथियां निर्धारित करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[समय 12 बजकर 52 मिनट]

बाराबंकी में ग्राम पंचायत अधिकारियों को कार्यभार न सौंपने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 की 33 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । जिनमें से मैंने 19 सूचनायें स्वीकार की हैं । जो माननीय श्यामलाल वाजपेयी, माननीय मोतीलाल देहलवी, माननीय मोहम्मद रफी सिद्दीकी, माननीय श्री बदन सिंह, माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा, माननीय जसवन्त सिंह विष्ट, माननीय ऊदल, माननीय मोहन सिंह, डा० विनोद कुमार तिवारी, माननीय रियासत हुसैन एवं माननीय अकबर हुसैन, माननीय मसरूर जाफरी, माननीय राधे श्याम पटेल माननीय बलवीर सिंह, माननीय किरनपाल सिंह माननीय अकबाल हुसैन, श्रीमती किशोरी शुक्ला, माननीय ईश्वर शरण विद्यार्थी, माननीय मुहम्मद आजम खां तथा माननीय रामस्वरूप निम की हैं ।

*श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, आपके माध्यम से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में बाराबंकी जनपद के 28 नवयुवकों का भविष्य जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

दिनांक 25-3-84 को बाराबंकी जनपद के रिक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों के पदों की पूर्ति हेतु अपर जिलाधिकारी विकास श्री देवम भूल ने निष्पक्ष लिखित परीक्षा और साक्षात्कार द्वारा 28 नवयुवकों का चयन किया । 27-3-84 को सफल अभ्यर्थियों की सूची जिला पंचायत राज अधिकारियों के हस्ताक्षर से जारी हो गयी ।

ग्राम पंचायत अधिकारियों के चयन हेतु जिन लोगों ने प्रत्येक चयन के लिए आठ-आठ हजार रुपया जमा कराया था, उन लोगों को अपर जिलाधिकारी विकास ने अपनी निष्पक्षता से निराश कर दिया । तब जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपने तिकड़म से ऊपर का आदेश लेकर सूची रुकवा दी लेकिन रुकने के पहले कुछ लोगों को अपनी विशेष कृपा से पंचायत राज अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करा दिया था ।

एम० ए० पास कुछ सफल अभ्यर्थी जिनकी आयु दो महीने में सरकारी नौकरी योग्य नहीं रह जायगी, पंचायत राज अधिकारी को पैसा न देने के कारण अंधकार में भटक रहे हैं ।

आपसे निवेदन है कि शासन को आदेश देकर नवयुवकों का भविष्य बचाने हेतु भ्रष्ट पंचायत राज अधिकारी को दण्डित कराकर 27 को जारी सूची वाले नवयुवकों को तुरन्त कार्यभार ग्रहण कराने की कृपा करें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती नन्दी देवी निवासिनी लखुरिया जिला फर्रुखाबाद की दहेज के कारण हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, दहेज पिपासा से अतृप्त ससुराल वालों ने 27 मार्च, 1984 को प्रतिशोधवश नन्दी देवी की हत्या कर लाश को तुरन्त फूंक दिया । मृतक गांव इटैली थाना ककवन-कानपुर निवासी विश्वनाथ सिंह की बहन है, जो फर्रुखाबाद के सौरिख थानान्तर्गत गांव लुखरिया में सुरेन्द्र सिंह को ब्याही थी ।

मई, 1981 के विवाहोत्सव पर दहेज में अंगूठी और साइकिल की मांग का विवाद घन्टों छिड़ा रहा और सम्भ्रान्त ग्रामीणों के हस्तक्षेप से समाप्त हुआ था । मृतक के भाई द्वारा उपरोक्त मांगों की पूर्ति के आश्वासन की विफलता पर मृतक प्रताड़ित होती रही और मायके आने पर बताती रही ।

उसी गांव के निवासी मृतक के बहनोई शिवनारायण सिंह को हत्या की जानकारी हुई, तो लाश जलाना मना कर रिपोर्ट लिखाने चले, किन्तु 50 लोगों की घेरा बन्दी द्वारा रोक लिए गये । बहनोई के भाई ने जाकर मृतक के भाई को जानकारी करायी मृतक का उक्त भाई सौरिख थाने गया । लिखित लेने के दूसरे दिन पुलिस ने मृतक के ससुर को हवालात में दो दिन बन्द रखने के उपरान्त छोड़ दिया ।

रिपोर्ट चिक में धारा और मुकदमा कायम करने का उल्लेख न होने तथा बन्दी अभियुक्त छोड़ देने से पुलिस का मिल जाना सिद्ध है । हत्या के पर्याप्त साक्ष्य है । अस्तु गुप्तचर जांच अपेक्षित है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उपनिबन्धक लखनऊ मण्डल द्वारा अनियमित रूप से सचिवों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश लखनऊ मण्डल के वर्तमान उप निबन्धक (केन्द्रीय) के कार्यकलापों से सहकारी संस्थाओं को प्रतिवर्ष लाखों रुपये की हानि उठानी पड़ रही है। इन्होंने लखीमपुर खीरी तथा उन्नाव जनपद में साधन सहकारी समितियों में 50 ऐसे सचिवों की नियुक्ति की है, जहां न तो ऐसा कोई पद रिक्त है, न ही सृजित किया गया है, फलस्वरूप यह सचिव लगभग उक्त संस्थाओं का 15 हजार रुपया प्रति माह वेतन ले रहे ह। उप निबन्धक (केन्द्रीय) श्री यू0 एन0 त्रिपाठी लखनऊ में पी0 सी0 यू0 तथा इलाहाबाद में डी0 सी0 डी0 एफ0 के गेस्ट हाउस में बिना किराये के रह रहे हैं, जिससे इन संस्थाओं को 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष का घाटा हो रहा है। इन्होंने रहीमाबाद सहकारी संघ, लखनऊ में एक ओवरएज व्यक्ति को कामदार के पद पर पैसा लेकर नियुक्त किया जिसने संघ की 20 हजार रुपये की खाद चोरी करके इनके इशारे पर बेच दी। यह अपने पद का दुरुपयोग कर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का स्थानान्तरण इधर से उधर पैसा लेकर करते हैं। फरवरी, 1984 में इन्होंने नया बाजार, लखनऊ के अध्यक्ष से सांठ-गांठ करके रेपसीड आयल दो ट्रक चोर बाजारी में बिकवा दिया तथा एक लाख रुपया काले बाजार से कमाया। अतः इसकी जांच विजिलेंस अथवा सी0 आई0 डी0 से तुरन्त करवायी जाय।

गेहूं के निर्धारित खरीद केन्द्रों पर गेहूं न खरीदने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह—

महोदय, प्रदेश भर में गेहूं के निर्धारित खरीद केन्द्रों पर बारदाना, ठेकेदार, मजदूर, मूवमेंट प्लान न मिलने तथा एकाउन्ट न चालू करने के बहाने पर किसानों से गेहूं खरीद शुरु नहीं की गयी है और बाजार में गेहूं की भारी आमद से अब गेहूं का भाव व्यापारियों ने 125 रुपया प्रति कुंटल तक गिरा दिया है। उनके द्वारा यह सस्ता खरीदा हुआ गेहूं बाद में खरीद केन्द्रों पर लेवी रेट पर बेचा जायगा और सस्ती खरीद और लेवी विभाग की बिक्री का मार्जिन उनके और खरीद केन्द्र प्रभारियों के बीच बटने की आशंका तथा अपनी खुली लूट इस समय बाजार में होने से प्रदेश का किसान भारी चिंतित व क्षुब्ध है। प्रशासन किसान की खुली लूट पर मूकदर्शी बना बैठा है। लोक महत्व के इस विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि गेहूं खरीद केन्द्र प्रदेश में तुरन्त सुचारु रूप से चालू करवा दिये जायें, ताकि किसान की खुली लूट रुक सके।

घुघली उपनगर गोरखपुर को टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में

श्री रामआसरे जायसवाल द्वारा अनशन के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं अत्यन्त लोक महत्व के एक अविलम्बनीय प्रश्न को आदरणीय सदन और शासन के संज्ञान में लाना

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं । घुघली उपनगर को टाउन एरिया बनाने के लिये जन प्रतिनिधियों ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया । विधान सभा और उसके बाद सरकार यह भी आश्वासन देती रही कि घुघली को टाउन एरिया बनाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है । औपचारिकताएं पूरी होते ही घोषणा कर दी जायगी । इसके बाद भी यह मामला टलता ही रहा है । ऐसे आश्वासनों से लोगों का विश्वास घटता गया । लोगों में अनास्था, अविश्वास एवं असतोष की भावना घर करती गयी । बाध्य होकर जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री जायसवाल को 15 अप्रैल, 1984 से घुघली उप नगर में आमरण अनशन पर बैठना पड़ा । अनशन का आज तीसरा दिन है । प्राप्त समाचारों के अनुसार श्री जायसवाल का स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा है । स्थानीय जनता में काफी आक्रोश है । अतः सरकार से मेरी मांग है कि घुघली उपनगर को तत्काल टाउन एरिया घोषित कर श्री जायसवाल के प्राण की रक्षा करें ।

अल्मोड़ा, नैनीताल में नशाबन्दी के लिये धरने पर बैठी महिलाओं पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, दिनांक 11 अप्रैल, 1984 को मेरे द्वारा विधान सभा के संज्ञान में अल्मोड़ा एवं नैनीताल में नशाबन्दी के लिए प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को बन्दी बनाये जाने के सम्बन्ध में उठाये लोक महत्व के प्रश्न को आपने सरकार के विशेष ध्यान एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित किया था । सरकार द्वारा इस पर पूर्णतया निष्क्रियता दिखाते हुए लोक भावनाओं का अनादर किया गया है ।

दिनांक 12 अप्रैल को सोमेश्वर में धरने पर बैठी महिलाओं पर लाठी प्रहार कर दी व्यक्ति घायल हुए 23 शराब बन्दी अनिश्चित कालीन अनशन में बैठे हैं ।

13 अप्रैल को रानीखेत में 7 लोग गम्भीर रूप से घायल हुए । 14 अप्रैल को अल्मोड़ा में शराबबन्दी आन्दोलित 7 महिलायें गम्भीर रूप से घायल हो गये ।

मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में गम्भीर स्थित है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अतिशीघ्र कार्यवाही कर सभी बन्दियों को बिना शर्त रिहा कराने के साथ घायलों को 5-5 हजार रुपया अनुदान रूप में दें । स्मरणीय है कि अल्मोड़ा जेल में पांच दिन से 37 बन्दी आमरण अनशन में बैठे हैं । जिनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है ।

लखनऊ–हरदोई मार्ग पर स्थापित नये दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र के ठीक काम न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ऊदल—

मान्यवर, मीराबाई मार्ग लखनऊ में टी0 वी0 का प्रसारण केन्द्र बना है जो बहुत अच्छा था और उससे टी0 वी0 का कार्यक्रम साफ दिखाई देता था इधर कुछ दिनों से एक दूसरा प्रसारण केन्द्र लखनऊ हरदोई मार्ग पर बना दिया गया है जिससे प्रसारण साफ व ठीक से नहीं दिखाई देता है । पता लगाने पर मालूम हुआ कि निदेशक, टी0 वी0 लखनऊ से भी उसकी सहमति नहीं ली गई है पूरे क्षेत्र में टी0 वी0 रखने वालों में घोर असन्तोष व्याप्त है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न पर सूचना मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कि सूचना एवं प्रसारण विभाग भारत सरकार से सिफारिश करके प्रसारण केन्द्र लखनऊ को ठीक करायें ।

शिक्षकों के अभाव में इलाहाबाद पालीटेक्नीक में सुचारु रूप से पढ़ाई न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अध्यक्ष--

अगर सदन की राय हो और माननीय श्री मोहन सिंह जी आपकी राय हो, तो शेष सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं तो अपनी सूचना पढ़ लूं । महोदय, आज से तीन वर्ष पूर्व इलाहाबाद पालीटेक्निक से भौतिक एवं व्यावसायिक चिकित्सा का 3 वर्षीय पाठ्यक्रम शासन के आदेश से प्रारम्भ हुआ । जिसके लिए 25 हजार रुपये की व्यवस्था भी शासन द्वारा की गयी । किन्तु इस समय इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययनरत 75 छात्रों का भविष्य लिखित प्रयोगात्मक एवं क्लीनिकल अध्यापन सुचारु रूप से न होने के कारण अंधकारमय हो गया है । इस पाठ्यक्रम का सम्बन्ध मेडिकल संस्थान से है । पालीटेक्निक में इस विषय के शिक्षकों का पूर्णतया अभाव है । भौतिक और व्यावसायिक चिकित्सा में केवल एक व्यवसायिक चिकित्सक हैं । मरीजों के अभाव में प्रयोगात्मक ज्ञान अधूरा रह जाता है ।

अतः शासन से मांग करता हूं कि इस पाठ्यक्रम को इलाहाबाद पालीटेक्निक से हटाकर इलाहाबाद मेडिकल कालेज से सम्बद्ध किया जाय और इस पाठ्यक्रम में दाखिला लिए हुए समस्त विद्यार्थियों को मेडिकल कालेज इलाहाबाद से तत्काल सम्बद्ध कर दिया जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं कया ।

अधीक्षण अभियन्ता, पी0 डब्लू0 डी0, गोरखपुर मंडल द्वारा पाईलब्रिज के निर्माण में किये गये घपले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती किशोरी शुक्ला--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं :--

1--यह कि अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर मंडल के अधीक्षण में गोबरहिया नाले पर पाइल ब्रिज के निर्माण में लाखों का घपला किया गया और उससे जनजीवन के नुकसान होने की सम्भावना है ।

2--यह कि मेरे विधान सभा के क्षेत्रीय कार्य के प्रगति में मुझसे व्यक्तिगत रंजिश रख करके 20 सूत्रीय कार्यक्रम की उपलब्धि को नकार रहे हैं ।

3--यह कि उक्त अधिकारी ने अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले अधिकारियों को मेरे क्षेत्र में जनहित का कोई कार्य न करने का मौखिक निर्देश दे रखा है तथा जो सहायक अभियन्ता अच्छा कार्य करते हैं और उन्हें घूस नहीं देता है उसको प्रताड़ित करता है ।

अस्तु सरकार से अनुरोध करती हूं कि उक्त पूरे प्रकरण की जांच किसी निष्पक्ष उच्च अधिकारी से कराकर तुरन्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दण्डित करने का कष्ट करें तथा सदन को भी अवगत कराया जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बढ़ईपुर, जिला शाहजहांपुर में विस्थापित परिवारों को उजाड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की एक सूचना लाना चाहता हूं। ग्राम बढ़ईपुर, परगना खुटार, जनपद शाहजहांपुर में 33 परिवार 24-8-1950 से 166.41 एकड़ भूमि पर रह रहे हैं। इनका रजिस्ट्रीशुदा पट्टा हुआ था जिसका दाखिल खारिज भी हो चुका था। इस जमीन पर इन लोगों ने अपने पक्के मकान आदि बना लिये हैं। बोरिंग तथा विद्युत व्यवस्था भी पूर्ण रूप से हो चुकी है। चकबन्दी के दौरान वन अधिनियम की धारा 20 की कार्यवाही गलत फर्जी व अवैधानिक रूप से कर ली गयी है। शासन के द्वारा अब इन लोगों को बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है जिससे कि इनकी लहलहाती हुई फसलें उजाड़ने का संकट पैदा हो गया है। इन लोगों के पास अपने परिवारों के जीवन यापन के लिये अन्य कोई साधन नहीं है।

अतः अनुरोध है कि माननीय प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आदर करते हुए इन परिवारों को बेघर एवं बेरोजगार होने से बचाने हेतु शासन को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें। समस्त बेदखली की कार्यवाही को रोक कर उपरोक्त भूमि को धारा 27 के अन्तर्गत दूसरा नोटिफिकेशन जारी करके मूल काश्तकारों के हित को ध्यान में रखते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें]।

नोट :---[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।

लखनऊ विश्वविद्यालय में बिजली पानी के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रियासत हुसैन--

[महोदय, लखनऊ विश्वविद्यालय में 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक तमाम फैकल्टी की परीक्षायें स्थगित कर दी गयी हैं। मालूम हुआ है कि दिनांक 15 अप्रैल, 1984 को विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र के दो अध्यापकों श्री एल0 डी0 ठाकुर तथा श्री आर0 सी0 मिश्रा पर हमला किया गया जिसका कारण विश्वविद्यालय में बिजली और पानी का न मिलना बताया गया है। उक्त दोनों अध्यापकों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने जब बिजली सप्लाई कम्पनी से सम्पर्क स्थापित किया तो पता चला कि हनुमन सेतु के नीचे केबिल खराब हो गया है। और उसको मरम्मत में कई दिन लगेंगे। इस विषय को लेकर 3 अप्रैल को छात्रों और बिजली वालों में झगड़ा भी हुआ था।

परीक्षाओं के नजदीक होने के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों में व्यापक रूप से असंतोष, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गया है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।]

इटई रामपुर जिला गोंडा में चकबन्दी अधिकारियों द्वारा किये गये घपलों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसरूर जाफरी--

[जनपद गोंडा विधान सभा क्षेत्र उतरौला में ग्राम सभा इटईरामपुर में चकबन्दी लगी है। जमींदारी विनाश के बाद जो नम्बर खेतों के मसरुख हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।

थे, जिस पर छोटे-छोटे किसानों तथा हरिजनों का कब्जा था उनको इन चकबन्दी में फर्जी खतौनी बनाकर उन नम्बरान का चक अपने नाम तथा अपने परिवारों के नाम करा दिया है यह काम धन के बल पर किया गया है। इन मतरूफ नम्बरान को अधिकांश इस्लाम सेठ पुत्र ग्राम सभा इटईपुर ने किया है चकबन्दी अधिकारी ए० सी० सो० को सांठ-गांठ से हो रहा है। इसके अतिरिक्त ए० सी० ओ० आदि भी इस कार्य को कर रहे हैं। जिससे सम्पूर्ण जनता में असंतोष व्याप्त है। ग्राम सभा इटईरामपुर की खतौनी 1952 से लेकर आज तक फटी रखी है तथा फर्जी खतौनी रिकर्ड रूम गोंडा की मोहर बनवाकर मतरूफ नम्बर का चक बनवाने का यह कार्य कर रहे हैं।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर यह मांग करता हूं कि जो भी फर्जी खतौनी मतरूफ नम्बरान के मालिक बने हो, ऐसे चकों को निरस्त किया जाय तथा इसकी जांच की जाय कि फर्जी खतौनी बनाने वाले कौन हैं।

गंगा के पुरवा वीरापुर जिला इलाहाबाद में बिजली के तार से आग लगने से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राधेश्याम पटेल--

[मान्यवर, विद्युत सब स्टेशन सिकन्द्र कलपुर इलाहाबाद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मनमानी एवं लापरवाही से सम्बन्धित उपभोक्ताओं एवं किसानों को भारी क्षति एवं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रख-रखाव में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से दिनांक 11-4-84 को लगभग 12 बजे दिन ग्राम गंगा के पूरा (बीरापुर) में ट्रान्सफार्मर के पास केबिल के बर्स्ट हो जाने से भीषण अग्निकांड में केदारनाथ हरिजन, सूर्यप्रताप सिंह तथा बिल्लू यादव का खलिहान में रखा सारा अनाज जलकर राख हो गया। जिससे लगभग 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है। केदारनाथ हरिजन के पास अब खाने को कुछ भी शेष नहीं बचा है। सम्पूर्ण सब स्टेशन की रख-रखाव की स्थिति बिल्कुल खराब है। जिससे बिजली की सप्लाई भी घोषित घंटों के अनुसार नहीं हो रही है। परिणामतः लोगों में क्षोभ, क्रोध एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर माननीय सदन एवं शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि अग्निकांड में क्षतिग्रस्त लोगों की आर्थिक सहायता की जाय तथा रख-रखाव की समुचित व्यवस्था कर घोषित घंटों के अनुसार सप्लाई सुनिश्चित की जाय।]

कानपुर स्थित होटल में बम विस्फोट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

[महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से शासन एवं आदरणीय सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि 11-4-84 की रात में कानपुर स्थित एक होटल में चार हथियार बन्द व्यक्तियों द्वारा बम फेंकने के कारण 3 व्यक्तियों के घायल होने से मामला विस्फोटक हो गया है।

मान्यवर, पुलिस अभी तक उन बदमाशों को पकड़ पाने में सफल नहीं हुई है जिससे समस्त क्षेत्र की जनता

नोट :--[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।

नोट:--[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।

में घोर असंतोष, अविश्वास, उत्तेजना एवं आक्रोश की भावना व्याप्त हो गयी है ।

अतः मैं लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय विषय पर माननीय गृह मंत्री से वक्तव्य एवं चर्चा की मांग करता हूं तथा बम फेंकने वाले असामाजिक तत्वों को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने की मांग करता हूं ।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति के कुछ सहायक अभियन्ताओं की पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरनपाल सिंह--

[महोदय, जून, 1982 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में चार अनुसूचित जाति के प्रवर अभियन्ता को सहायक (विद्युत यांत्रिक) के अभियन्ता पद पर प्रोन्नति दी गयी है । विभाग से इन चारों अभियन्ताओं के प्रोन्नति करने के बावजूद आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं था परन्तु बजाय इसके कि शासन आरक्षण कोटा पूरा करता बल्कि इसके विपरीत शासनादेश संख्या 3992 ई0 बी0 आर0/23-3 दिनांक 26-11-83 द्वारा उपरोक्त अभियन्ताओं को असंवैधानिक तरीके से बिना किसी आरोप के प्रत्यावर्तित कर दिया गया । इसके विरोध में इन अभियन्ताओं ने उच्च न्यायालय लखनऊ से स्थगनादेश प्राप्त किया और माननीय न्यायालय ने दिनांक 28-2-84 के द्वारा शासन को आरक्षण कोटा पूरा करने का निर्देश भी दिया लेकिन विभागीय अधिकारीगण ने शासन की आरक्षण नीति की अवहेलना की तथा अब माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की खुलो अवहेलना की जा रही है जिसके कारण यह चार हरिजन अधिकारी के परिवार गत चार माह से वेतन के अभाव में भुखमरी के शिकार हो रहे हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि शासन को नीति व माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार इन अभियन्ताओं के प्रत्यावर्तन आदेशों को तुरन्त रद्द कर दिया जाये एवं शेष कोटे को पूरा किया जाय व हाईकोर्ट के स्थगनादेश के अनुसार इनका तब तक वेतन दिया जाय ।]

नोटः--[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी ।

बलरामपुर, जिला गोंडा में हरिजनों आदि को भूमि आवंटन न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबाल हुसैन--

[महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में इस लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूं कि जनपद गोंडा के बलरामपुर तहसील में तथा पिपरा पंच पेड़वा तथा तुलसीपुर में प्रधानों द्वारा प्रस्ताव होने के बावजूद साल-साल भर तथा छः-छ महीने से पट्टा बनाने का कार्य तहसील के कर्मचारी तथा अधिकारी रोके हैं और गरीब हरिजनों तथा निर्बल वर्ग से पट्टा बनाने हेतु पैसा वसूलने का अभियान चलाये हैं अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा 20 सूत्रीय योजना के इस सूत्र को विफल किया जा रहा है जिससे क्षुब्ध होकर हरिजनों तथा किसानों ने आन्दोलन का रास्ता अख्तियार किया है और 1 मई से महाराष्ट्र के किसानों की तरह रास्ता रोको प्रोग्राम की तैयारी हो रही है जिससे स्थिति भयंकर रूप धारण कर लेगी ।

अतः मैं मांग करता हूं कि भूमिहीन हरिजनों निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के नाम जो प्रस्ताव तहसील में पड़े हैं उनको तुरन्त पट्टा देकर कब्जा दिलाया जायें ।]

नोट :--[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी ।

शारदा नहर के टूटने से इलाहाबाद के उतराव आदि कतिपय गांवों की फसल की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

[जनपद इलाहाबाद शारदा नहर फूलपुर ब्रांच कि0 मी0 49,100 दिनांक 22-3-84 को जो आंशिक टूट गयी की सूचना 22-3-74 को गांव की तरफ से दिनांक 24-3-84 को उतराव थाना से तीसरी सूचना जिलाधिकारी के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता को फसल डूबने से बचाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश हुए फिर भी मरम्मत नहीं की गयी। 25-3-84 को पुनः वायरलेस द्वारा सूचना दी गयी किन्तु शारदा नहर अभियन्ताओं के कान पर जूं नहीं रेंगी। 27-3-84 तक मरम्मत की कोई व्यवस्था न होने के कारण पानी इतना बढ़ गया कि ग्राम उतराव इनायत पट्टी, शेबहा करोडा, आरा, नीमीघरिया, छविलहा, सराय आलम नमगन पोडम आदि की सारी फसल बर्बाद हो गयी है। गांव में भुखमरी से हाहाकार मचा हुआ है 28-3-84 दो बजे दिन में सम्बन्धित अधिकारियों ने कार्यवाही शुरू किया।

अतएव लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करा कर दंडित किया जाय तथा किसानों की फसल जो बर्बाद हुई है उसका तत्काल मुआवजा दिलाया जाय।]

नोटः—[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।

कुमारी राशदा बेगम निवासिनी बरही नदी, अलीगढ़ का अपहरण एवं सामूहिक बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुहम्मद आजम खां—

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही दुखदायी और सर को झुका देने वाली सूचना की तरफ दिलाना चाहता हूं। दिनांक 13-1-84 को एक नाबालिक लड़की कु0 रशदा बेगम निवासी, ग्राम बरही नदी थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ का है जिसका अपहरण शहर के दौलतमंद और राजनैतिक व्यक्तियों के लड़कों द्वारा किया गया। लगातार खोज के बाद 31-3-84 को यह लड़की पुलिस की मदद से आगरा के एक कारखाने से बरामद कराई गई जहां अय्याशी के लिए एक अलग जगह बना रखी थी। लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि उसके साथ एक समय में 8-8 लोगों ने बलात्कार किया। बेहोश हो जाने पर यह अमानुष जिन्दा लाश के साथ बलात्कार किया करते थे। अभी तक लड़की ने पुलिस को नामजद रिपोर्ट किये जाने पर तथा डाक्टरी मुआइना होने के बाद जुर्म साबित होने के बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं की है जिससे प्रदेश के गरीब तथा कमजोर वर्ग के लोगों में असुरक्षा एवं भय का माहौल पैदा हो गया है कि अब गरीब की इज्जत महफूज नहीं है।

अतः मेरी शासन से मांग है कि मुल्जिमान को फौरन गिरफ्तार किया जाय और राशदा बेगम व उसके परिवार की सुरक्षा की जाय।]

नोटः—[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।

विकास खंड हसनगंज (उन्नाव) के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम स्वरुप निम--

[जनपद उन्नाव में विकास खंड हसनगंज के ग्रामीण अंचलों में बिजली की आपूर्ति न होने से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। रबी की फसल की मड़ाई जोरों पर है लेकिन बिजली न मिलने के कारण उस क्षेत्र की जनता में प्राकृतिक प्रकोपों का भय बना हुआ है। मजे की बात तो यह है कि हसनगंज कस्बे तक तो बिजली कुछ घंटों तक आती है लेकिन ग्रामीण अंचलों में जाने वाली लाइनों में बिजली नहीं जाती क्यों कि कस्बा हसनगंज में नियुक्त लाइनमैन हसनगंज से बिजली काट देता है और परेशान काश्तकारों से सौदा करने के बाद लाइन जोड़ देता है जिसके कारण किसान बिजली के अभाव तथा बिजली के कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित है। इससे विकास खंड हसनगंज के समस्त किसानों में घोर निराशा तथा आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है।

अतः माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि रबी की मड़ाई तथा आम के बड़े-बड़े बागों की सिंचाई हेतु 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने तथा कस्बा हसनगंज में नियुक्त बिजली कर्मचारियों को दंडित किया जाय।]

कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसियेशन की उत्तर प्रदेश शाखा की वार्षिक बैठक के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं।

नोटः--[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।

आज दिनांक 17 अप्रैल, 1984 को सदन के उपवेशन के उपरान्त तिलक हाल विधान भवन में होने वाली कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसियेशन की उत्तर प्रदेश शाखा की वार्षिक सामान्य बैठक स्थगित कर दी गयी है।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

औचित्य के प्रश्नों की जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं, उनमें पहली सूचना है श्री राम स्वरुप वर्मा, श्री फखरे आलम श्री रियासत हुसैन, श्री भीखा लाल और यही श्री मुहम्मद आजम खां की भी है। यह दिनांक 16-4-84 को अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था के सम्बन्ध में है। एक सूचना श्री किरन पाल सिंह की आलू क्रय हेतु सरकारी केन्द्र न खोलने के सम्बन्ध में। श्री राम स्वरुप निम की अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के सम्बन्ध में है। श्री राम स्वरुप निम की ही दूसरी सूचना ग्राम दादूबाग, थाना भगवानपुर, जिला सहारनपुर के निवासियों की पिटाई के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री ए0 सी0 ग्राइस की सूचना अल्पसंख्यक की संस्थाओं की भूमि पर कब्जा करने के संबंध में है।

मैंने इन सूचनाओं को देखा है, नियम इत्यादि भी देखा है, और इनका मैंने परीक्षण भी किया है उसके आधार पर मैं इनको सुनूंगा। यह एक ही सूचना श्री राम स्वरुप वर्मा, श्री फखरे आलम, श्री रियासत हुसैन और श्री भीखा लाल द्वारा दी गयी है। उसके बाद यही श्री आजम खां की है। उसके बाद श्री किरन पाल सिंह की है इनको सुनूंगा। जहां तक श्री राम स्वरुप निम की सूचना का सम्बन्ध है, वह नियम 300 की परिधि में नहीं आती है फिर भी इस सूचना की एक प्रति माननीय

संसदीय कार्य मन्त्री और गृह राज्य मंत्री को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपको कदाचित याद होगा कि पिछले समय में माननीय राम स्वरूप निम, ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के सम्बन्ध में यहां सदन में बात कही थी और उस वक्त वहां यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा की जायेगी, इसकी बाबत आदेश भेज दिया जायेगा और समुचित कार्यवाही की जायेगी । लेकिन, फिर भी माननीय सदस्य को क्यों कहना पड़ रहा है ? मैं आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट करते हुए यह जानना चाहता हूं कि आपने उसमें अब तक क्या कार्यवाही की है ? माननीय सदस्य कौन सी आवश्यकता पड़ गयी, जिससे यह फिर प्रश्न कर रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, यह 6 अप्रैल को ही आपको भी मैंने सूचित किया जो कुछ सदन में कहा है, उसके बारे में गृह सचिव को आदेश दे दिये थे मैं जिस चीज को देखूंगा कि उनको उन आदेशों का क्यों नहीं पालन हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

वस्तुस्थिति को देखने के बाद आप मुझे भी अवगत करायेंगे और माननीय सदस्य को भी उससे अवगत करायेंगे ।

माननीय राम स्वरूप निम जी की जो दूसरी सूचना है जो ग्राम दादूबाग, थाना भगवानपुर जिला सहारनपुर के निवासियों की पिटाई के सम्बन्ध में है, उसको इसमें 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । अतः मैं उसको अस्वीकार करता हूं । उसके बाद जहां तक श्री ए० सी० ग्राइस की सूचना है उसमें यह है कि नियम 300 के अन्तर्गत ऐसे प्रश्न उठाये जा सकते हैं जिनसे सदन की कार्यवाही विनियमित होती हो और मामला अध्यक्ष के संज्ञान में हो । श्री ग्राइस की सूचना उक्त के अन्तर्गत नहीं आती, अतः अस्वीकार की जाती है लेकिन, ग्राइस साहब आपसे यह निवेदन है कि आप इसकी सूचना नियम 301 में कल दे दें, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा । यह जो आपने नियम 300 के अन्तर्गत दी है, इसके जो नियम हैं, उसके आधार पर वह इसमें नहीं आती हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां को धमकी भरा पत्र मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल था ।

मान्यवर, यह व्यवस्था का सवाल मैंने आपको लिखित रूप से दिया है । एक पत्र जो मुझे मेरे घर पर मिला है, यह हो सकता था कि इसे गैर जरूरी जानकर नहीं उठाता और अगर आम हालात होते, तो उन हालातों में भी यह जरूरी न होता क्यों कि मैं इसके कोई भी गैर कानूनी मुकाम देने को तैयार नहीं हूं । लेकिन क्योंकि अब पूरे मुल्क में पूरे सूबे में आम हालत नहीं हैं, किसी की जिन्दगी महफूज नहीं है न ट्रेनों में और न सड़कों पर एवानों में न घरों में । खासतौर से उन लोगों की जिन्दगी, जिनका ताल्लुक सियासत से बना है शस्त जुड़ा हुआ है, उनकी जिन्दगी बिल्कुल महफूज नहीं है । आपको मालूम है कि पिछले दिनों में एक हादसा मेरे साथ रामपुर में पेश आ चुका है । ऐसे खत मेरे पास पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन मैंने उनका कभी नोटिस नहीं लिया । एक मामले पर जुडिशियल इन्क्वायरी का ऐलान सरकार कर चुकी इसमें लिखा हुआ है कि 'अगर अपनी जिन्दगी प्यारी है तो अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दो नहीं तो लाश के टुकड़े

मिलेंगे, मैं इसलिए आपको इत्तला दे रहा हूं कि यदि कल कोई नाखुशगवार हादसा पेश आ जाय और आपकी तरफ से यह कहा जाय कि अगर मैंने ऐसी इत्तला दे दी होती, तो हादसा न होता अगर मुनासिब हो और आप चाहते हैं तो इसकी इन्क्वायरी सी० आई० डी० से करा लें। इस समय कोई भी मामला मेरी समझ से ऐसा नहीं चल रहा है, जिसके प्रत्युत्तर में यह खत आया हो।

श्री अध्यक्ष--

(श्री मुहम्मद आजम खां से) आप यह पत्र माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को मेरे जरिये से भिजवा दें। यह आपको वापस हो जायेगा।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपने स्वयं यह आदेश दे दिया कि पत्र मुझ तक भेज दिया जाय। पत्र किसने लिखा, कैसे पहुंचा, पता नहीं, परन्तु जैसा माननीय खां ने कहा है इसकी जांच जरूर करवा लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो।

श्री अध्यक्ष के अपमान से संबंधित विशेषाधिकार और औचित्य के प्रश्न पर स्वयं श्री अध्यक्ष द्वारा निर्णय दिये जाने सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

कल इस सदन में आपके अपमान के सिलसिले में विशेषाधिकार और औचित्य का प्रश्न आया था और आपने बड़ी संजीदगी से, सम्भवतः पूर्व दृष्टान्तों को देखते हुए, यह निर्णय लिया कि जब तक उस विषय पर निर्णय नहीं हो जायगा तब तक आप सदन में नहीं आयेंगे। यह उचित था, इससे पूर्व दृष्टान्त भी हैं। यह प्रकृत सत्य है कि अपने मामले में व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता है। आपके बारे में प्रश्न उठा, आप निर्णय दे नहीं सकते थे। वर्ष 1957-58 में जब मैं इस आदरणीय सदन में था तो शायद भारत में पहली बार अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव मैंने इस सदन में रखा था और उस समय अध्यक्ष ए० जी० खेर साहब थे। उन्होंने कहा कि पेश करो, मैंने कहा कि क्या पेश करूं, आप कुर्सी पर विराजमान हैं। इसके बाद उन्होंने सलाह मशवरा किया और उन्होंने कहा कि आप नहीं मानते हो, हट जाता हूं। प्रकृत सत्य यह है कि कोई भी अपने बारे में फैसला नहीं कर सकता। इसी तरह से आपने पूर्व दृष्टान्तों का ध्यान रखते हुए अपना आसन खाली कर दिया और अधिष्ठाता को बैठा दिया। यहां पर बहुत बहस हुई और आपने दो बातें रखीं। सारा सदन इस गरिमामय प्रस्ताव के पक्ष में हो गया कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। अधिष्ठाता ने कहा कि निर्णय सदन से उठने से पूर्व दे दूंगा, लेकिन सदन बीच में स्थगित हो गया। बाद में अधिष्ठाता जी आये नहीं, आप आ गये। उस हंगामें में हम सुन भी नहीं पाये कि क्यों सदन को स्थगित कर दिया।

श्री अध्यक्ष--

जो अधिकार आपने मुझे दे रखे हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि पीठासीन अधिकारी जो श्री भोखा लाल जी थे, जिन्होंने यह कहा था कि मैं आज सदन के उठने से पूर्व अपना निर्णय दे दूंगा, लेकिन वह शाम को आए नहीं और आप आए और आपने उस हंगामे के दौरान अपना फैसला दे दिया। इसलिये मेरी आपसे गुजारिश है कि जो सदन में माननीय अधिष्ठाता द्वारा घोषणा की गयी, उसका पालन होना चाहिए और आप अपने बारे म कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्णय ले नहीं सकते हैं, इसलिए इस निर्णय को अपने बारे में उन्हीं अधिष्ठाता महोदय द्वारा करवा दें, यह व्यवस्था हम आपसे चाहते हैं।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, जो व्यवस्था का प्रश्न भाई राम स्वरूप वर्मा जी ने उठाया है मैं उसके साथ एक दूसरी चीज जोड़ना चाहता हूं कि आखिर माननीय संसदीय कार्यमंत्री और इस प्रदेश की सरकार को हरिजनों और मुसलमानों से नफरत क्यों हो गयी है। मेरी समझ में नहीं आता कि अब तक तो यह बात सिर्फ अल्प संख्यकों से ही थी अब हरिजनों से भी हो गयी। मान्यवर, जो व्यवस्था आपने कल दी, नियमों में है कोई भी निर्णय तब सही माना जायेगा, जब सदन सुचारु-रूप से चल रहा हो, लेकिन कल जो निर्णय हुआ है, वह हंगामे के दौरान, शोर के दौरान हुआ, वेल पर 10-12 आदमी खड़े हुए थे काफी शोर था, उसी दौर आपने अपना फैसला सुनाया, जिसको दमदार, बजन वाला य सही नहीं कहा जायेगा। पहले आप उस हंगामे को शांत करते और तब निर्णय होता तो वह मान्य था, लेकिन यह कार्यवाही शान्त करने वाली तो आपने की नहीं और अपना फैसला सुना दिया जो किसी भी तरह से नहीं सही माना जायेगा और सदस्यों की भावनाओं के विपरीत है। इसलिए जो प्रश्न भाई राम स्वरूप जी ने उठाया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और इस बात पर पूरा बल देता हूं कि इस मामले पर पुनः निर्णय होना चाहिए क्योंकि उस निर्णय में कोई दम नहीं है, जो मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है, उसका कार्यान्वयन नहीं होना चाहिए।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मुझे खेद है कि मैं कल की कार्यवाही में सदन में उपस्थित नहीं था, लेकिन कार्यवाही के पढ़ने से स्थिति का ज्ञान हुआ और जैसाकि भाई रियासत साहब ने कहा कि कल सदन, उस समय जब आपने अपना निर्णय दिया व्यवस्थित ढंग से और सुचारु रूप से नहीं चल रहा था ऐसे वक्त में पहले सदन को मर्यादित करना था, तब किसी भी प्रकार का निर्णय होना चाहिए था।

जहां तक मान्यवर, घटना का सम्बन्ध है, कुछ लोगों ने विशेषाधिकार के जरिये और कुछ माननीय सदस्यों ने औचित्य के प्रश्न के जरिये उस घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाया। आपने उसका प्रतिवाद भी नहीं किया इसलिये घटना सही है। यदि घटना सही है तो इतना घोर अपमान, चूंकि आप पूरे सदन के प्रतिनिधि हैं, जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं का आप यहां प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके वहां पीठासीन होने के बाद हम आपको अल्पसंख्यक या हरिजन के रूप में नहीं बल्कि आपको जन भावनाओं के प्रतीक के रूप में मानते हैं और जब हमारे अध्यक्ष का अपमान होगा तो अधिकारियों को और कर्मचारियों को शीघ्र दण्डित न किया जाना, तो श्रीमन, आपको त्याग-पत्र दे देना चाहिये था, इस पद पर नहीं रहना चाहिये था। मैं जानता हूं कि यह सरकार जानबूझ कर आपका अपमान करने, आपकी गरिमा गिराने पर तुली हुई है। जबसे आपने बुलन्दशहर में कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में प्रचार नहीं किया, वही बात उनको बुरी लगी थी और तब से बराबर उनकी तरफ से आपका अपमान करने की कोशिश होती रही है। अधिकारियों को दण्डित करने की बात तो किनारे है, उनके स्थानान्तरण तक की कार्यवाही उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं की है।

इसलिये मैं दो निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस सदन को जनता की प्रतिष्ठा की हिफाजत करनी है तो अविलम्ब जो आपने विशेषाधिकार समिति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को सुपुर्द किया है तो इस सदन की विशेषाधिकार समिति 2 घण्टे के भीतर अपनी आपातकालीन बैठक करके आज ही सदन उठने से पूर्व अपना निर्णय दे दे। यदि संसदीय कार्य मंत्री और नेता सदन को इसमें रुचि नहीं है तो मान्यवर, मैं कहूंगा कि आपको अपने पद पर बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिये।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह बात बिलकुल सही है कि जो नागवार हादसा आपके साथ मेरठ में पेश आया और कल यहां सदन में उस पर चर्चा हुई और उसके सम्बन्ध में सदन की कार्यवाही कल शाम 5 बजे तक स्थगित भी रही।

श्री सोमांश प्रकाश--

राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने भी अध्यक्ष जी का अपमान किया था।

श्री अध्यक्ष--

उसको छोड़िये, वह बात हो गयी।

श्री मुहम्मद आजम खां--

बता रहा हूं आपके मन की बात बता रहा हूं। मान्यवर, एक मामूली से वाकये को बहाना बनाया गया राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति फाड़ दी गयी, की बात पर तूफान खड़ा हो गया कहा गया अध्यक्ष की अवमानना हुई है। सम्पूर्ण सदन की अवमानना हुई है और मेरे कत्लनामे का मसविदा तैयार किया गया और अब जबकि अध्यक्ष महोदय की बेइज्जती मेरठ से लेकर सदन तक हुई और जारी है। उस मामले को लेकर कल सारे दिन सदन न चल सका। कल शाम सवा पांच बजे तक सदन की कार्यवाही नहीं चली और मेरे औचित्य के प्रश्न में यह लिखा भी है कि सवा पांच बजे तक सदन की कार्यवाही नहीं चली। आपकी पीठ से बार-बार ऐसे निर्देश हुए हैं कि सदन की हर घन्टे की कार्यवाही पर लाखों रुपए खर्च होते हैं तो सदन की कार्यवाही कल नहीं हुई जिसके फलस्वरूप जनता की गाढ़ी कमाई का काफी पैसा खर्चा हुआ, अगर यह सदन की अवमानना नहीं थी, सवा पांच बजे शाम तक एक वाकये को लेकर सदन नहीं चलाये आप भी यहां से चले गये। मेरा कहना है कि आपने अपनी किसी जाती अना की तसकीन के लिये गलत ढंग से सदन को अपनी तसकीन के लिये इस्तेमाल किया। पूरा सदन सवा पांच बजे तक नहीं चला। माननीय अध्यक्ष के साथ मेरठ में निहायत गिरा हुआ वाकया पेश हुआ पहले दिन ऐसा बताया गया जैसा कि तमाम सत्ता पक्ष के और तमाम विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा था मगर आज दूसरा एहसास है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को फाड़ा गया, उस वाकये को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी गयी।

(व्यवधान) वह वाकया कुछ था ही नहीं। उस वक्त जब सदन नहीं चल रहा था और यह वाकया है जब सदन चल रहा था और पूरा सदन इस वाकये पर एकमत था कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, वह कार्यवाही नहीं हुई है। इसीलिए चूंकि कार्यवाही नहीं हुई तो जैसा माननीय मोहन सिंह जी ने कहा है, आपको त्याग-पत्र दे देना चाहिए क्योंकि आपने सदन को गलत बयानी करके गुमराह किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कई माननीय सदस्यों ने त्याग-पत्र देने की बात कही है, इस आदरणीय सदन ने मुझको सर्वसम्मति से चुना है इसलिए अगर सर्वसम्मति से हटायेंगे तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा।

श्री मुहम्मद आजम खां--

हम तो अपना खेद प्रकट करते हैं।

श्री मोहन सिंह--

यह आपको हटाना चाहते हैं। वहां से लाकर यहां बैठाना चाहते हैं, इसीलिए यह आपका अनादर कर रहे हैं।

*श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, मोहन सिंह जी बड़े विद्वान सदस्य हैं, मैं कहना चाहता हूं कि डी० एम० और एस० पी० को कोई हस्ती नहीं है जो विधान सभा का अपमान कर सकें। यह चीज हाउस अफ कामन्स और लोक सभा में आयी है कि 'हिज बिहेवियर बाई ए पब्लिक सरवेन्ट टू एनी अथारिटी आफ स्टेट कैननाट बि दि सब्जेक्ट मैटर आफ दि प्रिविलेज आफ दि हाउस। असेम्बली इज टू बिग टू बी डिसरेस्पोक्टेड बाई एस० पी० ऐण्ड डी० एम०।' कोई भी आदमी विधान सभा का अपमान नहीं कर सकता है। आपका व्यक्तित्व और विधान सभा का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। यहां पर एक प्रोटोकाल मिनिस्टर हैं और वह उससे सम्बन्धित सारे कार्य करते हैं। इट इज ए टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर।

श्री अध्यक्ष--

जो आप अंग्रेजी में बोले उसका हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री काशी नाथ मिश्र--

यह एक प्रशासनिक मामला है। अगर प्रोटोकाल आफीसर अपने कार्य को ठीक से और सुचारु रूप से नहीं करता है तो यह उसकी गलती है, यह प्रिविलेज का सवाल नहीं है। यह प्रिविलेज का सवाल कतई नहीं है, लोगों ने केवल इसको प्रिविलेज का सवाल बना दिया है। इस तरह की चीजें हाउस आफ कामन्स में और लोक सभा में भी उठी हैं और वहां पर भी इस प्रकार के मामलों को प्रिविलेज का सवाल नहीं माना गया है। इसको समाप्त होना चाहिए। शासन सक्षम है किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का, इसको समाप्त होना चाहिए।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है। मुझे भी मौका दे दें।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, विरोधी दल के माननीय सदस्य चाहते हैं कि कुछ न कुछ होता रहे मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है, उसका कोई रिव्यू नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

मैं कह रहा था कि जो निर्णय कल माननीय अध्यक्ष जी, आपने लिया है उसका रिव्यू नहीं हो सकता है। आप का निर्णय हो चुका है, आपके सामने सारी चीजें आ गयीं और आपने स्वयं कहा कि सब कुछ समझौते के माध्यम से तय हो चुका है। जब सब कुछ समझौते के माध्यम से तय हो चुका है तो उस निर्णय के विरुद्ध कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। माननीय अध्यक्ष जी ने खुद इस बात को कहा है कि सारी बातें आपस में बैठकर तय हो गई हैं। उस वक्त किसी भी माननीय सदस्य ने यह बात नहीं उठायी कि यहां पर नहीं आना चाहिए था और आपको यहां पर नहीं रहना चाहिए था।

श्री हुकुम सिंह--

कहा गया था। यह बात मैंने उठायी थी। प्रोसीडिंग्स में मौजूद है।

श्री लाल प्रताप सिंह--

इसलिए यह मामला अब उठता ही नहीं। अधिष्ठाता महोदय ने कहा कि इस विषय पर वे 5 बजे अपना निर्णय देंगे। लेकिन 5 बजे सारी बातें तय होकर समाप्त हो गईं। इसलिए अब इसका कोई औचित्य नहीं है और न यह कोई प्रश्न बनता है। लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोध पक्ष जो है वह किसी भी तरीके से किसी चीज को समाप्त होने देना नहीं चाहता। वह इसे चलाना नहीं चाहता है और माननीय मोहन सिंह तो इससे भी आगे बढ़ गये।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

कृपया मेरी बात सुन लें।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब इस पर डिबेट समाप्त कर दें और इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है।

(श्री विद्यासागर नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें अब समय नहीं लेना चाहिए क्योंकि नेता लोग बोल चुके हैं। तथ्य आपके सामने आ गए हैं और जो कल बजट था वह नहीं होने पाया

(व्यवधान)

आप लोग क्या बोल रहे हैं? पहाड़ों के लोग बहुत नाराज हैं। उनको एक दिन का समय मिलना चाहिए था आधा दिन भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अब मैं एक-दो आदमियों को बुलवाऊंगा। उसके बाद समाप्त करें।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

माननीय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप कल यहां पर उपस्थित नहीं थे, आपकी अनुपस्थिति में इस सदन के सामने एक प्रस्ताव लाया गया...

(व्यवधान)

जब हम उस प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे तो यह उचित था कि आपको यहां पर नहीं रहना चाहिए था क्योंकि आप उसमें एक पक्षकार थे आपकी अनुपस्थिति में हमने उस प्रस्ताव पर विचार किया और उस पर अधिष्ठाता महोदय ने यह कहा कि मैं 5 बजे आकर इस पर अपना निर्णय दूंगा। हम चाहते थे कि इस प्रस्ताव को इस आदरणीय सदन में लाने की स्थिति न आती। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात होती कि यह प्रस्ताव सदन के सामने न आता और सरकार स्वयं इसके बारे में निर्णय ले लेती। श्रीमन्, मुझे वहां के जिला अधिकारी के बारे में कुछ नहीं कहना है। मैंने सुना है कि वह एक बहुत अच्छा जिलाधिकारी है लेकिन उस जिलाधिकारी ने और उत्तर प्रदेश की निरंकुश तानाशाही सरकार ने इस सदन के 425 सदस्यों का मान-मर्दन करने के बाद हमारे मस्तक के ऊपर हमला किया है लिहाजा हम चाहते थे कि इसके बारे में सरकार चेते और सदन स्वयं कार्यवाही करे। लेकिन जब श्रीमन् ने कहा कि इसके बारे में समझौता हो गया है तो हमें आघात लगा है। सदन की पीठ पर कोई समझौता नहीं हो सकता। श्रीमन् के श्रीमुख से कोई वाणी निकल गई वह हमारे लिए निदेश है और उसे अगर विशेषाधिकार समिति को दे भी दिया गया तो यह परन्तुक भी उसमें लगाया जाय कि वह विशेषाधिकार समिति आज की तिथि के अन्दर बैठकर इस प्रश्न पर विचार करके अपना निर्णय दे। यही मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं संक्षेप में ही कहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस परम आदरणीय गरिमामय सदन के परम आदरणीय अध्यक्ष की अवमानना के सम्बन्ध में कल सदन में एक मत होकर विचार हुआ। यह नग्न सत्य है कि कल के दिन इस आदरणीय सदन की ये दीवारें भी हुंकार रही थी कि हम

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नौकरशाही से बदला लें और जो जोश कल यहां पर था जिस पर सम्पूर्ण दिन यह आदरणीय विधान सभा स्थगित रही। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जब विभिन्न प्रकारों से बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कहीं, उस वक्त भी यह आदरणीय सदन तैयार नहीं था।

माननीय, यह अपमान आपका नहीं था यह इन 426 सदस्यों का अपमान था और इसके बाद समझौते के द्वारा इसे समाप्त किया गया है। मैंने बड़े-बड़े मनीषियों की बात सुनी और दो चार राजनीतिकों की वाणी सुनी, उनका मैंने चिंतन किया। मैंने कल बड़ी उच्चतम भावनायें आपको समर्पित की थी लेकिन दिन भर के बाद जो परिणाम निकला वह बड़ा निराशाजनक रहा। इस नौकरशाही द्वारा मुरादाबाद में एक सांसद के साथ दुर्व्यवहार हुआ और आपके साथ हुआ इस प्रदेश के विधायकों को तो यह खिलौना समझते हैं। जब इस आदरणीय सदन के अध्यक्ष के ऊपर हाथ डाल सकते हैं तो हम क्या हैं।

आज यह सिद्ध हो गया है कि इस प्रदेश के अन्दर नौकरशाही महान है, विधायिका कुछ नहीं है। इसलिए मैं आदरणीय सदन के सदस्यों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि वे अपनी नियमावली से विशेषाधिकार शब्द को हटा दें हमारा नियम या सम्मान जनता के रहम पर छोड़ दें। इसको अब उनके भाग्य पर छोड़ें। यहां पर विचार करने का मतलब अधिकारी वर्ग सोचता है कि इसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपका जो अपमान हुआ है उसे आप भूल जाइयेगा मगर हमारी छाती पर जमा रहेगा। यह केवल आपका अपमान नहीं हुआ है बल्कि सारे प्रदेश का अपमान हुआ है। यह जो विधान सभा में बड़े-बड़े मनीषियों की बातें हुई मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

(व्यवधान)

मेरी वाणी आपने सुनी, आपका अपमान पूरे प्रदेश का अपमान है लेकिन नौकरशाही ने दिखा दिया है कि वह महान है और उसके सामने आप और हमारा कोई महत्व नहीं है।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

माननीय, कल गम्भीर मसले पर चर्चा हो रही थी उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कल विधान सभा की बैठक है माननीय सदस्य यहां पर आयेंगे। 24 घंटे के अन्दर उनका उत्तर यहां पर आ जायेगा और उसके ऊपर निर्णय लिया जायेगा।

कल बात साफ हो गयी थी कि 24 घंटे के अन्दर डी0 एम0 और एस0 पी0 का जवाब आ जायेगा। आज 24 घंटे पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इतना गम्भीर मसला था आपकी तरफ कोई प्रस्ताव नहीं आया कि सचमुच कोई अपमान किया है या नहीं। आपने समझौता कर लिया अन्दर जाकर सरकार से यह लगता है। सरकार की ओर से आपका अपमान करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। अभी कुछ दिन पहले यहां पर माननीय प्रधान मंत्री आयीं। महिलाओं की रैली हो रही थी, आप उसमें जा रहे थे वहां पर पुलिस ने आपको रोक दिया, आपने कहा मैं अध्यक्ष विधान सभा हूं तो उन्होंने कहा आप प्रमाण बताइये। तो इनकी तरफ से जानबूझकर सुनियोजित ढंग से यह षड्यंत्र किया गया है। कल जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने निश्चित रूप से कहा था कि 24 घंटे के अन्दर रिपोर्ट दी जाएगी तो वह क्यों नहीं दी गई तो उन्होंने फिर से इस सदन का अवमानना की है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री के खिलाफ में विशेषाधिकार अवहेलना की नोटिस देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्रीकिरनपाल सिंह--

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट का नाम पुकारे जाने पर) मैं पहले से खड़ा हूं ।

*श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, कल जिस गम्भीरता के साथ एक प्रकरण माननीय सदन के समक्ष आया उस पर बड़ी गम्भीरता के साथ, बड़ी संवेदनशीलता के साथ यहां चर्चा हुई । सुबह से लेकर 5 बजे तक माननीय सदन के सदस्य चिंतित रहे । ब्यूरोक्रेसी के इतने लम्बे हाथ हैं कि वह विधायिका की गर्दन पर पड़ने लगे हैं यही नहीं वह इस विधान सभा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए अध्यक्ष पर भी पड़ने लगे हैं और उनकी अवमानना हो गई, उनके कार्यक्रम की कोई नोटिस नहीं ली गई । जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 अपने तरीके से जैसा चाहते हैं विधायकों से कहते रहते हैं कि ऐसे तो 424 की संख्या नहीं बताते हैं बल्कि कहते हैं कि ऐसे तो 420 एम0 एल0 ए0 घूमते रहते हैं । यह शब्द अध्यक्ष के लिए भी प्रयोग किए गए । तो मैं जानना चाहता हूं और संसदीय कार्य मंत्री ने कल आश्वस्त किया था कि 24 घंटे के अन्दर उनका स्पष्टीकरण आ जायेगा और उसके बाद कार्यवाही होगी ।

मान्यवर, आप जिस पीठ पर बठे हैं, वह किसी एक व्यक्ति की कुर्सी नहीं है, यह कुर्सी धर्म सिंह की कुर्सी नहीं है बल्कि यह कुर्सी उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्यों के अध्यक्ष की कुर्सी है और जिस पर आप विराजमान हैं । इसलिए यह प्रश्न पूरे सदन का बन गया है जिसको जानने का माननीय सदस्यों को अधिकार था लेकिन आपने बन्द कमरे में बैठकर न मालूम किस दबाव में आकर विशेषाधिकार समिति को इसको सौंपने की सहमति दे दी । इसलिए मैं अफसोस जाहिर करते हुए कहना चाहता हूं, कि यह पूरे सदन का प्रश्न बन गया है इसलिए इसमें व्यक्तिगत रूप से आपको निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन न मालूम किन परिस्थितियों में कैसे दबाव में आकर और मैं तो कहता हूं कि आप काऊ डाऊन हुए हैं जबकि आपको काऊ डाऊन नहीं होना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, आप कैसे विशेषाधिकार समिति के समक्ष जायेंगे, माननीय अध्यक्ष विधान सभा विशेषाधिकार समिति के समक्ष कैसे जायेंगे और कैसे वहां गवाही देंगे । इसलिए पूरे सदन की गरिमा का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष की अवमानना पूरे सदन की अवमानना है और इसमें पहले से ही केशव सिंह के मामले में निर्णय लिया जा चुका है कि लेजिस्लेचर सुप्रीम बाडी है और जब कोई प्रसंग आएगा तो जैसे पिछले समय जब यह प्रकरण आया था तो निर्णय हुआ था कि लेजिस्लेचर को अधिकार है कि जब वह हाईकोर्ट के जजों को बुला सकती है और उनका स्टेटमेन्ट ले सकती है । आज पूरे सदन की अवमानना हुई है, लेजिस्लेचर की अवमानना हुई है और एक व्यक्ति की नहीं बल्कि अध्यक्ष विधान सभा का अपमान हुआ है । इसलिए चूंकि पूरे सदन का अपमान हुआ है, इसलिए पूरे सदन को नियम 70 (2) के अधीन कोर्ट में कन्वर्ट करने की इजाजत दें और उन अधिकारियों को यहां बुलाकर उनका स्टेटमेन्ट लिया जाए और उनको देखकर उनको दन्डित किया जाए । यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे आपने पूरे सदन के सम्मान का सौदा किया है ।

*श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मैं कल सदन में नहीं था लेकिन कल की कार्यवाही को देखा और समाचार पत्रों को पढ़ा । अब तक तमाम माननीय सदस्यों ने इस पर अपने-अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विचार व्यक्त किए हैं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं और न मैं इस बहस में जाना चाहता हूं कि आपने क्या किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने कल महसूस किया था, कल आपके भाव बताते थे कि आप अपमानित हुए हैं जिसको सारे सदन ने नोट किया था और मान्यवर, उसका प्रतिवाद भी नहीं हुआ और आपकी सहमति इस बात से थी कि आपका अपमान हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

मोहन सिंह, आपके चेले बने हैं वह अधूरे हैं, आप पगड़ी बांध दें।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए वह हमारे चेले रहते हैं लेकिन अधिकांश समय में वह आपके साथ चले जाते हैं।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, पगड़ी उछलने का मामला है, बंधने का नहीं।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, विषय की गम्भीरता को आप देखें, मैं उदाहरण दे सकता हूं कि सिर्फ मेरठ के डी0 एम0, कलेक्टर की बात नहीं बल्कि मुझको जानकारी है कि आप बुलन्दशहर जाते हैं, पिछले दिन हुआ और जब-जब आप वहां गए हैं एस0 पी0 और डी0 एम0 ने छुट्टी ले लिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

आप गलत कह रहे हैं।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, यह आप महसूस करते हैं, जैसा मोहन सिंह ने जी कहा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बहुमत या सर्वसम्मति का सवाल नहीं है, ऐसे उदाहरण हैं जब कोई ऐसी बात आई है मान और सम्मान की, मूल्यों के अवमूल्यन की तो बहुमत या सर्वसम्मत का ख्याल किए बिना लोगों ने अपने इस्तीफे दिए हैं और ऐसे महान पुरुषों का नाम इतिहास में लिया गया है। तो मेरा निवेदन जो आपका इस्तीफा दे देने के सुझाव से सम्बन्धित है, उसका यह मतलब नहीं है कि आपको हमारा समर्थन नहीं है। इससे आगे उस कुर्सी पर आसीन होने वाले लोगों के लिए एक परम्परा बनेगी कि उनके साथ यदि ऐसा व्यवहार होगा तो वह भी इस्तीफा दे देंगे। और यदि आज ऐसा नहीं हुआ तो आपकी तरह आगे आने वाले लोग भी अपना अपमान बरदाश्त करते रहेंगे। वह अपमान सहन करने के लिए विवश होंगे। मैं पार्टी हूं या हाउस पार्टी हो इसका सवाल नहीं है, सवाल केवल इतना है कि आपके सम्मान को ठेस पहुंची है और उसके लिए परम्परा और सम्मान का तकाजा है

(व्यवधान)

कि आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

भीखालाल जी, अब आगे मैं किसी को भी आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री भीखालाल--

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आपके अवमान का है और यदि पूरा सदन इस बात से सहमत है कि आपका अवमान हुआ है, पूरे सदन का अवमान हुआ है....

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह--

किसी एक व्यक्ति का नहीं हुआ तो केवल काशीनाथ का नहीं हुआ है और सबका हुआ है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

मैं कार्यवाही को दे खूंगा और कोई वैसी बात होगी तो निकाल दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री भोखा लाल--

यह इस सदन का स्पष्ट अवमान हुआ है, इस बात को वही लोग नहीं महसूस करते हैं जो नौकरशाहो की चाप-लूसी करते है ।

(व्यवधान)

श्रीमन्, इस निष्कर्ष पर आप भी पहुंचेगे कि सदन का अवमान हुआ है, इसीलिए आपने उस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया है । लेकिन वह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे राम स्वरूप वर्मा जी न उठाया है । इसमें विचारणीय बिन्दु केवल एक ही है इस अवमानना के प्रश्न में एक पार्टी जिलाधीश और एस० एस० पी०, मेरठ हैं और दूसरी पार्टी आप हैं । जब यह मामला यहां आया था, आप तुरन्त यहां से उठकर चले गए थे जो आपने ठीक ही किया था और अधिष्ठाता मंडल के एक सदस्य को अपने स्थान पर बिठा दिया था और उनकी मौजूदगी में यह वादविवाद हुआ था । उस पर जब बाद में निर्णय हुआ तो वह भी आपके गृह से नहीं होना चाहिए था । अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात पर पुनर्विचार करें और अपने पूर्व निर्णय को वापस लें । अपने स्थान पर किसी अधिष्ठाता मंडल के व्यक्ति को बिठा दें और तब इस पर निर्णय लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं अब किसी को भी समय नहीं दूंगा कोई खास बात नहीं कहनी है । आप सब बैठें ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष जी, रामस्वरूप वर्मा जी ने एक प्रश्न आज सदन में उठाया है, कल शाम के समय आपने जो एक रूलिंग दी उस पर पुनर्विचार के लिए। मान्यवर, कल जब उक्त प्रश्न इस सदन में काफी देर तक लम्बित रहा और काफी चर्चा हुई, तो सदन का हर सदस्य उससे उद्वेलित था ।

मान्यवर, सभी ने एक स्वर से इस बात को स्वीकार किया और चिन्ता व्यक्त की कि आपको अवमानना हुई है । आज भी हम सभी इस बात को मानते हैं, शायद काशी नाथ मिश्र न मानें, वह हमेशा [×××] रहे हैं । शायद वह इसका पार्ट अदा कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, इसको निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें । मैं इन शब्दों को निकाल दूंगा ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । हमारा नाम लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ने काशी नाथ मिश्र जी को जो [×××] कहा, तो उनको मैं नहीं मानता हूं । इसको मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, इन पर 307 का मुकदमा चला है। मैं 307 का मुलजिम कभी नहीं रहा। राजेन्द्र सिंह जी 307 के मुलजिम रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

वह असत्य है। मुझ पर कभी कोई मुकदमा नहीं चला है। यह असत्य है। मान्यवर, मैं अपने विषय पर आता हूं। कल सभी माननीय सदस्य उद्वेलित थे। हमारे एक साथी ने कहा कि कमरे में बात हुई, समझौता हुआ। मैं उसमें था। मेरा फर्ज था। आपने देखा कि जब हमारे अधिष्ठाता महोदय ने रूलिंग नहीं दी तो सदन नहीं चला सिर्फ इसी बात पर कि पहले निर्णय होगा फिर सदन चलेगा। और सदन सवा पांच बजे से चला। उसके बाद बैठकर बातचीत हुई। मैं फिर कहता हूं कि हमने प्रयास किया कि निर्णय देने के लिए अधिष्ठाता महोदय ही जायं। उसके बाद आप यहां पर आए। कम से कम मैं, भोखा लाल जी और रियासत हुसैन साहब बार-बार इस बात को कह रहे थे कि आप न जायं इसका निर्णय अधिष्ठाता महोदय से दिलवायें। लेकिन हम चुप होकर चले आये जब यह निर्णय हुआ कि आप यहां आयेंगे।

मैं फिर कहता हूं कि सदन की अवमानना हुई है। जब माननीय नेता सदन ने यहां पर अपनी बात कही तो पूरा सदन उद्वेलित हो गया था। आपने एक निर्णय दिया जो इतनी जल्दी में दिया और भावावेश में दिया कि मैं उसको सुन नहीं पाया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं कि अगर सदन की भावनाओं को न मानते हुए, उससे हटकर अगर हमने निर्णय किया तो मैं इसकी क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। सदन की भावना सर्वोपरि है, सदन की भावना के अनरूप कार्य होना चाहिये। अगर कल सदन की भावनाओं के विपरीत कुछ निर्णय हुआ है तो मैं फिर कहता हूं कि मैं इस सदन से क्षमा मांगता हूं, सदन की भावना सर्वोपरि है।

श्री काशी नाथ मिश्र--

वोटिंग करा लीजिये।

एक सदस्य [×××]

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, वोटिंग हो जाय। बिना वोटिंग के सदन नहीं चलेगा।

श्रीमती महारानी दोहरे--

वोटिंग करा लीजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जो कुछ मेरठ में हुआ वह समाचार पत्रों में नहीं आया है।

(व्यवधान)

श्रीमती महारानी दोहरे--

वोटिंग होनी चाहिए।

(घोर व्यवधान) (कई सदस्य खड़े हो गए।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिए। कृपया आप लोग बैठिए।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, वोटिंग करा लीजिए।

(व्यवधान)

श्रीमती महारानी दोहरे--

मान्यवर, वोटिंग करा लीजिए।

(व्यवधान)

नोट :--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, वोटिंग करा लीजिए।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे, और घोर व्यवधान होने लगा ।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री बिहारी लाल--

[× × ×]

(व्ययधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । कोई शब्द नहीं लिखा जायगा । आप लोग बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि जो कुछ घटना यहां पर हुई, वह किसी प्रेस के माध्यम से नहीं आई । लेकिन वह बात हम लोगों के बीच में इतनी तेजी से आई, जैसे किसी ने टेलीफोन किया हो...

(घोर व्यवधान)

(पक्ष एवं विपक्ष, दोनों तरफ के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने के कारण घोर व्यवधान होने लगा ।)

(श्री विजय सिंह रोना, श्री राम स्वरूप निम, श्री किरन पाल सिंह तथा अन्य कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर चिल्लाने लगे ।

(घोर व्यवधान)

नोट :--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के स्थगित करता हूं ।

(इस समय 2 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई ।

2 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे और स्थगित किए जाने की सूचना दी ।

2 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सदन की कार्यवाही 15 मिनट और स्थगित किए जाने की सूचना सदन को दी ।

3 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है ।

3 बजकर 15 मिनट पर सदन का स्थगन आधे घंटे बढ़ाए जाने की सूचना पुनः डिप्टी मार्शल द्वारा दी गयी ।

3 बजकर 45 मिनट पर पुनः डिप्टी मार्शल ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे और स्थगित किए जाने की सूचना सदन को दी ।

4 बजकर 15 मिनट पर सदन का स्थगन आधे घंटे और बढ़ा दिए जाने की सूचना डिप्टी मार्शल द्वारा दी गयी ।

4 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है ।

5 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः 5 बजकर 30 मिनट तक सदन के स्थगन की सूचना दी ।

तदुपरान्त 5 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अध्यक्ष के सभापतित्व मे पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष--

जिलाधिकारी, मेरठ से मुझ एक पत्र प्राप्त हुआ है । माननीय अध्यक्ष

जब आप मेरठ आए थे तो मुझसे जो कुछ भी जान-अनजान में गलती हुई उसके लिए हम खेद प्रकाश करते हैं। मेरी कोई मंशा आपकी अवमानना की नहीं थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं।'

श्री हुकुम सिंह--

आप यह क्या कर रहे हैं ?

श्री विद्यासागर नौटियाल के निलम्बन का प्रस्ताव

(विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर व्यवधान करने लगे।)

श्री किरन पाल सिंह--

हम बन्द कोठरी का फैसला नहीं मानेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग अपने स्थान पर वापस जायें। माननीय विद्यासागर नौटियाल आप अपने स्थान पर वापस जायें।

(श्री विद्यासागर नौटियाल के अपने स्थान पर वापस न जाने पर)

मैं श्री विद्यासागर नौटियाल को इंगित करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री विद्या सागर नौटियाल को सदन से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री विद्यासागर नौटियाल को सदन से निलम्बित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 33-पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्य पाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33-पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 97,63,95,000 रुपये से अनधिक धन-राशि स्वीकृत की जाये।

श्री किरनपाल सिंह के निलम्बन का प्रस्ताव

श्री किरनपाल सिंह--

डायरी राइटर की टेबिल के निकट आकर 'अध्यक्ष, इस्तीफा दो'। अध्यक्ष, इस्तीफा दो के नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय किरनपाल सिंह, आप अपने स्थान पर वापस जाइये।

(श्री किरनपाल सिंह के अपने स्थान पर वापस न जाने पर)।

मैं श्री किरनपाल सिंह को इंगित करता हूं।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री किरन पाल सिंह को सदन से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री किरनपाल सिंह को सदन से निलम्बित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

(सदन के मध्य खाली स्थान पर खड़े सदस्यों से)

आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जांये । क्या कोई कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है ? नेगा जी, आप कटौती का प्रस्ताव पेश करें ।

(समस्त विरोध पक्ष के सदस्य खड़े होकर एक साथ बोल रहे थे)

श्री अध्यक्ष द्वारा व्यवधान के मध्य पढ़े गये पत्र व कार्य सूची की मद संख्या 3 के बाद मद संख्या 24 लिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

*श्री रियासत हुसैन--

मैं आपकी व्यवस्था यह चाहता हूं कि इस माननीय सदन के सामने आप साढ़े पांच बजे निश्चित समय पर आये । आपने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया जब कि पूरे सदन में व्यवधान हो रहा था । आपने क्या पढ़ा, हम लोग कुछ नहीं सुन पाये । इतना व्यवधान हो गया था कि हाउस के वेल में लोग चले गये । माननीय सदन को मालूम नहीं कि आप क्या चीज पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं । यह इस माननीय सदन का अधिकार है कि चेयर से आप जो भी सुनायें जो आपका भी अपना अधिकार है, वह कम से कम इस सदन को मालूम हो जाय कि आप क्या चीज रख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदन के सम्मुख पढ़ देता हूं..

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे और सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया, जिससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका ।)

श्री मोहन सिंह--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

*श्री मोहन सिंह--

मैं व्यवस्था का प्रश्न यह उपस्थित कर रहा हूं कि आज जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यसूची है, जो एजेन्डा है उसमें तीसरे नम्बर की मद के बाद आपने 24वें नम्बर का जो कार्यसूची में विषय है उसको ले लिया और बाकी को मुल्तवी नहीं किया । दूसरी बात यह है कि जो एक प्रकरण विधान सभा के समक्ष विचाराधीन था और वह यह था कि आपके सम्बन्ध में एक औचित्य का प्रश्न कल उपस्थित हुआ था और आज भी उपस्थित हुआ कि जो जिलाधिकारी मेरठ और एस० एस० पी० मेरठ ने आपका अपमान किया उसके सम्बन्ध में आपने अपनी तरफ से कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यवस्था नहीं दी। हम लोगों की तरफ से जो औचित्य का प्रश्न आया था वह विषय आपसे सम्बन्धित था, आपने उस प्रकरण पर अपना तरफ से उसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जब कि मान्यता यह है कि सदन की जो समितियां हैं उनके अ प सर्वोच्च हैं, वह आपके अधीन हैं, नीचे हैं। चूंकि आपसे सम्बन्धित प्रकरण था इसलिये कैसे आप वहां अपना बयान प्रस्तुत करने के लिये जायेंगे, यह बिन्दु उठा था। इस पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी और 24वें नम्बर एजेन्डे के, को ले लिया। हम अब यह कहने के लिये मजबूर हैं कि इस सदन का अपमान जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 ने किया या नहीं किया, यह अपमान सदन का आपने किया है...

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(हाथ हिला कर) मैंने नहीं किया है।

(विरोध पक्ष के सदस्य एक साथ खड़े होकर कहने लगे——आपने किया है। और सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आज सुबह एक औचित्य का प्रश्न माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने उठाया था जिस पर कल भी बहस हुई थी। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, जो बातें बोली जा चुकी हैं। उन बातों के ऊपर अभी माननीय मोहन सिंह जी ने भी प्रकाश डाला। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चीज दो दिन से चल रही थी आपने अपने चेम्बर में जो कुछ एक्सरसाइज की, इस सदन का अपमान करने की जिम्मेदारी आप पर है..

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कोई आक्षेप नहीं करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष——

यह नहीं लिखा जायेगा। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो आप बोल रहे हैं वह आक्षेप है। यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(श्री मुख्तार अनीस का नाम पुकारे जाने पर विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े हो कर एक साथ बोलने लगे और सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री मुख्तार अनीस——

माननीय, मेरा कहना यह है कि.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष——

आप लोग बैठिये। शांत रहें।

*श्री मुख्तार अनीस——

माननीय, विधान सभा के अंदर, जो मेरठ के एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 ने आपके साथ व्यवहार किया उस पर

नोट——(××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल और आज जो प्रश्न उठे उसमें सारे सदन ने इस बात को स्वीकार किया कि आपकी कुर्सी सर्वोच्च है, आपका अपमान सदन का अपमान है। कल और आज भी सत्तारूढ़ दल ने महसूस किया कि उन्होंने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया। आज जिस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी पक्ष की ओर से आप पर अनुचित दबाव पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष--

मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

इसीलिये प्रस्ताव किया है कि एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 ने जो सूचनायें भेजी और जो इस सदन में दी गयी हैं वह भ्रामक हैं, इसके लिये आप क्षमा याचना करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था और सदन की भावनायें आपने देखा कि सारा सदन इस बात में उद्वेलित था कि औचित्य का प्रश्न सही है और उसमें आपको व्यवस्था देना था कि जब तक हमारे बारे यहां चर्चा होगी तब तक सदन में नहीं बैठेंगे और जब निर्णय हो जायेगा तब आयेंगे और निर्णय हुआ नहीं और आप आ गये। तो इस पर आप व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, इसकी आज्ञा मैं नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

मैं निर्णय देने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल के अलावा अब मैं किसी को आज्ञा नहीं दूंगा। आप लोग बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल औचित्य का प्रश्न श्री राम स्वरूप वर्मा ने उठाया था जो कल के प्रकरण के संबंध में था। कल से इस समय तक 10 घंटे इसमें सदन के बेकार हो गये। इस लिये कि यह पूरा सदन पीठ की इस मर्यादा की रक्षा करना चाहता है। लेकिन आपके ऊपर आक्षेप ना करते हुए कहना चाहता हूं...।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं निर्णय दे रहा हूं। आप बैठें। आप लोग बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि नियमावली के नियम 110 (6) को देखें जिसके अनुसार किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव, बिना सूचना के यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें तो प्रस्ताव, किया जा सकता है। आपको जो कार्य सूची उसके ऊपर जो आइटम्स हैं, जैसा मोहन सिंह जी ने कहा है कि आइटम्स 6, 7, 8, 9 आदि को विद्ड्रा करने का नियम 110 में कोई प्रस्ताव नहीं आया है और सदन से कोई परमीशन नियम 110(6

के अन्तर्गत नहीं सोक की गयी कि यह जो बिजनेस है उसको स्थगित करते हैं और आइटम 24 जो लिया है उसको लेते हैं, तो इस तरह का कोई प्रस्ताव सदन में नहीं आया है । इसलिए आइटम नं0 24 को आप कैसे लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बैठें आप लोग, अब मुझे निर्णय देने दीजिए । मैंने माननीय सदस्य को सुना, म सबको सुनना चाहता हूं । जहां तक औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने उस पर जो कल निश्चय कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको देखा है ।

(व्यवधान)

जहां तक रामस्वरूप वर्मा जी का सम्बन्ध है, मेरे कक्ष में अन्य नेताओं की बैठक के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, कल ही उस पर व्यवस्था सदन में दे दी है ।

(घोर व्यवधान)

अध्यक्ष के निर्णय पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती है । अतएव जहां तक औचित्य का प्रश्न है, मैं इसको अस्वीकार करता हूं । यह सदन नियमित रूप से चल रहा है और आप सदस्य वेल आफ दि हाउस में आ जायेंगे तो उससे सदन की कार्यवाही अनियमित नहीं होती ।

(घोर व्यवधान)

इसलिए मैं औचित्य का प्रश्न अस्वीकार करता हूं । आप नियम 313 को देखें, जो आइटम हमने नहीं लिये हैं उनको बाद में लिया जा सकता है, लिया जाएगा और जो 313 में मुझे अधिकार हैं, उसको आगे पीछे लेने का

(व्यवधान)

जहां तक उस पत्र का सम्बन्ध है, मैं उसे पुनः पढ़े देता हूं । डी0 एम0 मेरठ और एस0 एस0 पी0 को जो बात है ।

(घोर व्यवधान)

यह मुझको जो पत्र लिखा गया है, उसको सुन लीजिए--

"माननीय अध्यक्ष,

जब आप मेरठ आये थे तो मुझसे जो कुछ भी जान-अनजान में गलती हुई, उसके लिए हम खेद प्रकाश करते हैं । मेरा कोई मंशा आपकी अवमानना का नहीं था । मैं क्षमा प्रार्थी हूं ।

ह0 । आई0 पी0 भटनागर

एस0 एस0 पी0, मेरठ,

5.45 पी0 एम0,

17-4-1984

ह0 टी0 जार्ज जोसेफ

जिलाधिकारी, मेरठ ।

(घोर व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसको मैं लिखने की इजाजत नहीं देता हूं ।

नोट :--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री चन्दन सिंह, श्री धनीराम वर्मा तथा श्री हरगोविन्द वर्मा के निलम्बन के प्रस्ताव

(श्री विद्या सागर नौटियाल एवं विरोध पक्ष के अनेक सदस्य वेल आफ दि हाउस मे आ गये और व्यवधान करते रहे ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नौटियाल जी आप सदन छोड़िये, आप निलम्बित हो चुके हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो भी सदस्य बोल रहे हैं, नियम के विरुद्ध बोल रहे हैं, वह कुछ नहीं लिखा जा सकता ।

(श्री विद्या सागर नौटियाल को डिप्टी मार्शल अपने गार्ड्स की सहायता से सदन से बाहर ले जाने का प्रयास करते रहे ।)

(श्री चन्दन सिंह व श्री धनीराम वर्मा आकर डायरी-राइटर की मेज पर एक साथ लम्बे-लम्बे लेट गये और कुछ बोलते रहे ।)

श्री अध्यक्ष--

श्री चन्दन सिंह व श्री धनीराम वर्मा सदन छोड़ें ।

(उनके द्वारा सदन न छोड़ने पर)

मैं श्री चन्दन सिंह को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री चन्दन सिंह को सदन से निलम्बित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री चन्दन सिंह को सदन से निलम्बित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं श्री धनीराम वर्मा को इंगित करता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री धनीराम वर्मा को सदन से निलम्बित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री धनीराम वर्मा को सदन से निलम्बित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(कई सदस्य रिपोर्टर्स-टेबुल पर आकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष--

मैं श्री हरगोविन्द वर्मा को इंगित करता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरगोविन्द वर्मा को सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री हरगोविन्द वर्मा को सदन से निलम्बित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय शंकर सिंह, माननीय किरनपाल सिंह, कृपया आप अपने स्थान पर जायं अथवा सदन छोड़ें ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय राना जी, आप सदन छोड़िये ।

श्री विजय सिंह राना—

आप इस्तीफा दें ।

श्री अध्यक्ष—

कोई धमकी नहीं चलेगी । मैंने बड़ा जमाना देखा है । आप सदन छोड़िये या अपने स्थान पर जाइये ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय किरनपाल सिंह या तो बैठिये या सदन छोड़िये ।

माननीय सरदार सिंह जी, या तो सदन छोड़ें या बैठें ।

माननीय नरेन्द्र सिंह, माननीय जाफरी या तो बैठिये या सदन छोड़िये ।

(शोर)

माननीय शंकर सिंह, माननीय किरनपाल सिंह आप अपने स्थान पर जायं या सदन छोड़िये ।

(घोर व्यवधान)

आप लोग कृपया सदन छोड़िये । माननीय किरनपाल सिंह, आप निलम्बित हो चुके हैं इसलिए सदन छोड़िये ।

(घोर व्यवधान)

(श्री शंकर सिंह, श्री मसरूर जाफरी, श्री किरनपाल सिंह तथा अन्य कई विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने नारा लगाया—"माननीय अध्यक्ष इस्तीफा दें ।")

1984–85 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग (क्रमागत:)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 97,63,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान)

अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग, अनुदान संख्या 46—वन विभाग, तथा अनुदान संख्या 80—स्पोर्ट्स विभाग

वन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,58,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,90,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,69,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46--वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,09,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80--स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,27,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

(घोर व्यवधान)

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव रखने के लिए खड़े न होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,58,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,90,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,69,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46--वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,09,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80 -स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,27,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति†

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 31 मार्च, 1983 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या विकास खंड 2-625/दस-6(14)-80-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-83, दिनांक 31 मार्च, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लि0, चुर्क (मिर्जापुर) का वार्षिक प्रतिवेदन 1977-78††

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनमति से उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि0 चुर्क, (मिर्जापुर) का वार्षिक प्रतिवेदन 1977-78 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

अल्पसंख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश की द्वितीय रिपोर्ट वर्ष 1975-76†

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश की द्वितीय रिपोर्ट वर्ष 1975-76 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 1979-80 के लेखे एवं वार्षिक रिपोर्ट, 1980-81†

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 1979-80 के लेखे एवं वार्षिक रिपोर्ट 1980-81 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की धारा 26-ए की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का 1982-83 का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां)††

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1982-83 का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन††

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की

†छापी नहीं गयी ।

†† छापा नहीं गया ।

प्रतिनिहित विधायन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का पंचम प्रतिवेदन

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का षष्ठम प्रतिवेदन

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का षष्ठम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति (1983-84) का प्रथम प्रतिवेदन

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) का प्रथम प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) 1975-76, 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित हैं, प्रस्तुत करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश अष्टम, विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1983-84) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) 1975-76, 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चलचित्र निगम से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित हैं, प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मैं दिनांक 17 अप्रैल तथा 18 अप्रैल, 1984 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश को सूचना सदन को देता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 अप्रैल, 1984 की बैठकों में यह सिफारिश की है कि विधान सभा के दिनांक 17 अप्रैल तथा 18 अप्रैल, 1984 के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में निम्नलिखित संशोधन कर लिये जायं :--

1--दिनांक 17 अप्रैल, 1984 को निम्नलिखित अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान हो--

(क) अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग--आधा दिन ।

(ख) अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग--आधा दिन ।

छापा नहीं गया ।

अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)—आधा दिन ।

अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग—आधा दिन ।

अनुदान संख्या 46—वन विभाग—आधा दिन ।

अनुदान संख्या 80—स्पोर्ट्स विभाग—आधा दिन ।

2—दिनांक 18 अप्रैल, 1984 को पूर्व निर्धारित कार्यों के उपरान्त निम्नलिखित कार्य लिए जायं—

(क) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधन पर विचार—आधा घंटा ।

(ख) उत्तर प्रदेश श्री बद्री नाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण—आधा घंटा ।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों को उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार एवं उसका पारण—आधा घंटा ।

3—दिनांक 16 अप्रैल, 1984 के लिए निर्धारित वक्तव्यों को दिनांक 18 अप्रैल, 1984 को रखा जाय ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधायक, 1983 को वापस लिए जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 12 सितम्बर, 1983 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 12 सितम्बर, 1983 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और

†दिनांक 25 अप्रैल, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्य —

अब हम उठते हैं, कल प्रातः 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 7 मिनट पर, अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव,

विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :

17 अप्रैल, 1984

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 10 पर ।)

मांग-पत्र

1--श्रमिकों के नवम्बर माह के वेतन का भुगतान आपने 21 दिसम्बर के बाद किया, जो एकदम अनुचित एवं अवैधानिक है । भविष्य में प्रत्येक माह के वेतन का भुगतान हर स्थिति में अगले माह की 7 तारीख तक अवश्य हो जाये ।

2--श्रमिकों को सत्र 82-83 का बोनस एवं रिटेनिंग का भुगतान 15 जनवरी तक किया जाय ।

3--प्रत्येक श्रमिक को वेतन भुगतान के पूर्व वेज स्लिप अवश्य दिया जावे ।

4--गन्ना विभाग के कार्यरत श्रमिकों को ओवर टाइम ड्यूटी के बदले छुट्टी देने की प्रथा समाप्त कर ओवर टाइम का भुगतान किया जाय ।

5--समस्त श्रमिकों को (विशेष कर गन्ना विभाग के श्रमिकों) को प्राविडेन्ट फन्ड की वर्ष 1982-83 तक की रसीद दिया जाये । रसीद न मिलने के कारण आशंका है कि पिछले 3 वर्षों का प्राविडेन्ट फन्ड जमा नहीं किया गया है ।

6--गन्ना क्रय केन्द्रों पर कार्यरत चौकीदारों को सीजनल श्रमिक माना जाय और उसी अनुसार उन्हें सुविधायें दी जायें ।

7--समस्त श्रमिकों को कारखाने के स्थायी आदेश के अनुसार सर्विस-बुक एवं टिकट अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय ।

8--मिल में श्रमिकों से प्रबन्धकगण अपनी इच्छानुसार अलग-अलग स्थानों पर कार्य कराते हैं । यह प्रथा अत्यन्त अनुचित है । मिल में प्रत्येक विभाग में कार्यरत श्रमिकों का पदनाम सुनिश्चित किया जाय ।

9--मिल के अन्दर स्थान रिक्त होने पर डोगा पर कार्यरत श्रमिकों को कार्य दिया जाय ।

10--भीषण ठण्ड में डोगा पर कार्यरत श्रमिकों, फिटरों, प्रेस व सेन्ट्रीफ्यूगल एवं पैन पर कार्यरत सभी मजदूरों को अविलम्ब वर्दी दिया जाय ।

11--एवज के समस्त श्रमिकों को कार्य पर लिया जाय ।

12--मिल के समस्त सिपाहियों को ऊनी वर्दी एवं जूता दिया जाय ।

13--मिल में पट्टे बिना कवर के खुले चलते हैं जिसके कारण कार्यरत श्रमिकों को चोट लगने का भय रहता है । मिल में पट्टों को कवर करने की व्यवस्था की जाय ।

14--मिल के ब्वायलर में इस वर्ष दो श्रमिकों के जलने से हुई मृत्यु के बाद भी प्रबन्धकगण श्रमिकों की सुरक्षा में पूर्ण रुचि नहीं ले रहे हैं । ब्वायलर इंचार्ज भी पूरे नहीं हैं । ब्वायलर इंचार्जों की संख्या पूरी की जाय ।

15--श्रमिकों को ड्यूटी हेतु असमय आना जाना पड़ता है । रास्ते म पुलिस कर्मी श्रमिकों से पूछ-ताछ करते हैं जिसके कारण श्रमिक परेशान होते हैं इस परेशानी को दूर करने हेतु प्रत्येक श्रमिक को परिचय-पत्र दिया जाय ।

16--मिल के अस्पताल में स्टाफ अपूर्ण है । श्रमिकों को समय से प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं होती है । अस्पताल में कम्पाउन्डर, वार्ड ब्वाय, नर्स व सफाई कर्मचारी की नियमानुसार नियुक्ति की जाय हर समय अस्पताल पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाय ।

17--मिल के प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जाय क्योंकि छात्रों के अनुपात में अध्यापक कम हैं ।

18--श्रमिकों का विश्राम गृह अत्यन्त छोटा है । प्रबन्धकगण वर्षों से विश्राम गृह के एक भाग को गोदाम बनाकर किराये पर दिये हुए हैं । परिणामस्वरूप रात को विश्राम गृह में रहने वाले श्रमिक जानवर से भी बदतर दशा में रहते हैं । श्रमिकों हेतु विश्राम गृह की व्यवस्था अविलम्ब कराई जाय ।

19--मिल के अन्दर श्रमिकों के लिए शौचालय अत्यन्त टूटी-फूटी एवं गन्दी अवस्था में हैं जिसके कारण कुछ शौचालय उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं । समस्त शौचालयों को अविलम्ब ठीक कराया जाय तथा प्रत्येक शिफ्ट में एक स्वीपर की व्यवस्था करायी जाय ।

20--मिल के श्रमिकों हेतु कैन्टीन की व्यवस्था नहीं है । श्रमिकों को लागत मूल्य पर चाय, नाश्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रबन्धकगण को प्राफिट को लास पर कैन्टीन चलाने की व्यवस्था करें ।

21--श्रमिकों के क्वार्टर अत्यन्त जीर्ण अवस्था में हैं । नाली आदि की समुचित व्यवस्था न होने के कारण क्वार्टर के आंगनों में पानी भरा रहता है । क्वार्टर के रख-रखाव पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है । क्वार्टरों के मरम्मत एवं नाली का प्रबन्ध अविलम्ब किया जाय ।

22--गन्ना क्रय केन्द्रों एवं गेट पर गन्ना तौल करने वाले लिपिकों से केन्द्रों की व्यवस्था एवं देख भाल का भी कार्य लिया जा रहा है, जो अत्यन्त ही अनुचित है । प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर केन्द्र इंचार्ज रखा जाये और क्रय केन्द्रों पर कार्यरत मजदूरों को सेन्टर एलाउन्स दिया जाय ।

23--गन्ना क्रय केन्द्रों पर कार्यरत श्रमिकों से 8 घंटे की ड्यूटी ली जाय और अधिक कार्य लेने पर ओवर टाइम का भुगतान किया जाय । साथ ही इन श्रमिकों को सीजनल परमानेन्ट श्रमिक का दर्जा दिया जाय ।

24--गन्ना क्रय केन्द्रों के बन्दी का दिन निश्चित किया जाय ताकि कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश प्राप्त हो सके ।

25—गन्ना विभाग में सभी गन्ना प्रचारकों की भांति बचे हुये गन्ना प्रचारकों को लिपिक बनाकर उनसे तदनुसार कार्य लिया जाय ।

26—वाह्य क्रय केन्द्रों पर ट्रक पर लदाई का कार्य करने वाले श्रमिकों को वेतन का भुगतान नहीं करके प्रबन्धकगण उस कार्य को ठेकेदारी द्वारा किया हुआ दिखलाकर फर्जी ठेकेदारों को खड़ाकर श्रमिकों का भुगतान करते हैं जो पूर्णतया अवैध है । वाह्य क्रय केन्द्रों पर लदाई व उतराई के श्रमिकों को मिल सीधे वेतन भुगतान करे ।

27—मिल के मुख्य रसायनज्ञ (वी० यन० सहाय) मजदूरों को बात-बात में गन्दी से गन्दी गाली बकते हैं । मिल मालिकान पर अपने प्रभाव के बारे में श्रमिकों के मध्य अनर्गल प्रलाप कर आतंकित करने की चेष्टा करते हैं । श्री सहाय श्रमिकों के साथ अपना व्यवहार सामान्य रखें अन्यथा उन्हीं की भाषा में श्रमिक भी उत्तर देने को बाध्य होंगे ।

28—मिल के अन्दर ठेकेदारी प्रथा समाप्त किया जाय ।

29—मिल के वह श्रमिक जो मिल बन्दी के दौरान कार्य करते हैं उन्हें स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाय ।

30—मन्दिर के दोनों पुजारियों को ग्रेड दिया जाय ।

परिशिष्ट "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर ।)

गाड़ी संख्या	परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित मूल्य (रुपये में)	सरकारी विभाग, जिन्हें हस्तांतरित की गयी
1—यू0 टी0 टी0—6249	15,000	राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2—यू0 टी0 टी0—5821	17,000	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3—यू0 टी0 टी0—5814	17,500	तदेव
4—यू0 टी0 टी0—5806	16,000	तदेव
5—यू0 टी0 टी0—5824	16,000	तदेव
6—यू0 टी0 टी0—5811	17,000	तदेव
7—यू0 एस0 एस0—9902	6,000	तदेव
8—यू0 टी0 टी0—6245	17,500	तदेव
9—यू0 टी0 टी0—6244	8,000	तदेव
10—यू0 टी0 टी0—3961	16,000	तदेव
11—यू0 टी0 टी0—6242	15,000	तदेव

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर ।)

मांगों की सूची

1—पचरुखा–करकोलघाट मार्ग ।

2—विशुनपुर कला दुशहरी मार्ग वाया महुआपाटन मार्ग ।

3—नारायनपुर नगवा इकौना मार्ग ।

4—परसिया परसिया गुलाली असना मूनखार मार्ग ।

5—बेल्डाड–देवरिया मार्ग ।

6—पैना गडना मार्ग ।

7—भाटपार रानी टीकमपार मार्ग ।

8—महुआपाटन रामपुर अवस्थी मार्ग ।

9—महेन से महेनघाट मार्ग ।

10—पडरी से झिल्लीपार मार्ग ।

11—भटनी–भिंगारी मार्ग ।

12—इन्दूपुर लपकनी मार्ग ।

13—मझौली–सोहगरा मार्ग ।

14—ककवल खैरा बनुआ सोहता का शेष भाग ।

15—सिरसिया–गोरयाघाट मार्ग ।

16—सलेमपुर–चेरो मार्ग ।

17—देवरिया–छितही–राम लक्षन मार्ग ।

18—बैकुन्ठपुर–पडरी माग ।

19—धूसवा सिसवा मार्ग ।

20—रतसिया टिकमपार मार्ग ।

21—बगरा बाजार पडरी घाट मार्ग ।

22—सोहनपुर से बनकटा मार्ग बनकटा विकास खंड तक ।

23—जमुआ मगहरा मार्ग ।

24—गुठनी बरहज–रुद्रपुर मार्ग पर बरहज बाईपास ।

25—देवरिया कसया मार्ग कि0 मी0 24 में बेसई–देवरिया माग ।

26—महुआ पाटन करोदी मार्ग ।

27—बगरा पडरी मार्ग ।

28--हाटा-गौरी बाजार मार्ग ।

29--हाटा--रुद्रपुर मार्ग (गौरी-रुद्रपुर) ।

30--करुअना-परसिया मार्ग ।

31--रुद्रपुर-पिंडराघाट मार्ग ।

32--मझौली-सेरवा मार्ग ।

33--भाटपार मझौली मार्ग ।

34--हेतिमपुर-मधुआडीह मार्ग ।

35--बैजनाथपुर-बेतालपुर देसई देवरिया मार्ग ।

36--बरहज-रुद्रपुर मार्ग ।

विधान सभा

अनुबंध "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

संलग्नक

श्री रसीद पुत्र श्री इमामुद्दीन तथा उनके तीन अन्य साथी, निवासी चुड़ियाला, थाना भगवानपुर, जिला सहारनपुर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अधीन निरुद्ध करने के आधार ।

दिनांक 15 जून, 1983 को ग्राम चुड़ियाला, थाना भगवानपुर, जनपद सहारनपुर में श्री रशीद अपने अन्य मुस्लिम साथी सर्वश्री आबिद पुत्र अजीम बख्श, बशीर पुत्र अजीम बख्श तथा जिन्दा हसन पुत्र मोहम्मद, निवासी ग्राम चुड़ियाला के साथ मिलकर मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिये तथा साम्प्रदायिक बलवा कराने के लिये उकसाया और जगदीश, ओंकार आदि हिन्दुओं को जान से मारने की धमकी दी जबकि पूर्व से ही क्षेत्र में मस्जिद बनाने के सम्बन्ध में साम्प्रदायिक तनाव चल रहा था । इस प्रकार आपने उस क्षेत्र में साम्प्रदायिकता फैलायी जिससे क्षेत्र में लोक व्यवस्था के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर ।)

नकल चिक नं0 103 द0 पु0 मु0, अ0 सं0 148/483 धारा 302/201 भा0 दं0 वि0, थाना मुण्डेरवा, जनपद बस्ती

ता0 समय घटना—अज्ञात

ता0 समय सूचना 5 जुलाई, 1983 समय 11-25 ।

नाम पता वादी—श्री अर्जुन पांडे, सा0 तेनुहारी हाल मुकाम, उमिला थाना मुण्डेरवा, जनपद बस्ती ।

नाम पता मुलजिम—अज्ञात

नकल तहरीर हिन्दी वादी

दिनांक 5 जुलाई, 1983 श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय, मुण्डेरवा बस्ती निवेदन है कि मैं घर से मुण्डेरवा जाते समय ज्यों ही काठधीश तिराहे पर पहुंचा कि कटे तिराहे से करीब 1 कि0 मी0 पश्चिम समय मां के स्थान से करीब 200 गज पश्चिम बाद मौजा उमिला के सामने दक्षिण तरफ गोरखपुर से बहराइच की तरफ जाने वाली सड़क यल0 आर0 पी0 रोड के दक्षिण तरफ गड्ढे में काफी भीड़ नजर आई है मैं भी देखने के लिये पहुंच गया गड्ढे में एकत्र पानी के अन्दर एक लाश जिस पर काफी ताजे चोटों के निशान पड़े हैं चोटों को देखने से लगता है कि मृतक को कहीं से लाकर हत्या कर गड्ढे के पानी में छिपा दिया गया है लाश के सामने सड़क के दक्षिणी पटरी पर खून भी पड़ा है पास ही किसी छोटी गाड़ी के पहिये का निशान मौजूद है उपस्थित लोगों में से किसी ने भी मृतक के सकूनत के विषय में कोई तथ्यपूर्ण बात नहीं बताई । मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि आप आवश्यक कार्यवाही करें । लेखक अर्जुन पांडे, ग्राम तेनुहारी, हाल मुकाम, उमिला थाना मुण्डेरवा, बस्ती लेखक बाल कृष्ण उपाध्याय कां0 ता0 5 जुलाई, 1983 ।

नोट—नकल मुताबिक असल है । ह0 अस्पष्ट 6 जनवरी, 1984 ।

परिशिष्ट 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर।)

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम कुसमौरी, विकास खण्ड मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 1983-84 में किये गये मुख्य-मुख्य कार्यों का विवरण :

1—260 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया गया। एक राजकीय नलकूप स्थापित किया गया।

2—एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत 7 परिवारों को लाभान्वित कराया गया जिन्हें 49 हजार रुपया ऋण वितरित किया गया तथा 9.6 हजार रुपया अनुदान दिया गया।

3—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 625 रोजगार मानव दिवस सृजित किये गये तथा 22 हजार रुपया व्यय किया गया।

4—11 सीलिंग भूमि आवंटियों को 8.7 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।

5—वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 हजार वृक्ष लगाये गये।

अनुबंध "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

वर्ष 1978 के स्वीकृत मार्ग का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, की संलग्न सूची :

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम
1	कुवारी-सोनाडीह ।
2	बलराई-पुराघाट ।
3	लाट घाट-नरहन खास ।
4	अमिला-बरिगाह ।
5	अलीनगर-हथनी ।
6	रौनापार-अमिला ।
7	भीमवर-बाजार गोसाई ।
8	परशुरामपुर-सरवहां शंकरपुर ।
9	आजमगढ़-शहरवाई पास ।
10	बेंगहां-विश्वल जैराजपुर ।
11	परशुरामपुर-जैराजपुर ।
12	सिकन्दरपुर-नरियांव ।
13	मेहनगर-जिगनी ।
14	कोडला-मंगरावां ।
15	देवगांव-बसहीं सलीमपुर ।
16	मुड़हर-चिरकिट ।
17	छतवारा देवहित-मेहमगर ।
18	रानी की सराय-अंबी ।
19	बीजापारा-सोहीपुर मार्ग ।
20	गम्भीरपुर-मोसड़ी मार्ग का छूटा भाग ।
21	सरायमीर-नन्दांव ।
22	फत्तनपुर-रानी की सराय ।
23	सरायमीर-दीनापार ।
24	फरीदाबाद से स्यामुद्दीन पट्टी ।
25	सरायमीर-नन्दांव-असारा ।
26	फूलपुर-निजामाबाद से दीनापार ।
27	मुडियार-दुर्वासा ।

नत्थी "ब"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 101 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर ।)

33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र बिलहरियागंज के उत्तरी फीडर पर विद्युत् आपूर्ति घंटों एवं मिनटों में माह अगस्त, 1983 ।

दिनांक	11 के0 वी0 उत्तरी फीडर में प्राप्त बिजली	33 के0 वी0 मेन से प्राप्त विद्युत्	कम विद्युत् आपूर्ति का कारण
1	2	3	4
1-8-83	8.05	8.05	
2-8-83	12.00	12.00	
3-8-83	10.00	10.00	
4-8-83	9.00	11.00	लाइन में खराबी थी ।
5-8-83	11.00	11.00	
6-8-83	10.25	10.25	
7-8-83	9.00	9.00	
8-8-83	7.00	10.10	तदेव
9-8-83	2.10	7.20	तदेव
10-8-83	2.45	2.45	
11-8-83	15.15	18.00	शिकायत दूर करने हेतु शटडाउन लिया गया लाइन में खराबी थी ।
12-8-83	5.00	9.20	
13-8-83	9.55	9.55	
14-8-83	6.25	12.45	शिकायत दूर करने हेतु शट डाउन लिया गया ।
15-8-83	0.30	23.05	ब्रेकर में खराबी के कारण ।
16-8-83	6.25	24.00	तदेव
17-8-83	9.50	9.50	

1	2	3	4
18-8-83	14.30	14.30	
19-8-83	9.50	9.50	
20-8-83	10.15	10.15	
21-8-83	8.25	8.25	
22-8-83	6.50	9.50	लाइन में खराबी थी ।
23-8-83	7.30	10.25	तदेव
24-8-83	6.30	10.00	तदेव
25-8-83	8.25	10.15	शिकायत दूर करने हेतु शट डाउन लिया गया ।
26-8-83	8.20	10.30	तदेव
27-8-83	10.05	10.05	
28-8-83	13.20	17.55	तदेव
29-8-83	10.40	10.40	
30-8-83	10.30	10.30	
31-8-83	10.15	10.15	

नत्थी "झ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 105 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर ।)

क्रम-संख्या	उपभोक्ता का नाम व पता	विद्युत् बकाये की वसूली के लिए कृत कार्यवाही
1	2	3
1	श्री रमेश चन्द्र, ग्राम खेड़ा धामपुर, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर बकाये की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जिला कलेक्टर के पास भेज दिया गया है ।
2	श्री मोहम्मद अख्तर, मेजर सराय, नहटौर, बिजनौर	तदेव
3	श्री गेन्दा सिंह, ग्राम नारायन खेड़ा, बिजनौर	तदेव
4	श्री ओम प्रकाश, ग्राम हावतपुर, बिजनौर	तदेव
5	श्री किशोरी सिंह, ग्राम खानां, बिजनौर	तदेव
6	श्री जसवन्त सिंह, ग्राम सब्दलपुर, बिजनौर	तदेव
7	श्री क्यामुद्दीन, क्रेन क्रेशर, रसूलाबाद, बिजनौर	तदेव
8	श्री नन्द किशोर, ग्राम इसमाइलपुर, चपरा, बिजनौर	विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
9	मेसर्स कुमार खाण्डसारी उद्योग, ग्राम महमूदपुर, बिजनौर	विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर वसूली प्रमाण–पत्र जिला कलेक्टर के पास बकाये की वसूली हेतु भेज दिया गया ।
10	मेसर्स राज शुगर वर्क्स, ग्राम जलीलपुर, बिजनौर	तदेव
11	श्री मोहम्मद शहिया खां, ग्राम स्याई, बिजनौर	तदेव
12	श्री अमीर अहमद, ग्राम मसीत, बिजनौर	तदेव
13	श्री सैय्यद वजीर हैदर, ग्राम गोयली, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर वसूली हेतु डिमान्ड नोटिस भेज दिया गया है ।
14	श्री रविनन्दन कविनन्दन, ग्राम रतनगढ़, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर वसूली प्रमाण–पत्र जिला कलेक्टर के पास बकाये की वसूली हेतु भेज दिया गया है ।
15	श्री शिव नाथ गुप्ता, मो0 अजमारदान, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर वसूली हेतु डिमान्ड नोटिस भेज दिया गया है ।
16	श्री सुरेन्द्र कुमार सचदेवा, नजीबाबाद, बिजनौर	इसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।
17	श्री शफीक अहमद, ग्राम महमूदपुर, कोतवाली, बिजनौर	विद्युत् विच्छेदन कर डिमान्ड नोटिस भेज दिया गया है ।
18	श्री हरपाल सिंह, ग्राम कीकड़, बिजनौर	भुगतान प्राप्त हो गया है ।
19	श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम शादीपुर, बिजनौर	वार्षिक गारन्टी द्वारा समायोजन कर भुगतान प्राप्त हो गया है ।
20	श्री सुन्दर लाल अग्रवाल, ग्रामगंज, बिजनौर	भुगतान प्राप्त हो गया है ।
21	श्री जगजीत सिंह, ग्राम झंडापुर, बिजनौर	तदेव

22	श्री कुलवीर सिंह, मौ0 चौदरीयान, झालू, बिजनौर	तदेव
23	श्री ओमपाल सिंह, ग्राम नांगलजट, बिजनौर	तदेव
24	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, ग्राम खानपुर, नांगलजट, बिजनौर	तदेव
25	मेसर्स वर्मा शूगर फैक्ट्री, दाऊदपुर, नजीबाबाद, बिजनौर	तदेव
26	श्रीमती सुशीला देवी, ग्राम गुनियापुर, बिजनौर ।	परिषद् द्वारा कोर्ट केस जीतने के बाद भुगतान प्राप्त हो गया है ।
27	श्री जफर अहमद, ग्राम करेन्दि, कोतवाली, बिजनौर ।	भुगतान प्राप्त हो गया है ।

वर्ष 1982

1	श्री रमेश चन्द्र, ग्राम सेडा, धामपुर, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर बकाये की वसूली हेतु वसूली प्रमाण–पत्र जिला कलेक्टर के पास भेज दिया गया है।
2	श्री मोहम्मद अख्तर, निजी सराय, नहटौर, बिजनौर	तदेव
3	मे0 खण्डसारी उद्योग, प्रो0 राम सिंह गहलोथ, शेर कोट, बिजनौर	तदेव
4	श्री गेन्दा सिंह, नारायण खेड़ी, बिजनौर	तदेव
5	श्री मुख्तार अहमद शब्बीर अहमद, अगरवड़ी, पावटी, बिजनौर	तदेव
6	श्री अलमुद्दीन, ग्राम मेमदाबाद, बिजनौर	तदेव
7	श्री अब्दुल हक, ग्राम जरीफपुर पाड़ला, बिजनौर	तदेव
8	श्री हरिचरन सिंह, ग्राम जयरामपुर, बिजनौर	तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
9	श्री ओम प्रकाश सिंह, ग्राम महावतपुर, जिला बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर बकाये की वसूली हेतु वसूली प्रमाण–पत्र जिला कलेक्टर के पास भेज दिया गया है।
10	श्री घनश्याम सिंह, ग्राम फतेहपुर, बुलन्दी, बिजनौर	तदेव
11	श्री किशोरी सिंह, ग्राम खवाना, बिजनौर	तदेव
12	श्री क्यामुद्दीन क्रेन क्रेशर, ग्राम रसूलाबाद, बिजनौर	तदेव
13	श्री नन्द किशोर, ग्राम इस्माइलपुर, चमरा, बिजनौर	न्यायालय के निर्णय के पश्चात् वसूली प्रमाण–पत्र जिला कलेक्टर के पास बकाये की वसूली हेतु भेज दिया गया है।
14	श्री अब्दुल गनी, ग्राम भक्षेटा, शकरू, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर वसूली प्रमाण–पत्र जिला कलेक्टर के पास बकाये की वसूली हेतु भेज दिया गया है।
15	मे0 कुमार खाण्डसारी उद्योग, महमूदपुर, बिजनौर	तदेव
16	श्री अमीर अहमद, ग्राम मसीत, बिजनौर	तदेव
17	श्री मोहम्मद याहिया, स्याऊं, चांदपुर, बिजनौर	तदेव
18	श्री सैयद वजीर हैदर, ग्राम गोपली, बिजनौर	तदेव
19	श्री रविनन्दन कविनन्दन, ग्राम रतनगढ़, बिजनौर	तदेव
20	श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम शादीपुर, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन काट दिया गया है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रवर्तन विधान सभा

21	श्री बनवारी सिंह, ग्राम झालू, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर डिमाण्ड नोटिस भेज दिया गया है।	श्री
22	श्री सुरेन्द्र कुमार सचदेवा, नजीबाबाद, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	∞
23	श्री जसवन्त सिंह, ग्राम सबदलपुर, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर वसूली प्रमाण-पत्र जिला कलेक्टर को बकाये की वसूली हेतु भेज दिया गया है।	
24	मेसर्स राज शुगर वर्क्स, ग्राम जलीलपुर, बिजनौर	तदेव	
25	श्री सुरेश चन्द्र गोयल, नजीबाबाद, बिजनौर	तदेव	
26	श्री जफर अहमद, कोतवाली, बिजनौर	तदेव	
27	श्री अख्तर हुसैन, पीर का बाजार, स्योहारा, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है तथा भुगतान प्राप्त हो गया है।	
28	श्री हरपाल सिंह, ग्राम कोकड, बिजनौर	इनका भुगतान प्राप्त हो गया है।	
29	श्री लज्जा राम, ग्राम इस्माइलपुर, बिजनौर	विवादग्रस्त मामला तय हो गया है तथा बकाया शेष नहीं है।	
30	श्री हूरफान सुलेमान, ग्राम कोकड, खजूरी, बिजनौर	इनका भुगतान प्राप्त हो गया है।	
31	श्री अनवर मुईज खान, सान शुगर वर्क्स, कीरतपुर, बिजनौर	तदेव	
32	श्री सुरेन्द्र लाल, मान गंज, बिजनौर	तदेव	
33	श्री जगजीत सिंह, ग्राम झण्डापुर, बिजनौर	तदेव	
34	मेसर्स शहीद ब्रदर्स, गंज, बिजनौर	तदेव	

1	2	3
35	श्री कुलवीर सिंह, ग्राम झालू, बिजनौर	इनका भुगतान प्राप्त हो गया है।
36	श्री मोहम्मद हुसैन, कीरतपुर, बिजनौर	तदेव
37	श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, नजीबाबाद, बिजनौर	तदेव
38	श्री अब्दुल शकूर, अकबराबाद, नगीना, बिजनौर	तदेव
39	श्री शफीक अहमद, ग्राम महमूदपुर, कोतवाली, बिजनौर	तदेव

वर्ष 1983

1	श्री रमेश चन्द्र, ग्राम सेड़ा, धामपुर, बिजनौर	विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर वसूली प्रमाण-पत्र जिला कलेक्टर के पास बकाये की वसूली हेतु भेज दिया गया है।
2	मोहम्मद अख्तर, बेंजों, नहटौर, बिजनौर	तदेव
3	मेसर्स खाण्डसारी उद्योग, शेरकोट, बिजनौर	तदेव
4	श्री गेन्दा सिंह, ग्राम नरायन खेड़ी, बिजनौर	तदेव
5	श्री मुख्तार अहमद, अगखेड़ा, पावटी, बिजनौर	तदेव
6	श्री अलीमुद्दीन, ग्राम महमूदाबाद, बिजनौर	तदेव
7	श्री अब्दुल हक, ग्राम जरीफपुर, पाडला, बिजनौर	तदेव

8	श्री हरिचरन सिंह, ग्राम जयरामपुर, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर बकाये की वसूली हेतु डिमाण्ड नोटिस भेज दिया गया है।
9	श्री ओम प्रकाश, ग्राम महावतपुर, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर वसूली प्रमाण-पत्र जिला कलेक्टर के पास बकाये की वसूली हेतु भेज दिया गया है।
10	श्री घनश्याम सिंह, ग्राम फतेहपुर, बुलन्दी, बिजनौर	तदेव
11	श्री किशोरी सिंह, ग्राम स्याना, बिजनौर	तदेव
12	श्री वयामुद्दीन, क्रेनक्रशर, रसूलाबाद, नहटौर, बिजनौर	तदेव
13	श्री नन्द किशोर, ग्राम इस्माइलपुर, चमरा, बिजनौर	तदेव
14	श्री जसवन्त सिंह, ग्राम सब्दलपुर, बिजनौर	तदेव
15	श्री हरपाल सिंह, ग्राम मानपुर शेखपुर, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर डिमाण्ड नोटिस भेज दिया गया है।
16	श्री अब्दुलगनी, ग्राम मझेड़ा, शकरू, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर वसूली प्रमाण-पत्र जिला कलेक्टर के पास बकाये की वसूली के लिए भेज दिया गया है।
17	श्री होरी सिंह, ग्राम ठाटजट, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर वसूली हेतु डिमाण्ड नोटिस भेज दिया गया है।
18	श्री गणेश, ग्राम मेघपुर, बिजनौर	तदेव
19	मेसर्स कुमार खाण्डसारी उद्योग, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर वसूली प्रमाण-पत्र जिला कलेक्टर के पास बकाये की वसूली हेतु भेज दिया गया है।

1	2	3
20	मेसर्स राज शुगर वर्क्स, ग्राम जलीलपुर, बिजनौर	विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर वसूली प्रमाण–पत्र जिला कलेक्टर के पास बकाये की वसूली हेतु भेज दिया गया है।
21	श्री मोहम्मद याहिया, ग्राम स्याड, चांदपुर, बिजनौर	तदेव
22	श्री अमीर अहमद, ग्राम मसीद, बिजनौर	तदेव
23	श्री सैयद वजीर हैदर, ग्राम गोपली, बिजनौर	तदेव
24	श्री हरपाल सिंह, ग्राम कीकड़, खजूरी, बिजनौर	तदेव
25	श्री रविनन्दन कवि नन्दन, रतनगढ़, बिजनौर	तदेव
26	श्री लज्जाराम, ग्राम इस्माइलपुर, बिजनौर	तदेव
27	श्री इरफान सुलेमान, ग्राम कीकड़ खजूरी, बिजनौर	तदेव
28	श्री होरी सिंह, ग्राम सल्लापुर, बिजनौर	विद्युत कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है, धनराशि विवादास्पद है।
29	श्री शम्मशुद्दीन, ग्राम छज्जूपुर, बिजनौर	विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर वसूली प्रमाण–पत्र जिला कलेक्टर के पास बकाये की वसूली हेतु भेज दिया गया है।
30	श्री आनन्द स्वरूप, कीरतपुर, बिजनौर	अब इनके बकाये का भुगतान प्राप्त हो गया है।
31	श्री राजेन्द्र पाल सिंह, ग्राम शादीपुर, बिजनौर	इनके बकाये को समायोजित कर दिया गया है।
32	श्री शौकीन सिंह, ग्राम फरीदपुर, बिजनौर	विद्युत कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर डिमाण्ड नोटिस भेज दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

33	श्री राम औतार, कीरतपुर, बिजनौर	अब इनका भुगतान प्राप्त हो गया है।
34	श्रीमती कुसुमलता जैन, कीरतपुर, बिजनौर	इनके बकाये को समायोजित कर दिया गया है।
35	श्री बनवारी सिंह, ग्राम झालू, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छदित कर बकाये की वसूली हेतु डिमाण्ड नोटिस भेज दी गई है।
36	श्री कुलवीर सिंह, ग्राम झालू, बिजनौर	तदेव
37	श्री शिवनाथ, बिजनौर	तदेव
38	श्री रिखवदास जैन, ग्राम हाजीपुर, चन्डा, बिजनौर	तदेव
39	मेसर्स अग्रवाल शुगर फैक्ट्री, नजीबाबाद, बिजनौर	तदेव
40	मेसर्स अमर शुगर फैक्ट्री, नजीबाबाद, बिजनौर	इनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
41	श्रीमती सुशीला देवी, ग्राम गुनियापुर, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन विच्छेदित कर वसूली प्रमाण-पत्र जिला कलेक्टर के पास बकाये की वसूली हेतु भेज दिया गया है।
42	मेसर्स हीरा खाण्डसारी उद्योग, नगीना, बिजनौर	अब इनका भुगतान प्राप्त हो गया है।
43	श्री शफीक अहमद, ग्राम महमूदपुर, नगीना, बिजनौर	तदेव
44	श्री अख्तर हुसैन, पीर का मजार, स्योहारा, बिजनौर	विद्युत् कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है तथा भुगतान प्राप्त हो गया है।
45	श्री रोशन लाल, ग्राम मेगपुर, अफजलगढ़, बिजनौर	अब इनका भुगतान प्राप्त हो गया है।

एम० वाई० कुरैशी,
अपर मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ञ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 115 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर ।)

जनवरी, 1984 तक अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

विकास क्षेत्र—बिलरियागंज

तहसील—सगड़ी

जनपद—आजमगढ़

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	कोड संख्या जनगणना 1971 के अनुसार	जनसंख्या जनगणना 1971 के अनुसार
1	2	3	4
1	सिमरा तिवारी	480	180
2	सिमरा बढ़ई	481	264
3	रौसनंड	477	214
4	कादीपुर तिवारी	482	345
5	जेदरा पिपरी	484	2,568
6	जमुआं जोलहा	486	58
7	बलदेव मंझुरी	470	गैर आबाद
8	बनरही	471	11
9	देवई रसूलपुर	469	461
10	चकने वारी	468	गैर आबाद
11	कपसा	465	994
12	चकमोआजल	498	83
13	कुआ चक देव पट्टी	497	804
14	जमीन शान्ती	490	15
15	चक मंझरिया	495	गैर आबाद
16	अठईपुर	509	37
17	चक मिजुली	507	89
18	संदपुर	517	14

1	2	3	4
19	बेलहरा	505	18
20	सैदपुर	502	119
21	सरायबानी	519	10
22	नरायनपुर	452	1,037
23	कोलहड़ो खुर्द	460	256
24	सुरजीपुर	429	327
25	काबीपुर मानुपुर	447	36
26	बसिला	530	247
27	गोसरी पट्टी	531	140
28	अमरौला खास	719	1
29	चक अमरौला	717	88
30	बलिया कल्याणपुर	713	1,254
31	पुरषोत्तमपुर	705	128
32	असरफपुर	703	1,266
33	जलालुद्दीन पट्टी	720	473
34	चकवेनी राय	725	143
35	जियासपुर	721	50
36	बहाउद्दीन	566	314
37	इसमाइलपुर गोरिया	574	821
38	फूलपुर	580	103
39	सुल्तानपुर	572	39
40	औराभार	613	80
41	देवरिया माफी जोप	623	391
42	महुआ पार	650	119
43	लक्ष्मनपुर	645	82
44	बारी	642	197
45	बीबीपुर	641	706

1	2	3	4
46	हरधरपुर	640	113
47	भिख पट्टी	632	161
48	सैदीली गरथोलवार	631	915
49	नाथूपुर	637	406
50	फरीदपुर	637	483
51	सरायन बाजार	402	441
52	केवट पट्टी	431	गैर आबाद
53	दयालपुर	430	,,
54	डहोनव	434	,,
55	खोजाविन्दुल	445	,,
56	चक जयकिशन	448	,,
57	बसीरपुर	584	320
58	फिरोज पट्टी	533	गैर आबाद
59	पूरा भंजन	538	,,
60	सरजूधीन पट्टी	712	,,
61	याकूबपुर	709	,,
62	बीबीपुर	704	,,
63	टुटवा	728	,,
64	जमीनशेखपुर	546	,,
65	सिरही	550	,,
66	चक बिन्दा	553	,,
67	भटपुरवा	562	,,
68	बलिहारी जसकरन	578	,,
69	रासे पट्टी	581	,,
70	चक गुलाम	621	,,
71	बदिरापुर हरिजाम पट्टी	634	,,
72	सुन्दरपुर	628	,,

सभाजीत सिंह,
अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय, आजमगढ़ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ढ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 116 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर।)

जनवरी, 1984 तक अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

विकास क्षेत्र—हरैया

तहसील—सगड़ी, अनपद—आजमगढ़

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	कोड संख्या जनगणना 1971 के अनुसार	जनसंख्या जनगणना 1971 के अनुसार
1	2	3	4
1	मधईपुर खास	389	8
2	देवारा इस्माइलपुर	129	1,385
3	अराजी नौबरार करखिया कित	121	155
4	आराजी नौबरार करखिया प्रथम	122	1,032
5	करखिया रुस्तम सराय	127	803
6	बनजरिया खास	126	93
7	गहजी बनजरिया	124	36
8	रोशनगंज	120	2,844
9	गोहठा	106	94
10	देवरा करीमगंज	110	163
11	उरडिहा	119	1,662
12	देवारा करताराम दूबे	130	151
13	देवारा रामसरन दूबे	131	89
14	देवारा श्रीनगर	133	125
15	देवारा अचल सिंह	134	211
16	देवारा गरीब दूबे	136	414
17	देवारा भिक्षक खास	137	गैर आबाद
18	देवारा खास राजा	138	2,461
19	चक्की हाजीपुर	139	682
20	पड़ना	142	216

1	2	3	4
21	सुरवाहपार	143	322
22	इकवनडाड	144	314
23	बालाजानी	146	15
24	छपरा खुर्द	257	40
25	अवरा सलेमपुर	261	476
26	भदौरा मकरन	264	245
27	बांका	267	307
28	बूढ़न पट्टी	268	179
29	अमन पट्टी	274	448
30	मालिकपुर	273	565
31	सोनौरा	272	496
32	जमुवारी	276	376
33	सुरकौली	275	694
34	गुम्बनपुर	282	19
35	सिकन्दरापुर	281	147
36	भागीपुर	280	159
37	बातन	249	422
38	देवरिया	246	520
39	नौली	222	178
40	चेकुवागाधी पट्टी	212	79
41	सिजौली पट्टी	210	102
42	चक चिपसेन	205	133
43	जमालुद्दीन पट्टी	190	40
44	किरही मंजर	186	24
45	कान्तीपुर	183	146
46	जमील बेलकुण्डी	178	319
47	बेवपुर	177	182

1	2	3	4
48	बेदौली	173	350
49	परसुरामपुर	175	8
50	रहुवार	174	344
51	कल्याणपुर	167	265
52	मक्खीपुर	164	100
53	पहाड़पुर	163	392
54	पोखरा	160	279
55	सिवान	158	790
56	आराजी नौबरार मिसा द्वितीय	123	गैर आबाद
57	देवारा जयगोपाल नायक	132	,,
58	खंवारा गोपाल दूबे	135	,,
59	सराय चौहान	140	,,
60	टारी	225	279
61	हंकारीपुर	218	गैर आबाद
62	सैदउल्ली	215	,,
63	अहरौली	224	,,
64	चकगनी	302	,,
65	शेरदिलपुर	202	,,
66	शोपनपुर	188	,,
67	कांध सोरनिया	154	,,
68	जक चिल्टंया	153	,,
69	रेवा रुद्रपुर	156	295
70	रामपुर देवारा	155	712
71	पड़ेसिया	150	632
72	धक्कगंगीपुर	148	22
73	सुवदिया सुल्तानपुर	151	745

(सभाजीत सिंह),
अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय,
आजमगढ़ ।

नत्थी "ठ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या--117 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर ।)

जनवरी 1984 तक अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

विकास क्षेत्र--अजमतगढ़

तहसील--सगड़ी

जनपद--आजमगढ़

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	कोड स0 जनगणना 1971 के अनुसार	जनसंख्या जनगणना 1971 के अनुसार
1	2	3	4
1	बरामदपुर	835	246
2	सहसपुरा	833	292
3	झईया	832	104
4	पिपरहीं	843	43
5	विपनपुर	844	414
6	दियापटटी	845	115
7	मुन्जुर	850	51
8	पाण्डे पुर	855	173
9	पिपरी	859	91
10	परानीपुर	858	13
11	बलुआ मुहम्मदपुर	856	588
12	मिमजुमलम कुन्डरा	870	49
13	महरौली	872	246
14	उदका	869	249
15	गोण्डापुर	867	57
16	भिटाहा	866	गैर आबाद
17	मिश्रपुर	864	477

1	2	3	4
18	मोचीपुर	824	187
19	मझौवा उर्फ मो0 पुर	825	336
20	फतेपुर	826	159
21	लक्ष्मी रोहुवर	827	246
22	केशवपुर	828	गैर आबाद
23	चकरौजा	830	18
24	खरगपुर	805	गैर आबाद
25	जियनपुर	804	44
26	चकशाह दानीपाल	694	84
27	सहरैया वाजिद	695	254
28	वक्सनपुर	685	110
29	बागईसबाइलपुर	740	73
30	बक्सपट्टी	763	118
31	मैनाथ पट्टी	753	3
32	वाजिद पट्टी	754	10
33	चक आसिक	768	16
34	बागशाह उस्मान	770	47
35	फजुल्लाह कानूनगो	953	145
86	चक भुवना	960	133
37	मुरारपुर	947	43
38	रघुनन्दनपुर	900	68
39	जोत पहाड़पुर	899	20
40	मेलुवा बसन्तपुर	896	96
41	चकमाधो राम	897	96
42	लाल सलोना	878	29

1	2	3	4
43	जगदीशपुर	882	107
44	सेवभरी	924	24
45	वसु बेगदाकपुर	918	44
46	गोवाईपुर	970	188
47	जमीन सिरोरा	966	182
48	सोनरा डीह	837	गैर आबाद
49	ददरा	842	"
50	दिया पट्टी	841	"
51	सतना	857	"
52	केशवपुर	873	"
53	पानजहटा	821	"
54	मिसपुर	817	"
55	रामपुर	812	"
56	सिन्दूर पार	809	"
57	चम्पापुर गोपालपुर	807	"
58	चिकारी	806	"
59	दूबो	803	"
60	गंबोपुर	788	"
61	मेंहनाजपुर	799	"
62	मकरपुर	667	"
63	नगहट	656	"
64	बंगाली पट्टी	692	"
65	गंगा सागर	700	"
66	लंगपुर	702	"

1	2	3	4
67	बागहुस्सान	744	गैर आबा।
68	बांकोपुर	747	"
69	जावपुर बुंजरिया	746	"
70	दहोरगपट्टी	758	"
71	सन्बूकी पट्टी	765	"
62	चकचुहड़	767	"
73	खुशदिलपुर	771	"
74	रुस्तमपुर	952	"
75	सुखपुर	904	"
76	कामदी पट्टी	902	"
77	ढेलूवा मातलिक मेघई	908	"
78	विशुनपुर	885	"
79	दावब क पुर	913	"

सभाजीत सिंह,
अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खंड द्वितीय,
आजमगढ़ ।

पी0 एस0 यू0 पी0—20 वि0 सभा—24-8-84—813 (पी0 डी0) ।